द्वितीय माला, खण्ड २३—अंक १५
५ दिसम्बर, १९५८ (शुक्रवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

Second Lok Sabha
(Sixth Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड २३ में अंक ११ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

281 (Ai) LSD

विषय-सूची

[द्वितीय माला खंड २३–अंक ११ से २०—१ दिसम्बर से १२ दिसम्बर, १९५८]

अंक ११—सोमवार, १ दिसम्बर, १९५८ पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९२, ३९४, ३९५, ३९७ से ३९९, ४०१ और ४०४ से ४०७ . . . १०५५–७८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . १०७८–८०

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या ३९३, ३९६, ४००, ४०२, ४०३, ४०८, से ४२४ और ४२६ से ४५२ . . . १०८०–११०४

अतारांकित प्रश्न संख्या ५९५ से ६१०, ६१२ से ६३० और ६३२ से ७०५ . . . . ११०४–४८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ११४८

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . ११४९–५१

खण्ड २, ३ और ३-क . . . ११५१–८०

कार्य मंत्रणा समिति—

बत्तीसवां प्रतिवेदन . . . ११८१

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (संगठन तथा कार्यवाही) के बारे में . . . ११८१

दैनिक संक्षेपिका . . . ११८२–८८

अंक १२—मंगलवार, २ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४५३ से ४५६, ४५८ से ४६०, ४६२ से ४६४ और ४६६ से ४६८ . . . ११८९–१२१२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६१, ४६५ और ४६९ से ४९४ . . . १२१२–२५

अतारांकित प्रश्न संख्या ७०६ से ८०३ . . . १२२५–६६

अतारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि . . . १२२५

स्थगन प्रस्ताव . . .	१२६७–६८
गन्ने का मूल्य बढ़ाने में कथित विफलता .	१२६७–६८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१२६८–६९
संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक	१२७०–८५
खण्ड ४ और अनुसूची	१२७५–८०
गाड़ियों के देर से चलने के बारे में चर्चा .	१२८२–१३०४
दैनिक संक्षेपिका	१३०५–१२
अंक १३——बुधवार, ३ दिसम्बर, १९५८	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४९५ से ५००, ५०२ से ५०४ ५०६, ५०७ और ५०९ .	१३१३–३६
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ५०५, ५०८, ५१० से ५१३, ५१५ से ५४९ और ५५१ से ५५९	१३३६–५८
अतारांकित प्रश्न संख्या ८०४ से ८२०, ८२२ से ८४६, और ८४८ से ८८४	१३५८–९३
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	१३९३–९४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति— इकत्तीसवीं प्रतिवेदन	१३९४
समिति के लिए निर्वाचन	
राजघाट समाधि समिति	१३९४–९५
संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक	१३९५–१४०२
खण्डों और अनुसूची पर विचार .	१३९५–९९
संशोधित रूप में पारित करने का विचार	१३९९–१४०२
हिमाचल प्रदेश विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक विचार करने का प्रस्ताव	१४०२–१५
निर्यात व्यापार की वर्तमान प्रवत्तियों के बारे में प्रस्ताव	१४१५–२८
चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थियों के बारे में आधे घंटे की चर्चा	१४२८–३३
दैनिक संक्षेपिका	१४३४–४०
अंक १४——गुरुवार, ४ दिसम्बर, १९५८	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ५६० से ५६३ और ५६५ से ५७४ .	१४४१–६३

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६४ और ५७५ से ६०३ . १४६४—७४

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ६६५ और ६६७ १४७४—१५०६

सभा पटल पर रखे गये पत्र १५०६—११

राज्य-सभा से संदेश . . १५११—१२

राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया . १५१२

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों से ऋण की वसूली के बारे में याचिका १५१२

निर्यात व्यापार की वर्तमान प्रवृत्ति के बारे में प्रस्ताव १५१२—४६

दैदिक संक्षेपिका १५४७—५८

अंक १५–शुक्रवार, ५ दिसम्बर, १६५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६०६, ६०७, ६०६, ६११ से ६१७, ६१६, ६२० और ६२३ से ६२६ १५५५—७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६०४, ६०५, ६०८, ६१०, ६१८, ६२१, ६२२ और ६२७ से ६५६ . . . . . १५७६—६५

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६८ से १०१८, १०२० से १०३४ और १०३६ से १०३६ १५६५—१६२३

सभा पटल पर रखे गये पत्र १६२४—२५

राज्य सभा से संदेश १६२५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा किये गये ठेके १६२६—३२

सभा का कार्य . . १६३२

निर्यात व्यापार की वर्तमान प्रवृत्ति के बारे में प्रस्ताव . . १६३३—४०

हिमाचल प्रदेश विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १६४०—४३

आसाम रायफल्स (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १६४३—४६

खण्ड २ और १ १६४६

पारित करने का प्रस्ताव . . . १६४६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकतीसवां प्रतिवेदन १६४६

सैनिक व्यय के ढांचे की जांच करने के लिये एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प . . . १६४७—६७

पृष्ठ

देश में भूमि सुधारों की प्रगति का अनुमान लगाने के बारे में एक समिति के बारे में संकल्प १६६७

एयर इण्डिया इंटरनेशनल की साप्ताहिक भारवाही विमान सेवा के बारे में आधे घंटे की चर्चा १६६८–७२

दैनिक संक्षेपिका . . १६७३–७६

अंक—१६ सोमवार, ८ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६५७ से ६६४ और ६६६ से ६७२ १६८१–१७०६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६६५, ६७३ से ६९१ और ६९३ से ७२३ १७०६–२८

अतारांकित प्रश्न संख्या १०४० से १०५८ और १०६० से ११११५ १७२८–६०

सभा पटल पर रखे गये पत्र १७६१-६२

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति १७६२

लोक लेखा समिति—

दसवां प्रतिवेदन १७६२

१९५८–५९ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगों के बारे में विवरण १७६२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

पटसन के मूल्यों में गिरावट के कारण उत्पादकों की दशा १७६३–६४

विधेयक पुरःस्थापित . १७६४–६५

(१) प्रतिभूत संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक

(२) भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक

(३) भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव १७६५-१८०१

दैनिक संक्षेपिका . १८०२–०८

अंक—१७ मंगलवार, ९ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७२६, ७२८ से ७३०, ७३५, ७५३, ७३३, ७३६ से ७४१, ७४३ और ७४६ . १८०९–३२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ १८३२–३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७२४, ७२५, ७२७, ७३१, ७३२, ७३४, ७४२, ७४४, ७४५, ७४७ से ७५२ और ७५४ से ७७५ . १८३३–४८

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या १११६ से ११६७ . १८४८--८७

सभा पटल पर रखे गये पत्र १८८८

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . . १८८८--१६०३

हिमाचल प्रदेश (विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव . . १६०४--०६

संगठन तथा रीति विभाग के प्रतिवेदन के बारे में चर्चा १६०६--२५

शरवती जल विद्युत परियोजना के बारे में आधे घं े की चर्चा . १६२५--२७

दैनिक संक्षेपिका . . १६२८--३४

अंक--१८ बुधवार, १० दिसम्बर, १६५८

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के दसवें वार्षिक दिवस की ओर निर्देश १६३५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७७६ से ७७६, ८०७, ७८० से ७८७ १६३६--५८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७८८ से ८०६ और ८०८ से ८३८ . १६५८--७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ११६८ से १२८० . . . १६७६--२०१५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . २०१५-१६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन--
बत्तीसवां प्रतिवेदन . . २०१६

समिति के लिये निर्वाचन--

विश्वभारती की संसद २०१७

फार्मेसी (संशोधन) विधेयक--पुरस्थापित २०१७

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव २०१८--२८

खण्ड १ से ५ २०२८

पारित करने का प्रस्ताव . २०२८--३०

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव . . . २०३०--५३

दैनिक संक्षेपिका २०५४--६१

अंक--१६, गुरुवार, ११ दिसम्बर, १९५८	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ८३९ से ८४३, ८४६ से ८५१ और ८५४	२०६३--८५
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ८४४, ८४५, ८५२, ८५३ और ८५५ से ८८९ .	२०८५--२१०२
अतारांकित प्रश्न संख्या १२८२ से १२९९ और १३०१ से १३४२	२१०२--२८
सभा पटल पर रखे गये पत्र . : . .	२१२९
तारांकित प्रश्न संख्या ४९७ के उत्तर को शुद्ध करने के लिए वक्तव्य	२१२९-३०
जानकारी का प्रश्न . . .	२१३०
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव . .	२१३०--३२
संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव . .	२१३२--५४
खण्ड २ से ८ और १	२१५४--६१
पारित करने का प्रस्ताव	२१६१-६२
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९५५-५६ और १९५६-५७	२१६५--७३
दैनिक संक्षेपिका . . .	२१७५--८०
अंक --२० शुक्रवार, १२ दिसम्बर, १९५८	
प्रश्नो के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ८९० से ८९५, ८९९, ९०१, ९०२, ९०४, ९२६, ९०५, ९०६ और ९०८	२१८१--२२०३
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ८९६ से ८९८, ९००, ९०३, ९०७, ९०९ से ९२५ और ९२७ से ९३३	२२०३--१५
अतारांकित प्रश्न संख्या १३४३-१४२३ और १४२५ से १४६३ .	२२१६--७१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२२७१
विशेषाधिकार समिति--	
छठा और सातवां प्रतिवेदन .	२२७२
राज्य सभा से सन्देश	२२७२-७३
सभा का कार्य . .	२२७३
विधेयक पुरस्थापित	२२७३-७४
विदेशी विनिमय विनियमन (संशोधन) विधेयक	
चलचित्र (संशोधन) विधेयक	

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—— पृष्ठ

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . २२७४—९३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति——

बत्तीसवां प्रतिवेदन २२९३-९४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरस्थापित २२९४-९५

(१) श्री राम कृष्ण का औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक (धारा १५ का संशोधन)।

(२) श्री राम कृष्ण का जांच आयोग (संशोधन) विधेयक (धारा ८ का संशोधन)।

(३) श्री राम कृष्ण का न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक (अनुसूची का संशोधन)

(४) श्री राजेन्द्र सिंह का संविधान (संशोधन) विधेयक (प्रस्तावना का संशोधन तथा अनुच्छेद ३८ का प्रतिस्थापना)

(५) श्री श्रीनारायण दास का संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद १३६, २२६, २२७ २२८ और ३२९ का संशोधन)

सिख गुरुद्वारा विधेयक——

परिचालित करने का प्रस्ताव . . . . . २२९६—२३१२

संसदीय विशेषाधिकार विधेयक——

विचार करने का प्रस्ताव २३१२

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . २३१३—२०

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

शुक्रवार ५ दिसम्बर, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विदेश यात्रा पर रोक

+

†*६०६. श्री राम कृष्ण :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री वाजपेयी :

क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय वित्त मंत्रालय एक योजना को अन्तिम रूप दे रहा है, जिसके द्वारा भारतीयों की विदेश यात्रा के नियमों को कड़ा कर दिया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ; और

(ग) योजना के मुख्य अंग क्या हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) आज की विदेशी विनिमय की कड़ी स्थिति में, सरकार को प्रत्येक प्रकार के विदेशी विनिमय के च्यवन का ध्यान रखना पड़ता है, और समय समय पर स्थिति का पुनरीक्षण करने का यत्न किया जाता है।

(ख) और (ग). हाल ही के परीक्षण के फलस्वरूप यह निश्चय किया गया है कि १७ अक्तूबर १९५८ से भारत से बाहर जाने वाले, भारत से जाने वाले करन्सी नोटों की राशि २७० रुपये से कम करके ७५ रुपये कर दी है।

†**श्री राम कृष्ण** : वर्तमान नियमों के अन्तर्गत इन नियमों को भंग करने वालों के विरुद्ध क्या कोई उपबन्ध है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : बड़े कड़े नियम और विनियम हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

281 (A) L.S.D.—1

†**श्री अंसार हरवानी** : क्या सरकार को पता है कि कुछ भारतीय राजे अथवा व्यापारी विदेशों में जाकर बहुत अधिक रुपया खर्च करते हैं ? यदि हां, तो ऐसे कितने लोगों के विरुद्ध सरकार ने अब तक कार्यवाही की है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : उनके विरुद्ध जिनको कि इस अधिनियम के अन्तर्गत पकड़ा जाता है ।

†**श्री ही०ना० मुकर्जी** : हाल ही में कुछ भूतपूर्व राजाओं और फिल्म अभिनेताओं द्वारा फिजूल खर्ची करने का समाचार प्राप्त हुआ था । वे कोई भी राष्ट्रीय महत्व का कार्य नहीं कर रहे थे । इस प्रकार के विदेशी विनिमय के दुरोपयोग को रोकने के लिये क्या किया जा रहा है ?

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

†**श्री ब० रा० भगत** : वर्तमान उपबन्धों के अन्तर्गत हम किसी को विदेश जाने से बिल्कुल ही रोक नहीं सकते । इसमें और भी कठिनाइयां हैं, क्योंकि इससे हमारे पर्यटक व्यापार पर, और एयर इंडिया इंटरनैशनल की आय पर प्रभाव पड़ता है । इसको दृष्टि में रखते हुये हम जितना हो सकेगा रोक को कड़ी करने का प्रयत्न करेंगे । और विदेशों में अनावश्यक भ्रमण को रोकेंगे ।

†**श्री हेम बरूआ** : गत वर्ष विदेश पर्यटन पर जो रोक लगाई गयी थी, उसके फलस्वरूप हमने कितना विदेशी विनिमय, क्षेत्रवार, डॉलर, पौंड, और अन्य मुद्राओं को एकत्रित किया है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : इसके लिये अलग नोटिस चाहिये ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या सरकार के पास कोई ऐसा रिकार्ड है कि कितनी औरतें अपने पतियों के साथ विदेश गयीं. . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या उनके साथ उनके बच्चे नहीं होते ?

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : हां जी, परन्तु यदि उन्हें ७५ रुपये ही मिलेंगे तो विदेशों में उनका खर्चा कैसे चलेगा ।

†**श्री ब० रा० भगत** : हम जहां तक संभव है रिकार्ड रखने का प्रयत्न कर रहे हैं । परन्तु कुछ योजनायें हैं, जिनको कि वे अतिथि योजना कहते हैं । कइयों को विदेशों की संस्थायें और मित्र निमंत्रित करते हैं । और वर्त्तमान विधि के अन्तर्गत वे वहां जा सकते हैं ।

दिल्ली में केन्द्रीय निर्देश पुस्तकालय

+

†*६०७. { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय काल में दिल्ली में केन्द्रीय निर्देश पुस्तकालय स्थापित करने का प्रस्ताव वापिस ले लिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ;

(ग) क्या इस प्रस्ताव को समाप्त करने से पूर्व योजना और उसका अनुमान लगा लिया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना का कुल अनुमान क्या था ?

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) पुस्तकालय के लिये अलग इमारत बनाने का विचार अभी हाल छोड़ दिया गया है।

(ख) आर्थिक अवस्था, इमारती सामान की कमी और स्थान का खाली न होना ही सब इसके कारण हैं ।

(ग) जी हां।

(घ) लगभग ४१·६६ लाख रुपये ।

†श्री सुबोध हंसदा : केन्द्रीय निर्देश पुस्तकालय का काम क्या है और वह किस प्रकार किया जायेगा ?

†डा० म० मो० दास : यह राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय के कार्य का समन्वय करेगी। इसके अतिरिक्त भारत में प्रकाशित पुस्तकों का यहां संग्रह रहेगा। जहां से एक राष्ट्रीय ग्रंथ परिचय भी निकाला जायेगा ताकि भारत और विदेशों के पुस्तकालयों को अतिरिक्त विद्वानों के भी निर्देशन का कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त यह अन्य प्रकाशनों के विनिमय केन्द्र का कार्य भी करेगा।

†श्री सुबोध हंसदा : इन सब कार्यों के लिये कितना धन दिया गया है ?

†डा० म० मो० दास : वर्तमान अवस्था में बहुत कम करके इसके लिये ४ लाख की व्यवस्था की गयी है ।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या राष्ट्रीय ग्रंथ परिचय का कार्य आरम्भ हो गया है, यदि हां, तो इसमें क्या प्रगति हुई है ?

†डा० म० मो० दास : कार्य आरम्भ हो गया है और इसे कलकत्ता के राष्ट्रीय पुस्तकालय में किया जा रहा है । भारत राष्ट्रीय ग्रंथ परिचय का प्रथम अंक १५ अगस्त १९५८, को निकाला गया था और दूसरा अंक हाल ही में प्रकाशित होने वाला है ।

†श्री महन्ती : भारत राष्ट्रीय ग्रंथ परिचय के प्रथम अंक से आसामी साहित्य को क्यों छोड़ा गया है ?

†डा० म० मो० दास : इसके लिये पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

†श्री महन्तीः इसमें पूर्व सूचना का कोई प्रश्न नहीं है । यह दस्तावेज तो परिचालित किया गया है ।

†डा० म० मो० दास : देश में १४ भाषायें हैं, यदि एक ही भाषा के संबंध में प्रश्न हो तो मेरे लिये उत्तर देना संभव नहीं, क्योंकि इस समय मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है।

†मूल अंग्रेजी में

कच्चे लोहे का निर्यात

†*६०९. श्री बहादुर सिंह : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में कच्चे लोहे का निर्यात करने का है ;

(ख) यदि हां, तो यह निर्यात मात्रा वर्ष में लगभग कितनी होगी ; और

(ग) कच्चे लोहे का अधिकतम उत्पादन होने की कब तक आशा की जा सकती है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) : (क) जी हां ।

(ख) वर्तमान अनुमान के अनुसार १९५९-६० और १९६०-६१ में ३,००,००० टन निर्यात के लिये उपलब्ध हो जायेगा। और १९६१-६२ में यह मात्रा ४,००,००० हो जायेगी ।

(ग) १९६१-६२ में ।

†श्री बहादुर सिंह : इस कच्चे लोहे से कितनी विदेशी मुद्रा का लाभ होगा ?

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : मैंने निर्यात की मात्रा के आंकड़े तो दे दिये हैं, परन्तु लाभ की राशि के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

†श्री बहादुर सिंह : यह कच्चा लोहा किन-किन देशों को निर्यात किये जाने की आशा है ?

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : लोहा तथा इस्पात नियंत्रक ने टेंडर मांगे हैं और उन्हें विभिन्न देशों से टेण्डर प्राप्त भी हुये हैं। अब उन पर विचार किया जा रहा है।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : गत वर्ष और इस वर्ष कच्चे लोहे की कितनी वार्षिक कमी रही ?

†अध्यक्ष महोदय : जहां तक देश में उपभोग का संबंध है ?

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : जी हां ।

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : इस वर्ष वास्तव में कच्चे लोहे की कमी नहीं है। स्थिति काफी सुधर गयी है और जैसे ही हमारा उत्पादन बढ़ेगा, हम निकट भविष्य में अन्य देशों को निर्यात करने लगेंगे ।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मेरा प्रश्न भविष्य के संबंध में नहीं है।

†अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि कमी नहीं है ।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मुझे बताया जायेगा कि कच्चे लोहे की कमी के कारण कलकत्ता और हावड़ा के आसपास के कुछ उद्योग और जमशेदपुर का टाटा का ढलाई का कारखाना क्यों बन्द हो गया था ?

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : गत वर्ष कुछ कमी थी। इस वर्ष स्थिति ठीक है। माननीय सदस्य प्रमाणित कर सकते हैं। अवस्था आगे जैसी नहीं है, अब कच्चे माल की कोई कमी नहीं रही ।

†श्री पाणिग्रही : १९५६ और १९५७ में कौन से देशों से भारत को कच्चा लोहा आयात होता था और अब कौन से देशों को उसके निर्यात किये जाने की आशा है। उन देशों में इस समय इसके प्रचलित दाम क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : यह मुख्य प्रश्न की सीमा से बाहर की बात है।

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : मैंने कहा है कि बहुत से देशों से टेंडर मांगे और प्राप्त किये गये हैं ।

†श्री दामानी : क्या इस बात का सर्वेक्षण किया गया है कि इस समय विदेशी मंडियों में मूल्य काफी अच्छे होंगे ?

†अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि क्या वहां के दामों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है परन्तु उन्होंने तो टेंडर मांगे हैं ?

†श्री दामानी : मेरा प्रश्न यह है कि क्या इस बात का सर्वेक्षण कर लिया गया है कि १९५९, १९६० और १९६१ में निर्यात मंडी में बेचना ठीक रहेगा।

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : हम अपने दूतावासों के द्वारा आंकड़े प्राप्त कर रहे हैं और जानकारी प्राप्त करने पर स्थिति और साफ हो जायेगी ।

†श्री तंगामणि : अभी माननीय सभा-सचिव ने कहा है कि चालू वर्ष में हमारे पास काफी कच्चा लोहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इस वर्ष कितना उत्पादन हुआ और क्या कुछ मात्रा विदेशों को निर्यात भी की गई है ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस वर्ष उत्पादित और निर्यात की गयी मात्रा जानना चाहते हैं ।

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : मैंने कहा है कि इस वर्ष यह ३ लाख टन है और उत्पादन ५ लाख टन है ।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : ३ लाख टन का निर्यात है ?

†श्री दासप्पा : माननीय सभा-सचिव ने कहा है कि हमारी आवश्यकताओं के लिये कच्चा लोहा काफी है और हम उसका निर्यात भी कर सकते हैं। क्या इस्पात के उत्पादन की कमी का कारण यह नहीं है अर्थात् कच्चे लोहे का इस्पात बना लेने के कारण ही तो इस्पात की कमी हो रही है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : ठीक है, इस्पात की कमी है और जो माननीय सदस्य कह रहे हैं वह भी कुछ ठीक है, परन्तु इसके बावजूद आगामी दो तीन वर्षों में देश की आवश्यकताओं के लिये काफी कच्चा लोहा उपलब्ध हो सकेगा ।

†श्री दासप्पा : क्या यह सत्य नहीं है कि कच्चा लोहा उत्पादन करने वाले सभी कारखाने इस्पात संयंत्रों के लिये चिल्ला रहे हैं और उन्हें इसकी अनुमति देने में काफी देर की जा रही है ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : यह बहुत ही सामान्य प्रश्न है, यदि किसी विशेष बात की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट करवाया जाये तो मैं उसका उत्तर देने को तैयार हूं ।

†श्री दासप्पा : कुछ ऐसे कारखाने हैं, जो कि काफी लोहा तयार कर रहे हैं, परन्तु वे उसे इस्पात में नहीं बदल सकते, क्योंकि उन्हें उसके लिये मशीनरी आयात करने का अवसर नहीं मिल रहा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या सभी कच्चे लोहे के उत्पादक अपने इस्पात कारखाने चालू करना चाहते हैं ?

†**श्री दासप्पा** : बिलकुल यही बात है, और मैं उदाहरण के लिये मैसूर लोहा और इस्पात कारखाने का नाम प्रस्तुत करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो इसके लिये माननीय सदस्य विशेष रूप से प्रश्न पूछ सकते हैं कि उन्हें इस्पात कारखाना लगाने की अनुमति है कि नहीं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : उनका इस्पात कारखाना चल रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो यह भ्रांति ही है ।

भाषायी अल्प-संख्यक

†*६११. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भाषायी अल्प-संख्यक जातियों के आयुक्त द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). यह निश्चय किया गया है कि भाषायी अल्प-संख्यक आयुक्त वर्ष में एक बार अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया करेंगे। उनका प्रथम प्रतिवेदन ३० जुलाई, १९५७ से ३१ जुलाई, १९५८ तक का होगा, और उसे इस मास में प्रस्तुत कर दिया जायेगा । और इसके पश्चात् वह प्रत्येक वर्ष ३१ अक्तूबर को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या अब तक कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : शीघ्र ही होने वाला है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या अल्प-संख्यक आयुक्त ने कोई ऐसी बात बताई है जिससे किसी राज्य में अल्प-संख्यकों के हितों को हानि पहुंची हो ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : अल्प संख्यक आयुक्त ने कुछ राज्यों में जाकर उन जातियों से सम्बद्ध जानकारी प्राप्त की ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या संविधान द्वारा अल्प-संख्यकों को जो गारन्टी दी गयी है, उसका कहीं उल्लंघन किया गया ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : इसके लिये हमें प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करनी ही होगी।

†**श्री भक्त दर्शन** : क्या मैं जान सकता हूं कि जब से भाषायी अल्प-संख्यकों के सम्बन्ध में इन कमिश्नर महोदय की नियुक्ति की गई है तब से उन्होंने किन-किन प्रांतों की समस्याओं को सुलझाने में सफलता प्राप्त की है ?

†**पंडित गो०ब० पन्त** : वह पांच प्रांतों में गये हैं तथा स्वयं छठे प्रांत में रहते हैं। उन्होंने प्रांतों से यह मालूम करने की कोशिश की कि जो लिंग्विस्टिक माइनोरिटीज के लिये कोड बनाया गया है, उसकी कार्रवाई पूरी पूरी हो रही है या नहीं और इसमें क्या कमी है और क्या कमी नहीं है। अपनी तरफ से उन्होंने इस बात की कोशिश की कि जहां कमी हो तो वह कमी पूरी की जाये ।

†मूल अंग्रेजी में

श्री अ० मु० तारिक : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कमिश्नर साहब ने उर्दू के बारे में भी कोई तहकीकात की है ?

पंडित गो० ब० पन्त : जी हां, उन्होंने जितनी बातें उनके दायरे के अन्दर आती हैं उन सब की तहकीकात की है ।

श्री अ० मु० तारिक : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उर्दू खास तौर पर उनके दायरे में आता है या नहीं ?

पंडित गो० ब० पन्त : उनके दायरे में वे सब चीज़ें आती हैं जोकि लिंग्विस्टिक माइनौरिटीस से ताल्लुक रखती हैं और चूंकि लिंग्विस्टिक माइनौरिटीस ऐसीं भी हैं जिन की खास दिलचस्पी उर्दू में है, लिहाज़ा वह आती हैं ।

†**श्री महन्ती** : भाषाई अल्प संख्यक आयुक्त कौन-कौन से राज्यों में गये । क्या प्रतिवेदन लिखने से पूर्व उन्होंने अल्प संख्यकों की संस्थाओं से ज्ञापन देने को कहा ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मेरे विचार में वैसे ही भाषाई अल्प संख्यकों ने उन्हें ज्ञापन प्रस्तुत किये हैं । वह बंगाल, मैसूर, बम्बई और केरल इत्यादि बहुत से राज्यों में गये ।

†**श्री महन्ती** : आ ुक्त महोदय बिहार क्यों नही गये ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : शायद उन्हें वहां से विशेष बुलावा नही आया । और इसका कोई कारण दिखाई नही देता ।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या खारस्वन और सरायकेला के भाषाई अल्प संख्यकों ने आयुक्त को कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सब बातें माननीय मंत्री कैसे जान सकते हैं, हमें प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करनी चाहिये ।

†**श्री आचार** : क्या अल्प संख्यकों की कोई ऐसी शिकायतें माननीय मंत्री को प्राप्त हुई हैं, और क्या उनके संबंध में आ ुक्त के प्रतिवेदन से पूर्व कुछ किया जा सकता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अल्प संख्यकों के सभी मामले अविलम्बनीय होते हैं ।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : कुछ राज्यों के ीच झगड़ा है, कुछ सीमा की कि नाइयां हैं, और अन्य ऐसे मामले हैं जिनके सं ध में मैं शिकायतें हीं नही प्राप्त कर रहा प्रत्युत चिन्तित भीं हूं ।

इंजीनियरिंग कालेज

+

†*६१२. **श्री राम कृष्ण** :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री आचार :
श्री ले० अचौ सिंह :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १६ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १२८७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा प्रारम्भ किये जाने वाले आठ इंजीनीयरिंग कालेज स्थापित करने की योजना स्वीकार कर ली गई है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नही, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). यह योजना सरकार के विचाराधीन है ।

†**श्री राम कृष्ण** : यह कालेज किन-किन स्थानों में स्थापित किये जा ेंगे ?

†**डा० म० मो० दास**: जहां तक इंजीनीयरिंग कालेजों का संबंध है, पूर्वी जोन में—पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर में एक और बिहार में जमशेदपुर में एक; पश्चिम जोन में एक नागपुर और एक भोपाल में; दक्षिण जोन में हैदराबाद में एक—जो अब बदल कर वारंगल कर दिया गया है, और एक मंगलौर में; उत्तरी जोन में एक इलाहाबाद और संभवतः एक श्रीनगर में स्थापित की जायेगी ।

†**श्री राम कृष्ण** : क्या सरकार को पंजाब सरकार से एक कालेज स्थापित करने के बारे में कोई ार्थना प्राप्त हुई है ?

†**डा० म० मो० दास** : मेरे पास इस समय कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री आचार** : यह कालेज कब कार्य प्रारम्भ करेंगे तथा क्या आगामी शैक्षणिक वर्ष में दाखिला शुरू हो जायेगा ?

†**डा० म० मो० दास** : यह संभव नहीं है । कई कालेज प्रारम्भ होने वाले हैं और कई प्रारम्भ कर दिये गये हैं ।

†**श्री ले० अचौ सिंह** : क्या योजना आयोग द्वारा नियुक्त समिति की उस रिपोर्ट की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है कि इंजीनीयरिंग के ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डरों की मांग और पूर्ति के बीच अन्तर १९६०–६१ में भी सदा की भांति बना रहेगा, और यदि हां, तो इस अन्तर में कमी करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**डा० म० मो० दास** : जहां तक ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर इंजीनीयरों की पूर्ति का संबंध है यह अत्यधिक सन्तोषजनक है । माननीय सदस्य द्वारा निर्दिष्ट समिति की रिपोर्ट यह थी कि १९६१ में हमें १०,००० ग्रेजुएट और १८,४७१ डिप्लोमा होल्डरों की आवश्यकता उत्पन्न होगी । इस वर्ष के दाखिल पहले ही लक्ष्य तक पहुंच गये हैं, अर्थात् यह १०,००० ग्रेजुएट और लगभग २०,००० डिप्लोमा होल्डर हैं । जब यह नये कालेज स्थापित हो जायेंगे तो दाखिले की संख्या इससे भी अधिक हो जायेगी । यह १३,००० ग्रेजुएट और २५,००० डिप्लोमा होल्डर हो जायेगी ।

†**श्री वासुदेवन नायर** : इस प्रकार के एक कालेज पर अनुमानित खर्च कितना है ?

†**डा० म० मो० दास** : यह कालेज बड़े रहेंगे और दाखिले की क्षमता लगभग २५० होगी । इन आठ कालेजों और २७ पोलीटेक्नीक पर कुल खर्च का अनुमान १७.४७ करोड़ रुपये अनावर्ती होगा । आवर्ती व्यय लगभग १.७५ करोड़ रुपये होगा ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या इन कालेजों की स्थापना के सिलसले में पंजाब पर भी विचार किया गया था ?

†**डा० म० मो० दास** : टेक्नीकल शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् ने भारत के प्रत्येक राज्य पर विचार किया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीकृत बीमा समवायों को प्रतिकर

†*६१३. **श्री केशव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व जीवन बीमा समवायों के सम्पूर्ण शेअर होल्डरों को पूरा प्रतिकर दे दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) प्रतिकर शेअर होल्डरों को नहीं प्रत्युत बीमा कम्पनियों को देय है । ३० अक्तूबर १९५८ तक दिये अन्तरिम एवं अधिग्रहण प्रतिकर बनाने वाला विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३७]**

(ख) (१) अनेक ीमा समवायों को प्रतिकर देने के प्रस्ताव रखे गये हैं किन्तु उन्होंने अभी तक अपनी सहमति से सूचित नहीं किया है ।

(२) कुछ समवायों से संबंधित प्रतिभूतियां गुम पाई गईं और इनसे उस समय सम्बद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध फौजदारी कार्यवाही चल रही है ।

(३) कुछ समवायों के खातों में अनियमितताएं मालूम की गई हैं और उनकी जांच की जा रही है ।

†**श्री केशव** : कितनीं प्रतिभूतियां ुमशुदा पाई गईं और उनके विरुद्ध चलाई गई कार्यवाहीं का क्या ॰रिणाम है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : मुझे इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्री तंगामणि** : विवरण में बताया गया है कि लगभग बीमा करने वाली ९७ कम्पनियों को ४.२८ करोड़ रुपये प्रतिकर के रूप म देने का प्रस्ताव रखा गया था । इसमें से कितनी कम्पनियों ने इसे स्वीकार किया है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : यह भी विवरण के तीसरे कालम में दिया गया है । ८६ ने स्वीकार किया है और यह रकम है ४.०५ करोड़ रुपये ।

†**श्री तंगामणि** : कुछ लोगों ने उसे स्वीकार किया है और उन्हें प्रतिकर दे दिया गया है । किन्तु कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके समक्ष प्रस्ताव रखा गया है मैं यह जानता हूं कि जिन ९७ व्यक्तियों के सामने प्रस्ताव रखे गये थे उनमें से कितने व्यक्तियों ने यह स ीकार किया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : विवरण में उन लोगों का उल्लेख किया गया है जिन्हें प्रतिकर दे दिया गया है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : प्रतिकर का क्या आधार है और क्या यह समवाय के पृथक म्ल्य पर निर्धारित है अथवा शेअरों के बाजार भाव के अनुसार है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : यह सब अधिनियम में दिया हुआ है और अधिनियम के उपबन्ध नियम के अनुसार प्रतिकर निर्धारित किया गया है ।

†**श्री बिमल घोष** : प्रतिकर बीमा समवायों को दिया गया था । क्या सरकार इस बात पर ध्यान देगी कि शेअरहोल्डरों को भी समवायों की ओर से उचित प्रतिकर दिया जाये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** यह समवाय का काम है ।

†**श्री विमल घोष :** समवाय तो है किन्तु उसने शेअर होल्डरों को आमंत्रित नहीं किया है।

†**श्री ब० रा० भगत :** यदि माननीय सदस्य बीमे के संबंध में जानकारी रखते हों तो इसे समझ जायेंगे । हमारे पास ऐसा कोई नियम नहीं है जो निदेशक बोर्ड को विवश कर सके।

†**अध्यक्ष महोदय :** समवाय का निदेशक ही शेअरहोल्डरों का एजेंट है। सरकार क्या कर सकती है ?

†**श्री विमल घोष :** शेअर होल्डरों के अतिरिक्त ज्वाइंट स्टाक कम्पनियों के रजिस्ट्रार हैं किन्तु उनका कहना है कि बीमा व्यवसाय सरकार ने ले लिया है और अब कुछ नही किया जा सकता है। शेअर होल्डर क्या कर सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** इसे किसी एडवोकेट को सम्बोधित किया जाना चाहिये ।

†**श्री तंगामणि :** विवरण में एक कालम है जिसमें बताया गया है कि अनेक बीमा समवायों को अन्तरिम प्रतिकर दिया गया है । क्या अन्तरिम प्रतिकर में वह लोग भी सम्मिलित हैं जिनके समक्ष प्रस्ताव रखा गया था ?

†**श्री ब० रा० भगत :** माननीय सदस्य ने कार्यवाही और अधिनियम का अध्ययन नही किया है । अन्तरिम प्रतिकर और अधिग्रहण प्रतिकर में अन्तर है। अन्तरिम प्रतिकर २३५ समवायों को दिया गया है यह सर्वथा भिन्न प्रश्न है और अधिग्रहण प्रतिकर से इसका संबंध नहीं है ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद्

+

†*६१४. { **श्री ही० ना० मुकर्जी :** / **श्री मोहम्मद इलियास :** }

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् के वैज्ञानिकों में ही नहीं परन्तु वैज्ञानिकों और प्रशासनिक कर्मचारियों के बीच भी वेतन, स्तर आदि के मामले में विषमता है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) जी नहीं । वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् में वेतन क्रम आदि भारत सरकार के समान ही हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मैं यह भी निवेदन कर दूं कि वेतन, पारिश्रमिक इत्यादि के विषय पर अभी वेतन आयोग विचार कर रहा है और जहां तक वैज्ञानिकों का सम्बन्ध है उन पर प्रो० महालनोबिस के सभापतित्व में देश के उच्च कोटि के वैज्ञानिकों से मिली जुली एक उच्च शक्ति समिति विचार कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या वैज्ञानिकों और प्रशासनिक कर्मचारियों की हैसियत में कोई अन्तर है और इसके परिणामस्वरूप पर्याप्त असंतोष उत्पन्न हो गया है ?

†डा० म० मो० दास : यह समझना कठिन है कि हैसियत का क्या अभिप्राय है। प्रशासनिक और वैज्ञानिक––दो अलग-अलग नामावलियां हैं। इन दोनों में समानता और तुलना किस प्रकार हो सकती है ?

†श्री ही० ना० मुकर्जी : लखनऊ के नेशनल हैराल्ड में ३ मई, १९५८ को एक सम्पादकीय लेख में कहा गया है कि परिषद् द्वारा संचालित विभिन्न विभागों में खुशामद का वातावरण फैला हुआ है और इसके परिणामस्वरूप काफी पक्षपात हो रहा है। क्या सरकार का ध्यान इस विषय की ओर आकर्षित किया गया है तथा क्या कोई कदम उठाये गये हैं ?

†डा० म० मो० दास : जहां तक वेतन क्रमों का सम्बन्ध है हम यह नहीं मानते हैं कि इन में विषमता है। उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में सब से ऊंचे पद डाइरेक्टर के हैं जिन्हें २,००० रु० या २,५०० रुपये वेतन मिलता है जब कि प्रशासनिक पक्ष में सबसे बड़ा पद डाइरेक्टर-जनरल का है जो भारत सरकार में सेक्रेटरी होता है। अतः वरिष्ठतम पद सेक्रेटरी का है। उसका वेतन क्रम ज्वाइंट सेक्रेटरी––२२५० रुपये है। यदि हम प्रशासनिक पक्ष में सब से निम्नतम पद को लें तो अधीनस्थ कार्यालयों में तृतीय श्रेणी के क्लर्क को ६०––१३० रुपये का वेतन क्रम मिलता है जबकि वैज्ञानिक पक्ष में जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट को ६०––१५० रुपये मिलते हैं।

†श्री दी० चं० शर्मा : वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् के कर्मचारियों के वेतन-क्रम निर्धारित करने के प्रयोजन से क्या उक्त कार्यालयों को केन्द्रीय सचिवालय का एक अंग समझा जायेगा अथवा उसे सम्बद्ध कार्यालय या अधीनस्थ कार्यालय माना जायेगा ?

†डा० म० मो० दास : वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् स्वायत्तशासी संगठन है। किन्तु उन्होंने अधिकांश नियम, विनियमन इत्यादि और वेतन क्रम तथा अन्य बातें भारत सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त की हैं।

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री जी ने अभी बतलाया कि इस कौंसिल के कर्मचारियों के वेतन में कोई अन्तर नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि वहां के कर्मचारियों ने बार-बार इस बात के ज्ञापन दिये हैं कि उन की बहुत सी कठिनाइयां हैं और जो उन के वेतन क्रम हैं वे दूसरे विभागों के कर्मचारियों के समान नहीं हैं। अतः क्या इस पर विचार किया जा रहा है, और अगर किया जा रहा है तो इस पर कब तक निर्णय किया जायेगा ?

†डा० म० मो० दास : यह सही नहीं है; वेतन की तुलना हो सकती है।

श्री भक्त दर्शन : मैं जो चीज़ जानना चाहता था उसका उत्तर नहीं दिया गया। मैं यह जानना चाहता था . . . .

†अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा कि कोई अन्तर नहीं है अतः इसमें कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती है।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता था कि क्या इस सम्बन्ध में कोई मेमोरैन्डम या ज्ञापन दिये गये हैं और उन के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने यह प्रश्न नहीं पूछा था ।

†**श्री आचार :** एक शिकायत है कि हमारे श्रेष्ठ वैज्ञानिकों को भारत में इतना अच्छा वेतन नहीं मिलता है जितना विदेशों में । इसे ध्यान में रखते हुए क्या सरकार वैज्ञानिकों का वेतन क्रम बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†**डा० म० मो० दास :** विदेशों के पास संसाधन हम से कहीं अधिक हैं । हम अमेरिका और इंगलैण्ड के समान नहीं दे सकते हैं ।

शारीरिक शिक्षा बोर्ड

†*६१५. { **श्री रा० च० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों से शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन के राज्य और विश्वविद्यालय बोर्ड स्थापित करने की प्रार्थना की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्पूर्ण राज्यों और विश्वविद्यालयों ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) अभी तक प्राप्त उत्तरों के आधार पर आपत्तियों के आधार सामान्यतया निम्न-लिखित हैं :—

(१) शारीरिक शिक्षा और खेलकूद सम्बन्धी क्रियाओं की देखभाल के लिये विभिन्न रूप पर एक समिति अथवा बोर्ड पहले से ही विद्यमान है ;

(२) वित्तीय संसाधनों का अभाव;

(३) राज्य क्षेत्र की मर्यादित साइज़ (केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों के विषय में) ।

†**श्री रा० च० माझी :** केन्द्र द्वारा राज्यों और विश्वविद्यालयों को कितनी वित्तीय सहायता दी जायेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** यह प्रश्न शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी बोर्डों के बारे में है अतः यह अनुपूरक प्रश्न विषय से सम्बन्धित नहीं है । फिर भी मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी दे दूं कि शारीरिक शिक्षा के विकास के लिये राज्य सरकारों को सहायता दी जा रही है ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** यह बोर्ड स्वतंत्र रूप में कार्य करेंगे अथवा यह केन्द्रीय बोर्ड के नियंत्रण में रहेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० का० ला० श्रीमाली : जी नहीं । केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड के अधीन काम करने का कोई प्रश्न नहीं है । पूरी योजना यह है कि राज्य बोर्ड शारीरिक शिक्षा के केन्द्रीय बोर्ड के सम्पर्क एवं सहयोग में काम करें ।

†श्री आसर: क्या सरकार जानती है कि बोर्ड शारीरिक शिक्षा की अपेक्षा मनोरंजन की ओर अधिक ध्यान दे रहा है और यदि हां, तो क्या सरकार इस स्थिति में सुधार करेगी ?

†अध्यक्ष महोदय : यह सब सुझाव है ।

†डा० का० ला० श्रीमाली : यह सुझाव कार्यवाही के लिये है ।

किंग जार्ज स्कूल, नौगांव

†*६१६. श्री अजित सिंह सरहदी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किंग जार्ज स्कूल को नौगांव (झांसी) से उठा कर पुनः पंजाब में ले जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की क्रियान्विति के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री के सभा-सचिव (श्री फतेह सिंह राव गायकवाड़) : (क) जी हां ।

(ख) स्थान नियत करने वाले बोर्ड की सिफारिश पर, जो पंजाब में वैकल्पिक स्थान पर आवास की उपयुक्तता के निर्धारित करने के लिये थी, अभी परीक्षण किया जा रहा है ।

†श्री अजित सिंह सरहदी : इस प्रस्ताव पर गत दो वर्ष से विचार किया जा रहा है । यह कब तक क्रियान्वित किया जायेगा और इसमें कितना समय लगेगा ?

†श्री फतेह सिंहराव गायकवाड़ : शीघ्र ही ।

†श्री अजित सिंह सरहदी : कोई सीमा है ?

†अध्यक्ष महोदय : शीघ्र ही का अर्थ है एक वर्ष के भीतर ।

†श्री अजित सिंह सरहदी: शीघ्र से क्या प्रकट होता है; यह एक वर्ष है या दो वर्ष है अथवा इससे अधिक है ?

†श्री फतेह सिंह राव गायकवाड़ : मैं निश्चित आश्वासन नहीं दे सकता हूं किन्तु मेरा विचार है कि यह कुछ महीनों में कर दिया जायेगा ।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस तरह से देहरादून के प्रिंस आव वल्स स्कूल का नाम बदल कर सैनिक विद्यालय कर दिया गया; इस विद्यालय का नाम अभी तक क्यों नही बदला गया । इसे अभी तक क्यों किंग जार्जेज़ स्कूल कहा जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : ट्रांसफर के बाद ।

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : यह कार्यवाही के लिये सुझाव है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र में उद्योगों को अमरीकी सहायता

+

†*६१७. श्री पाणिग्रही :
श्री राम कृष्ण :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री कुन्हन :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री वि० चं० शुक्ल :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री मोहम्मद इलियास :
पण्डित द्वा० ना० तिवारी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी निर्यात-आयात बैंक और विकास ऋण निधि ने भारत में गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र में उद्योगों को सीधे ऋण देने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) क्या इस प्रकार ऋण देने के पहले भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त उपमंत्री श्री ब० रा० भगत :** (क) अमरीकी निर्यात आयात बैंक और विकास ऋण निधि द्वारा गैर-सरकारी उद्योगों को सीधे ऋण मंजूर करने की पद्धति है। भारत में, १९५७ में निर्णीत एक मामले को छोड़ कर, इस प्रकार के ऋण सरकार की मार्फत ही दिये गये हैं। हाल ही में उक्त दोनों संस्थाओं द्वारा भारत में गैर-सरकारी उद्योगों को सीधे ऋण देने का उल्लेख किया गया है। इस विषय पर सम्बन्धित परियोजना के गुणावगुण के अनुसार ऋण की वार्ता प्रारम्भ होने पर विचार किया जायेगा।

(ख) जी हां। उपर्युक्त दोनों में से कोई भी संस्था भारत में गैर-सरकारी पार्टी को भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने तक ऋण नहीं देगी।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री पाणिग्रही :** भारत में गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र के लिये अमरीकी निर्यात-आयात बैंक और अमरीकी विकास ऋण निधि से कितनी सहायता रकम उपलब्ध होगी ?

†**श्री ब० रा० भगत :** पिछले वर्ष निर्यात-आयात बैंक से १५०० लाख डालर की रकम उपलब्ध हुई थी जिसमें से लगभग ५०० लाख डालर गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र के लिये मिलेंगे। विकास ऋण निधि से गत वर्ष ७५० लाख डालर की रकम उपलब्ध हुई थी जिसमें से ३५० लाख डालर या इससे लगभग रकम गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र के लिये उपयुक्त की जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** यह ऋण किस प्रकार के उद्योगों को दिये गये हैं—वे उपभोक्ता वस्तु उद्योग हैं अथवा अन्य वस्तुओं से सम्बन्धित है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र में ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** जी हां।

†**श्री ब० रा० भगत :** इस समझौते के अधीन सूती कपड़ा, रसायन, इंजीनियरिंग, मोटर गाड़ियां, मशीनी उपकरण और कोयला खानों से सम्बधित उद्योगों को सहायता मिलेगी।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** निर्यात आयात बैंक और विकास ऋण निधि से गत वर्ष जो ३५० लाख डालर ५०० लाख डालर का आवंटन किया गया है उसमें से विभिन्न उद्योगों को—इंजीनियरिंग वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं, सूती कपड़ा आदि उद्योगों को कितना कितना ऋण मिला है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** प्रत्येक उद्योग के आंकड़े बताना कठिन है। किन्तु मोटे रूप में यह कहा जा सकता है कि गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र में अभी तक १५० लाख डालर आवंटित किये जा चुके हैं और शेष आवंटित किये जा रहे हैं। अलग-अलग आंकड़े बताना कठिन हैं।

†**श्री राम कृष्ण :** क्या उद्योगपति सीधा आवेदन ले जाते हैं अथवा सरकार की मार्फत आवेदन करते हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत:** वह सीदा आवेदन कर सकते हैं किन्तु ऋण सरकार के अनुमोदन पर ही स्वीकार किया जा सकता है।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी:** हमारी इस सामान्य नीति को ध्यान में रखते हुए कि हमारे खर्च पर सरकार का सीधा नियन्त्रण होना चाहिये क्या सरकार इस बात के लिये विशेष सावधानी बरत रही है कि विदेशी वित्तीय हितों और भारत के औद्योगिकों में चल रही वार्ता का परिणाम देश के लिये हानिकर सिद्ध न हो।

†**श्री ब० रा० भगत :** यह ठीक है कि वे योजना की विशद रूपरेखा के अनुरूप हो।

†**श्री अ० क० गोपालन:** क्या विकास निधि अभिकरणों की कार्यवाहियां देश की सामान्य विधियों से नियन्त्रित होंगी ?

†**श्री ब० रा० भगत :** क्या विकास निधि ऋण के सम्बन्ध में ? किन्तु विकास निधि स्वयं ही बैंकिंग के सिद्धान्तों का अनुकरण करता है और सामान्य व्यावसायिक सिद्धान्तों के विपरीत कुछ नहीं किया जायेगा।

†**श्री दासप्पा :** गैर-सरकारी उद्योग के लिये रक्षित निधि में से क्या सीमेंट उद्योग के लिये भी कुछ रकम निर्धारित की गई है; और यदि हां, तो कितनी रकम निर्धारित की गई है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** विकास निधि के अधीन सीमेंट उद्योग भी सहायता पाने का अधिकारी है मैंने जो ब्यौरा दिया था वह निर्यात-आयात बैंक द्वारा प्रदत्त सहायता के अधीन था ?

†**श्री दासप्पा :** यह प्रश्न निर्यात-आयात बैंक तथा विकास निधि दोनों पर लागू होता है। मैं केवल विकास ऋण निधि के बारे में पूछ रहा हूं, क्या रकम में से कुछ भाग सीमेंट उद्योग के लिये निर्धा-

†मूल अंग्रेजी में

रित नहीं किया गया है; और यदि हां, तो कितना प्रयुक्त कर लिया गया है अथवा करने का विचार है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : उसका उत्तर यह है कि सीमेंट उद्योग सहायता प्राप्त करने का अधिकारी है।

†**श्री दासप्पा** : कितनी सहायता दी जायेगी।

†**श्री ब० रा० भगत** : अभी यह तय नहीं की गई है ?

†**श्री दामानी**: प्रारम्भ से अभी तक गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र को अमरीकी निर्यात-आयात बैंक और विकास निधि की ओर से कुल कितनी रकम ऋण स्वरूप मंजूर की गई है और कितनी रकम यथार्थ रूप में दे दी गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने इसका उत्तर पहले ही दे दिया है।

†**श्री ब० रा० भगत** : मैंने इसका उत्तर दे दिया था। और यदि अलग अलग आंकड़े चाहियें तो मुझे इसके लिये पूर्ण सूचना चाहिये।

†**श्री त्यागी** : माननीय मन्त्री ने बताया कि ऋण सरकार के मार्फत लिये जाते हैं। क्या इन ऋणों को समय पर चुकाने के लिये सरकार उत्तरदायित्व लेती है; और यदि हां, तो ऋण लेने वालों से वे क्या गारण्टी लेते हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत** : मैंने यह नहीं कहा था कि यह सरकार की मार्फत मिलती है। मैंने यह कहा था कि सरकार द्वारा अन्त में इसका अनुमोदन आवश्यक है। उन सब वार्ताओं का उद्देश्य विदेशी मुद्रा में अदायगी करना है, और सरकार द्वारा इसका अनुमोदन आवश्यक है। सरकार गैर-सरकारी पक्षों और इन अभिकरणों में चल रही बात से अवगत नहीं है और वह इस प्रकार के ऋण के लिये कोई गारण्टी नहीं देती है।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या सरकार इस दिशा में निश्चित जामकारी रखती है कि निर्यात-आयात बैंक अथवा विकास ऋण निधि से वार्ता करने वाली देश की प्रत्येक औद्योगिक पार्टी लोक नीति के मापदण्ड पर सही है और इन ऋणों की वसूली के लियें देश में कोई विदेशी बैंकिंग एजेंसी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में कार्य न करने पाये ?

†**श्री ब० रा० भगत** : सामान्य प्रश्न के सम्बन्ध में इसका उत्तर 'हां' है। किन्तु जहां तक हमारी जानकारी है हमारे पास अनुमोदन के लियें कोई मामला अभी नहीं आया है इन सब विषयों पर उनके गुणावगुण के अनुसार विचार किया जायेगा और योजना के मुख्य उद्देश्यों से उसका समायोजन किया जायेगा।

†**श्री नागी रेड्डी** : क्या यह सच है कि निर्यात-आयात बैंक द्वारा अनुमोदित ऋण सम्बन्धी एक मामले में क्या भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; उस विशिष्ट समवाय को कितना ऋण दिया गया है तथा उस समवाय का क्या नाम है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : १५०० लाख डालर की रकम के पहले यह स्थिति थी और यह सच नहीं है कि सरकार के अनुमोदन के बगैर ही यह स्वीकार किया गया था यह नेशनल रेयन के बारे में है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

यह ऋण १९५७ में अनुमोदित किया गया था। मेरे पास यह जानकारी नहीं है कि सहायता के रूप में इसे कितनी रकम मिली है।

†**श्री हेम बरूआ** : क्या यह सच नहीं है कि प्रो० राबिन्सन द्वारा हाल में ही सरकार को समर्पित रिपोर्ट में उन्होंने इन ऋणों और देश में विदेशी पूंजी को प्रभावित करने वाली करारोपण की समस्या पर उन्होंने चर्चा की है।

†**अध्यक्ष महोदय** : हम ऋण के विषय से करारोपण के प्रश्न पर जा रहे हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : उन्होंने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।

†**श्री महन्ती**: क्या यह सच है कि भारत में गर-सरकारी उद्योगों को निर्यात-आयात बैंक द्वारा दिये गये प्रत्येक ऋण के लिये भारत सरकार ने गारण्टी दी है ?

†**श्री ब० रा० भगत**: मैंने कहा था कि ऐसा केवल एक ही मामला है। पहले एक बार ऐसा हुआ था। और कोई मामला अनुमोदन के लिये प्राप्त नहीं हुआ है। गारण्टी का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

†**श्री महन्ती** : क्या भारत सरकार ने इनकी गारण्टी दी है।

†**श्री ब० रा० भगत** : सीधे ऋण मंजूर करने का एक मामला सरकार के सामने आया था।

†**श्री त्यागी** : क्या सरकार ने अधिकतम रकम निर्धारित कर दी है जिससे अधिक ऋण नहीं दिये जाने चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं नही समझ पाया हूं। क्या यह सब गैर सरकारी उद्योगों को प्रति वर्ष दी जाने वाली रकम है अथवा एक उद्योग के बारे में है।

†**श्री त्यागी** : क्या विदेशों से गैर-सरकारी उद्योगों को मिलने वाले ऋण की अधिकतम रकम निर्धारित की गई है कि जिससे अधिक वह कुछ नहीं ले सकें। यह ऋण सीमाहीन नहीं हो सकता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे ऊपर कितना ऋण है।

†**श्री ब०रा० भगत** : हम १९६४ की अवधि तक किसी प्रकार के ऋण का प्रोत्साहन नहीं कर रहे हैं किन्तु दो मापदण्ड के अनुसार यह किया जा सकता है। यह मामला गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र में है अथवा सरकारी उद्योग क्षेत्र में और दूसरे, उसी परियोजना पर विचार किया जा सकता है जो विदेशी मुद्रा का अर्जन करता है अथवा उसकी बचत करता है। यदि विदेशों से प्राप्त अथवा अन्य माध्यम से प्राप्त रुपये की सहायता से यदि वाह्य संसाधनों का कुल वितरण हो जाता है तो हम इस परियोजना पर विचार कर सकते हैं। गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र के विषय में मैंने कहा था कि हमें कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। अतः यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

†**अध्यक्ष महोदय**: माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि अधिकतम रकम निर्धारित की गई है।

†**श्री ब० रा० भगत** : अधिकतम राशि निर्धारित नहीं की जा सकती है।

†**श्री त्यागी** : क्या यह ऋण कुल ऋण से पृथक् है अथवा कोई ऐसी बात निश्चित की गई है कि द्वितीय योजना या तृतीय अथवा चतुर्थ योजना में विदेशों से प्राप्त ऋण के रूप में इतना ऋणी हुआ जा सकता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब० रा० भगत** : अधिकतम रकम का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि हमारे पास तो योजना के महत्वपूर्ण भाग के लिये भी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। हम अपने आपको योजना के महत्वपूर्ण भाग तक सीमित रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। महत्वपूर्ण भाग के अतिरिक्त यदि किसी अन्य योजना के लिये ऋण प्राप्त किया जाता है तो हम इस पर विचार करते हैं कि क्या उससे उतनी ही विदेशी मुद्रा की बचत अथवा अर्जन होता है। फिर हम इस परियोजना पर विचार करते हैं अतः माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वह केवल काल्पनिक है।

†**श्री त्यागी** : गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र द्वारा प्राप्त ऋण।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

राजनैतिक पीड़ित

\+

†६१६. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **शिक्षा** मंत्री २१ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजनैतिक पीड़ितों के आश्रितों को शिक्षा सम्बन्धी रियायतें देने का जो प्रश्न विचाराधीन था, क्या उस के विस्तार की बातें इस बीच निश्चित कर ली गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वह ब्यौरा बताने वाला विवरण सभा की टेबल पर रखा जायेगा;

(ग) ये रियायतें किस तारीख से दी जायेंगी;

(घ) सारे देश में ये रियायतें देने पर कुल कितना खर्च होने का अनुमान है; और

(ङ) यह खर्च केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच किस अनुपात से बांटा जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३८]**

(ग) आगामी शिक्षा वर्ष में।

(घ) १९५९–६० के लिये लगभग छः लाख रुपये।

(ङ) योजना को अमल में लाने के लिये राज्य सरकारों द्वारा किये गये खर्च का ५० प्रतिशत भाग और केन्द्र के अधीन इलाकों का कुल खर्च केन्द्रीय सरकार उठायेगी।

मैं उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़े देता हूं।

[इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : इस समय विभिन्न राज्यों की सरकारों के द्वारा इस तरह सहायता देने के कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे मद्रास सरकार ने विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा को निःशुल्क कर दिया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस नई योजना के लागू होने पर प्रान्तीय सरकारों की योजनायें इसी में सम्मिलित कर दी जायेंगी, या वे अपनी योजनायें स्वतन्त्र रूप से अलग चलाते रहेंगे ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : हम राज्य सरकारों को सुझाव दे रहे हैं कि जहां तक सम्भव हो समान नीति का अनुकरण किया जाये ।

श्री भक्त दर्शन : इस विवरण के अनुसार ३०० रुपये की आमदनी निश्चित की गई है, ताकि राजनीतिक पीड़ित इस सुविधा से लाभ उठा सकें। क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि बहुत से ऐसे राजनीतिक पीड़ित हैं, जोकि स्वयं आवेदन-पत्र देने में अपना अपमान समझेंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो झू -मूठ आंकड़े देकर दिखलायेंगे कि उन की आमदनी कम है और इस लिये क्या यह उचित नहीं होगा कि आमदनी की सीमा को समाप्त कर के सब को निःशुल्क शिक्षा दी जाये ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जो झूठ-मूठ आंकड़े देंगे, वे तो पकड़े जायेंगे और जो सच्चे काम करने वाले हैं, जो किसी कारणवश दरख्वास्त नहीं देना चाहते हैं, माननीय सदस्य महोदय या कोई भी अगर उन के लिये दरख्वास्त भेजेंगे या उन का नाम सुझायेंगे, तो उस पर विचार किया जा सकता है ।

†**सरदार अ० सि० सहगल** : क्या राजनीतिक पीड़ितों के आश्रितों को भी कुछ सुविधायें दी जायेंगी जो आज कल पब्लिक स्कूलों में हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली**: यह कहना कठिन है कि क्या सरकार पब्लिक स्कूलों में विद्यार्थियों का सम्पूर्ण खर्च वहन करेगी क्योंकि वे बहुत खर्चीले हैं हमारी इच्छा है कि यह रकम यथासम्भव अधिकतम व्ययक्तियों को प्राप्त हो सके ।

†**श्री नागी रेड्डी** : क्या यह शैक्षणिक अनुदान या सुविधायें उन राजनीतिक पीड़ितों को भी दी जायेंगी, जिन्हें पहले से ही जमीनें मिल चुकी हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : राज्य सरकारें इस का निर्णय करेंगी ।

†**श्री हेम बरूआ** : विवरण में कहा गया है कि राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता का आधार ५०:५० है । इस दिशा में किन-किन राज्यों ने सहयोग प्रस्तुत किया है तथा क्या यह विशेष सुविधायें राजनैतिक विचारधाराओं पर बिना ध्यान दिये प्रदान की जायेंगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : कुछ राज्य राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को पहले से ही कुछ सहायता दे रही हैं । इन राज्यों के नाम हैं :—

> आसाम, बिहार , केरल, मध्य प्रदेश—पुराना मध्य प्रदेश— मद्रास, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश । आन्ध्र, बम्बई, मैसूर, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल आदि कुछ राज्यों के पास इस विषय में कोई योजनायें नहीं हैं । हम उन से इस प्रकार की योजनायें तैयार करने का अनुरोध कर रहे हैं ।

†**श्री हेम बरूआ** : क्या राजनीतिक विचार धारा पर बगैर ध्यान दिये सहायता प्रदान की जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** देश को आजादी के लिये जेल जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सहायता मिलेगी ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** माननीय सदस्य सरकार पर एक प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। कि सरकार व्यक्ति और व्यक्ति में राजनीतिक विचारधारा के अनुसार भेदभाव करेगी। मैंने पहले ही कह दिया है भारत सरकार राज्य सरकारों को अनुदान देगी। सुझाव देना राज्य सरकार का काम है। ऐसी कोई मंशा नहीं है कि राजनीतिक विचारधारा के अनुसार भेदभाव किया जाय। उस की वर्तमान राजनीतिक विचार धारा कुछ भी हो किन्तु यदि वह राजनीतिक पीड़ित हैं तो उसे रियायत मिलेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** कोई राजनीतिक पीड़ित अब पीड़ित नहीं रहेगा। यह स्पष्ट है।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** चूंकि अभी तक कोई योजना नहीं है अतः क्या उन राजनीतिक पीड़ितों को अन्तरिम सहायता दी जायेगी जो अत्यन्त शोचनीय स्थिति में हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** योजना तैयार करने का काम पश्चिम बंगाल सरकार करेगी। जहां तक बच्चों की शिक्षा का सम्बन्ध है भारत सरकार इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** मैं आश्रितों की बात नहीं कर रही हूं। मैं स्वयं राजनीतिक पीड़ितों के लिये कह रही हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह विषय प्रश्न के क्षेत्राधिकार से बाहर है ।

बोकारो इस्पात संयंत्र

+

†*६२०. { **श्री अनिरुद्ध सिंह :**
श्री गुरारका :
सरदार इकबाल सिंह : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ११ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११८१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र पर अब तक कुल कितनी राशि व्यय की गई है और १९५८-५९ के अन्त तक कितनी राशि व्यय की जानी की संभावना है;

(ख) इस मामले में अब तक कितनी प्रगति की गई है ?

(ग) इस संयंत्र के परामर्शदाता कौन कौन हैं; और

(घ) क्या संयंत्र के लिये कोई परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) मार्च, १९५९ के अन्त से पूर्व ५ लाख रुपये व्यय होने की आशा है ।

(ख) एक प्रारम्भिक रूप रेखा का सर्वेक्षण किया जा चुका है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ). प्रारम्भिक परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने का काम कलकत्ता के मेसर्स एम० एन० दस्तूर ऐण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया है।

†**श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या सरकार का ध्यान पटना से निकलने वाले १७ नवम्बर, के इण्डियन नेशन में छपे उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि बोकारों इस्पात संयंत्र को किसी दूसरी जगह ले जाने की दृष्टि से उसे बन्द कर देने का विचार है, यदि है तो क्या सरकार इस बारे में एक निश्चित और स्पष्ट आश्वासन दे सकती है कि चौथा इस्पात संयंत्र जब भी कहीं स्थापित किया जायेगा तो वह बिहार के बोकारों में ही स्थापित होगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** माननीय सदस्य के प्रश्न की पृष्ठभूमि काल्पनिक है। हमारी विद्यमान योजना के अनुसार बोकारो सब से अधिक उपयुक्त स्थान है। वहां प्रारम्भिक कार्य आरम्भ हो गया है और जैसा कि सभा-सचिव ने बताया है, प्रारम्भिक परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिये एक भारतीय परामर्शदाताओं की फ़र्म की नियुक्ति की गई है। इस से अधिक मुझे और बताने की आवश्यकता नहीं है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** भारतीय परामर्शदाताओं को दिया जाने वाला वेतन इस से पहले के इस्पात संयंत्रों के लिये दिये गये वेतन से कितना कम है और वह प्रतिवेदन कब तक प्राप्त होने की आशा है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैं समझता हूं कि भारतीय परामर्शदाताओं को जो वेतन दिया जाने वाला है वह इस प्रकार के काम के लिये दिये जाने वाले वेतन के अनुरूप ही है, क्योंकि यह तो केवल प्रारम्भिक परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने का कम हैं। परामर्शदाताओं को प्रतिवेदन तैयार करने में ९ माह से ले कर एक वर्ष के बीच समय लगेगा।

जीवन बीमा व्यवसाय

\+

†*६२३. { **श्री अनिरुद्ध सिंह :**
श्री उ० च० पटनायक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८ में अब तक भारत जीवन बीमा निगम ने कितनी राशि का बीमा कर लिया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** १८०.७३ करोड़ रुपये (१७-११-१९५८)

†**श्री अनिरुद्ध सिंह :** जीवन बीमा निगम द्वारा इस वर्ष किये गये व्यवसाय के आंकड़े पिछले वर्ष के उसी काल की तुलना में खण्डवार कितने हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत :** मैं समझता हूं कि वह १० करोड़ रुपये कम हैं।

†**श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या आशा यह की जाती है कि इस वर्ष पिछले वर्ष के बराबर ही व्यवसाय होगा अथवा उस से अधिक ?

†**श्री ब० रा० भगत :** जीवन बीमा निगम व्यवसाय में वृद्धि करने के लिये सभी संभव प्रयत्न कर रहा हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रामेश्वर टांटिया : प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को देखते हुए जीवन बीमा व्यवसाय में कमी के क्या कारण हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत :** यह कहना सही नहीं है कि जीवन बीमा व्यवसाय में कमी हो रही है। वस्तुतः पिछले वर्ष जीवन बीमा निगम का व्यवसाय सबसे अधिक था और यह राशि २८१ करोड़ रुपये थी। खेती की दशा खराब होने और आर्थिक दशा खराब हो जाने के कारणों से इस वर्ष उसमें कुछ कमी हो गई है। फिर भी आशा यह की जाती है कि कम से कम पिछले साल के बराबर व्यवासय अवश्य पहुंच जायेगा।

†**श्री साधन गुप्त :** इसमें से नई कितनी पालिसियां ली गई हैं और पुरानी पालिसियों को प्रस्त कराके जो पहले अधिक किश्त पर ली गई थी उनका कितना अंश है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मैं पूर्वसूचना चाहूंगा।

†**श्री दामानी :** क्या और अधिक लोगों को आकर्षित करने के लिये प्रीमियम में कमी करने का विचार है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** इसका मुझे पता नही है।

†**श्री दासप्पा :** क्या अब भी पिछले सात आठ साल पहले की तरह ही प्रगति हो रही है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** राष्ट्रीयकरण करने से पहले से इसकी समानता करना उचित नही होगा; किन्तु यदि वास्तव में देखा जाये तो पिछले वर्ष एकाएक वृद्धि हो गई थी; पिछले अनुपातों से भी वह कहीं अधिक थी।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** जीवन बीमा निगम की कार्यपद्धति, उसके व्यवसाय का पता देने आदि के बारे में १६५७–५८ का अन्तिम प्रतिवेदन कब तक प्रकाशित होगा ?

†**श्री ब० रा० भगत :** वास्तव में अधिनियम के अधीन तो वर्ष समाप्त हो जाने के बाद प्रतिवेदन नौ मास में छप जाना चाहिये। किन्तु कुछ परिस्थितियों वश इसमें कुछ मास का विलम्ब हो गया है। आशा यह की जाती है कि इस मास के अन्त तक प्रतिवेदन उपलब्ध हो जायेगा।

†**श्री तिरुमल राव :** जनता पालिसी योजना के अन्तर्गत अब तक कुल कितना व्यवसाय किया जा चुका है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** यह ब्यौरा संबन्ध प्रश्न है, जिसके लिये मैं पूर्व सूचना चाहूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्रीमती इला पालचौधरी।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है वह जनता पालिसी योजना के बारे में था।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ब्रजराज सिंह : क्या यह सच है कि जीवन बीमा व्यवसाय में कमी का कारण क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों का असन्तुष्ट होना है ?

†श्री ब० रा० भगत : जी नहीं ।

सोने के बांड सम्बन्धी योजना

+

†*६२४. { श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री विभूति मिश्र :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया : }

क्या वित्त मंत्री १३ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सोने के बोंड संबंधी योजना पर अन्तिम निर्णय करने के बारे में कितनी प्रगति की गई है ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मामला अभी विचाराधीन है ।

†श्री वासुदेवन नायर : सरकार के मार्ग में क्या बाधा आ गई है ? क्या सरकार नई योजना से सहमत नहीं है अथवा इस योजना को चलाने में कोई व्यवहारिक कठिनाई है ? इसमें इतना विलम्ब क्यों हो रहा है ?

†श्री ब० रा० भगत : यह बड़े दूरगामी महत्व का मामला है ; कठिनाइयां व्यावहारिक ही न होकर सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक भी हैं ।

†श्री रामेश्वर टांटिया : चूंकि इसमें इतना विलम्ब हो रहा है, इस कारण क्या इस विचार को त्याग देना अच्छा नहीं होगा ?

†श्री ब० रा० भगत : यह माननीय सदस्य की राय हो सकती है ।

†श्री तंगामणि : यह कहा गया था कि रिजर्व बैंक ने सोना २,५०० करोड़ रुपये के मूल्य का लगेगा । सरकार को सोने के बांड जारी करके काफी धन मिलेगा, क्या इस बात को ध्यान में रखते हुये सरकार इस में शीघ्रता करने पर विचार करेगी ?

†श्री ब० रा० भगत : इस पर विचार करने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

बरौनी तेल शोधक कारखाने के लिये सहायता

+

†*६२५. श्री सुबोध हंसदा :
डा० रामसुभग सिंह :
श्री बर्मन :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री बहादुर सिंह :
श्री दामानी :
श्री राम कृष्ण :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री प्र० के० देव :
श्री वि० चं० प्रधान :
श्री वाजपेयी :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री सरजू पाण्डे :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री हाल्दर :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खान और तेल मंत्री के हाल के यूरोप के दौरे के समय उन्हें बरौनी में दूसरे तेल शोधक कारखाने की स्थापना करने के बारे में अनेक देशों के प्रस्ताव प्राप्त हुये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन प्रस्तावों पर सरकार ने विचार कर लिया है ; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा): (क) से (ग). प्रस्ताव अभी विचाराधीन हैं और जब तक उन पर अन्तिम निर्णय नहीं कर लिया जाता तब तक ब्यौरा बताना लोक हित में नहीं होगा ।

†श्री सुबोध हंसदा : किन-किन फर्मों और देशों ने प्रस्ताव किये हैं ?

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : हमें सोवियत रूस, ब्रिटेन, अमरीका, इटली, आस्ट्रिया आदि विभिन्न देशों से प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं ।

†श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि रूमानिया के विशेषज्ञ जो आसाम तेल शोधक कारखाने के लिये स्थान का चुनाव करने के काम में लगे हुए हैं उनकी यह राय है कि उस तेल शोधक कारखाने की उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सकती है और बरौनी तेल शोधक कारखाने को समाप्त किया जा सकता है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : इसका बरौनी के प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है जो यहां पूछा गया है ।

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा के सामान की बुकिंग

†*६२६. **श्री दशरथ देब :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम के किसी भी स्टेशन से कलकत्ता के लिये बुक कराये जाने वाले त्रिपुरा के सामान के लिये आसाम सरकार को कर देना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो यह कर किस दर से लिया जाता है ;

(ग) क्या इस कर से छूट मांगी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) जी हां, राज्य सरकार द्वारा आसाम के क्षेत्र से होकर त्रिपुरा से भेजे जाने वाले पटसन और चाय पर कर लगाया जाता है ।

(ख) पटसन पर आठ आने प्रतिमन और चाय पर एक आना प्रति पाउण्ड कर लगता है ।

(ग) और (घ). राज्य सरकार से निवेदन किया गया था कि वह त्रिपुरा से बुक किये जाने वाले सामान पर यह कर न लगाये । उसने यह सुझाव दिया है कि इस प्रकार के अन्तर्राज्यिक कर के प्रश्न पर सम्पूर्ण भारत के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा पुनर्विचार किया जायेगा ।

†**श्री दशरथ देब :** क्या सरकार को कुछ इस बात का पता है कि इस प्रकार के कर अपवंचन को रोकने के लिये त्रिपुरा में ही एक रेलवे आउट एजेंसी स्थापित की जाने वाली है ?

†**श्रीमती आल्वा :** जी हां, इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री दशरथ देब :** इस मामले को कब लिया जायेगा ?

†**श्रीमती आल्वा :** इसकी पूर्णरूपेण जांच कर लेने के पश्चात् इस ओर कदम उठाया जायेगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

केन्द्रीय खण्ड परिषद्

†*६०४. **श्री वि० च० शुक्ल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री ८ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय खण्ड परिषद द्वारा नियुक्त की गई समिति ने अपनी ४ जनवरी, १९५८ की बैठक में रेंड बांध से मध्य प्रदेश को विद्युत और जल संभरण के प्रश्न की जांच करने के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) :** (क) और (ख). समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है जिस के केन्द्रीय खण्ड परिषद् के समक्ष उस की अगली बैठक में रखे जाने की आशा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

टैगोर जन्म शताब्दी समारोह

†*६०५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २६ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर उन की कृतियों के प्रकाशन के बारे में और आगे क्या प्रगति की गई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : की गई प्रगति निम्न प्रकार है :

१. रवीन्द्रनाथ टैगोर की चुनी हुई १०१ कविताओं का 'एकोत्तरशती' नामक देवनागरी संस्करण (मूल बंगला में, सम्पूर्ण भाष्य) प्रकाशित किया गया है ।

२. ५०० गीतों के देवनागरी सस्करण की पांडुलिपि छप रहीं है ।

३. लेखों, यात्रा विषयक सचित्र व्याख्यानों, पत्रों आदि के तीन संकलित खंडों का संपादन-कार्य १९५८ के अन्त तक पूरा हो जायेगा ।

४. श्री मामा वरेरकर, संसद्-सदस्य द्वारा मराठी में २१ लघु कथाओं के अनुवाद की पाण्डुलिपि प्रेस के लिये तैयार है ।

५. नेपाली भाषा में २१ लघु कथाओं का अनुवाद कार्य आरम्भ कर दिया गया है ।

आय-कर की बकाया राशि

†*६०८. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आय-कर की बकाया राशि सम्बन्धी नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) बट्टे खाते की राशि का कितना अनुमान लगाया गया है ; और

(ग) १९५८-५९ और १९५९-६० में कितनी राशि वसूल हो जाने की संभावना है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) आय-कर की कुल बकाया राशि १-७-५ को २४७.६८ करोड़ रुपये थी जिस में अतिरिक्त लाभ कर और व्यापार लाभ कर भी शामिल है ।

(ख) ३७.३९ करोड़ रुपये ।

(ग) मोटे तौर से अनुमान यह लगाया गया है कि १९५८-५९ और १९५९-६० में क्रमशः इस बकाया राशि में से २२.०९ करोड़ और ३५.२७ करोड़ रुपये एकत्र कर लिये जायेंगे ।

खनिज तेल का आयात

*६१०. **श्री पद्म देव** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने वर्ष १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक अलग-अलग कितने मूल्य का खनिज तेल आयात किया ; और

(ख) आयात कम करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही

---

†मूल अंग्रेजी में

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): (क) खनिज तेलों (अशुद्ध तेल और विभिन्न साफ किये हुए पैट्रोलियम उत्पाद) के आयात के मूल्य के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारियों व्यापारिक खुफिया और आंकड़ों के प्रधान निदेशक द्वारा एकत्रित कर "भारतीय विदेशी व्यापार के मासिक आंकड़े" नामक किताब में प्रकाशित की जाती है। उस की प्रतियां लोक-सभा के पुस्तकालय में मिल सकती हैं। इस प्रकाशन के अनुसार १९५७-५८ में इन आयातों का कुल मूल्य १०७.९७ करोड़ रुपये था और चालू वित्तीय वर्ष में अगस्त के अन्त तक कुल मूल्य २८.६४ करोड़ रुपये था।

(ख) आर्थिक विकास की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के साथ-साथ सरकार इन तेलों का कम से कम आयात करने के लिये हर तरह से कोशिश कर रही है। लगभग आधे चालू आयात में तो अशुद्ध तेल आता है जिस की तेल की तीनों परिष्करणियों को पूरी क्षमता के साथ चालू रखने में आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो मिट्टी के तेल की तरह की कम मिलने वाली चीजों का अब से अधिक आयात करना पड़ेगा। अशुद्ध तेल के लिये आयात पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिये तेल खोजने का काम तेज कर दिया गया है। साफ किये हुए तेल के उत्पादों के आयात को कम करने के सम्बन्ध में सार्वजनिक क्षेत्र में दो नई परिष्करणियां स्थापित करने का काम किया जा रहा है जिस में क्रमशः १९६१ और १९६२ तक उत्पादन होने की सम्भावना है। इस समय के बीच में पैट्रोलियम उत्पादों के उपभोग में जहां तक हो सके मितव्ययता करने की सब को सूचना दे दी गई है। क्योंकि साफ किये हुए पदार्थों में मिट्टी का तेल आयात का सब से बड़ा हिस्सा है इसलिये तेल कम्पनियों से भी यह प्रार्थना की गई है कि वे इस मुश्किल से मिलने वाले पदार्थ का विक्रय कुछ कम करने की कोशिश करें।

पैट्रोल उपभोक्ता मंत्रणा परिषद्

†*६१८. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वितरण और मूल्य सम्बन्धी नीति पर उसे परामर्श देने के लिये एक पेट्रोल उपभोक्ता मंत्रणा परिषद् की स्थापना की है ;

(ख) देश की तेल कम्पनियों और बड़े-बड़े उद्योगों के अलावा इस समिति में और कौन-कौन से हितों का प्रतिनिधित्व किया जायेगा ; और

(ग) उस के निर्देश-पद क्या हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). पेट्रोल उपभोक्ता मंत्रणा समिति की रचना और कार्य सम्बन्धी पूर्ण विवरण संकल्प संख्या २६(७)/५८ पी० एस० दिनांक १२-५-५८ में दिये गये हैं (जो दिनांक १७-५-५८ के भारत के गजट के प्रथम भाग, सेक्शन १ के पृष्ठ १५८ पर छपा है। बड़े-बड़े उपभोक्ता हितों, संबंधित सरकारी विभागों तथा तेल वितरण करने वाली कम्पनियों के प्रतिनिधि इस में शामिल हैं। परिषद परामर्श देने वाली होगी जो सरकार को भिन्न-भिन्न समस्याओं पर, जिन से सामान्य पेट्रोल उत्पाद के उपभोक्ताओं पर प्रभाव पड़ता है परामर्श देगी। यह उन समस्याओं पर परामर्श देगी जो उपभोग में वृद्धि के कारण उत्पन्न हो गई हैं, मूल्य सम्बन्धी मामले उस के क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

†मूल अंग्रेजी में

केरल के स्कूलों में किताबें

†*६२१. **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल राज्य के स्कूलों के लिये निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये अभ्यावेदन किन लोगों ने किये हैं और वे किस प्रकार के हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इन अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाहीं कीं है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी हां ।

(ख) केरल के गैर-सरकारी स्कूलों के मैनेजरों की संस्था ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिस में कहा गया है कि केरल राज्य के स्कूलों के लिये निर्धारित सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें किसी विशेष विचार-धारा के लिये पक्षपातपूर्ण हैं ।

(ग) विषय विचाराधीन है ।

इस्पात संयंत्रों की लागत

†*६२२. **श्री नाथ पाई :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि 'एप्राइज़ल एण्ड प्रासपैक्ट्स आफ दि सेकेण्ड फाइव इयर प्लान' नामक प्रलेखीय चित्र में इस्पात संयत्रों के लिये ५१० करोड़ रुपये का उपबन्ध है, जबकि 'पुनर्मूल्यांकन' में यह राशि ४९५ करोड़ रुपये रखी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस १५ करोड़ रुपये की कमी के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३९]**

भारतीय विमान बल के पदाधिकारी की बर्खास्तगी

†*६२७ — **श्री उ० च० पटनायक :**
श्री स० म० बनर्जी :
श्री नागी रेड्डी :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमान बल का एक उच्च पदाधिकारी जो, विदेशी खरीद से सम्बद्ध था, हाल ही में बर्खास्त कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या बर्खास्तगी से पहले उसका कोर्ट मार्शल किया गया था ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) जी हां । बर्खास्तगी का सम्बन्ध विदेश में किये गये किसी सौदे से नहीं था ।

(ख) जी नहीं ।

†मूल अंग्रेजी में

बाल कल्याण

†*६२८. श्री नौशीर भरूचा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल-कल्याण की भारतीय परिषद् के उप-प्रधान द्वारा नई दिल्ली में ३० जून, १९५८ को तृतीय पंचवर्षीय योजना के एक अंग के रूप में बाल कल्याण के लिये एक स्थायी योजना बनाने के बारे में की गई अपील की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है; और

(ख) क्या सरकार का विचार तृतीय पंचवर्षीय योजना में बाल कल्याण के लिये कोई विशेष उपबन्ध करने का है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

महिलाओं और लड़कियों के अनैतिक व्यापार का दमन

†६२९. { डा० सुशीला नायर :
श्री हेम बरुआ :
श्री राम कृष्ण :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिलाओं और लड़कियों के अनैतिक व्यापार का दमन करने की कार्यान्विति में कितनी प्रगति की गई है;

(ख) क्या महिलाओं और लड़कियों के अनैतिक व्यापार दमन, अधिनियम १९५६ को कार्यान्वित करने में अनुभव की गई कठिनाइयां सरकार को बताई गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) सरकार के पास जो जानकारी उपलब्ध है उसे बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४०]

(ख) और (ग). जनता के बढ़ते हुए सहयोग और सामाजिक जागृति को देखते हुए आशा यह की जाती है कि अधिनियम पूर्णरूपेण प्रभावी होगा।

कोयला और कोक के मूल्य

†*६३०. श्री मोहम्मद इलियास : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा १९५८ में कोयले और कोक के मूल्यों पर पुनर्विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पुनर्विचार के तत्काल पूर्व नये मूल्य कैसे हैं; और

(ग) कोयला खान के मालिकों को १७ मई, १९५८ और २० अक्तूबर १९५८ के बीच कितनी अतिरिक्त राशि मिलेगी ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। मूल्यों पर पुनर्विचार १७ अक्तूबर, १९५८ से किया गया था।

(ख) कोयले के प्रचलित मूल्य में ३४ नये पैसे प्रति टन और कोक में ४५ नये पैसे प्रति टन की कमी हो गई है।

(ग) १७ मई, १९५८ से १६ अक्तूबर, १९५८ तक स्वीकृत मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मूल्यों पर इस प्रकार पुनर्विचार किया गया है जिससे १ अप्रैल, १९५८ से ३१ मार्च, १९५८ के एक वर्ष के समय में उद्योग को अतिरिक्त आय नहीं होगी।

व्यावहारिक आर्थिक गवेषणा की राष्ट्रीय परिषद्

†*६३१. सरदार इकबाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री पाणिग्रही :
श्री संगण्णा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यावहारिक आर्थिक गवेषणा की राष्ट्रीय परिषद् ने वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) क्या सरकार उससे सहमत हो गई है; और

(ग) इस संगठन को दी जाने वाली सहायता का व्यौरा क्या है ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). सरकार सिद्धान्त रूप से पांच वर्षों तक अर्थात् १९६२-६३ के अन्त तक आवर्ती अनुदान के रूप में २ लाख रुपये की राशि से अनधिक और परिषद् की इमारत बनवाने के लिये अनावर्ती अनुदान के रूप में ४ लाख रुपये से अनधिक राशि देने के लिये सहमत हो गई है।

बम्बई में मिट्टी के तेल की कमी

†*६३२. श्री आसर : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई और बम्बई राज्य के कुछ और भागों में मिट्टी के तेल की कमी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि इस कमी के कारण मिट्टी का तेल चोर बाज़ार में महंगे भाव पर बिक रहा है; और

(घ) यदि हां, तो बम्बई को मिट्टी के तेल का संभरण करने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) से (घ). उपभोग और देश में उत्पादन की कमी को पूरा करने के लिये काफी मात्रा में मिट्टी के तेल का आयात करना पड़ा है। तेल कम्पनियों से परामर्श करने के पश्चात् बाहर जाने वाली विदेशी मुद्रा में कमी करने के लिये

---

†मूल अंग्रेज़ी में

उनसे सितम्बर में यह निवेदन किया गया था कि वे तेल की कुल बिक्री में कमी करने की कोशिश करें। साथ ही साथ ऐसी कार्यवाही क्यों की गई यह सभी राज्य सरकारों को बता दिया गया था। बम्बई सरकार ने बताया है कि इसके परिणामस्वरूप बम्बई नगर में कमी हो गई थी और कुछ उपभोक्ताओं ने इस भय से तेल जमा करना प्रारम्भ कर दिया था कि तेल की कमी है। जो एजेंट पहले कम मात्रा में बेचने वालों को अपने कमीशन का कुछ हिस्सा दे दिया करते थे उन्होंने अब ऐसा करना बन्द कर दिया है इस कारण छोटे-छोटे विक्रेताओं ने फुटकर बिक्री का भाव एक के करीब बढ़ा दिया है। कुल बिक्री पर सीमान्त प्रतिबन्ध के अलावा जिसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा को बचाये रखना है, तल के संभरण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है और इस कारण आशा की जाती है कि संभरण लगातार जारी रहने से वह आशंका दूर हो जायेगी।

पन्ना की हीरे की खानें

†*६३३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने भारत सरकार से निवेदन किया है कि पन्ना की हीरे की खानों को एक और वर्ष तक एक-एक साल के पट्टे पर देती रहे ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : जी हां।

दिल्ली के दो छात्रों की मृत्यु

†*६३४. { **श्री नवल प्रभाकर** :
श्री भक्त दर्शन :
श्री राम कृष्ण :
श्री वाजपेयी :
श्रीमती इला पालचौधरी : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली से जो छात्र भारत दर्शन यात्रा पर गये थे, उन में से दो छात्र १४ अक्तूबर, १९५८ को द्वारका में डूब गये;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई;

(ग) क्या उसकी कोई जांच की गई है; और

(घ) जांच समिति की रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). दिल्ली प्रशासन इसकी जांच कर रहा है।

मनीपुर में खनिज पदार्थ

†*६३५. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण ने मनीपुर की पहाड़ियों में निकिल, तांबा तथा अन्य खनिजों का पता लगाया है; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो वे खनिज पदार्थ कौन-कौन से हैं जो वहां काफी मात्रा में हैं और जिनका विदोहन औद्योगिक प्रयोजनों के लिये किया जा सकता है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी हां ।

(ख) भारत के भूतत्वीय विभाग द्वारा अब तक की गई प्रारम्भिक जांच-पड़तालों से पता लगा है कि वहां निम्न खनिज हैं :—

नंगाऊ, कोंगल थाना और निंगथी (मकलांग खोंग) में तांबा-निकिल का मिश्रण ।

उखरुल सब डिवीजन में चूने का पत्थर ।

मोइ रांग क्षेत्र में कोयला ।

मोरेह क्षेत्र में अबरक, क्रोमाइट, एसबेस्ट्स आदि ।

और आगे जो जांच-पड़ताल की जा रही है उससे पता लगेगा इन खनिजों को निकालना बचत-पूर्ण होगा अथवा नहीं ।

हवा की चक्की

†*६३६. **श्री नरसिंहन्** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी जर्मनी द्वारा प्रस्ताव की गई हवा की चक्की प्राप्त हो गई है;

(ख) क्या सिंचाई और थोड़ी मात्रा में विद्युत् उत्पन्न करने वाली ग्रामीण क्षेत्रों के लिये कम मूल्य की हवा की चक्की का डिजाइन तैयार होकर वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् द्वारा पूरी बन चुकी है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार हवा का उपयोग करने के लिये इस प्रकार के डिजाइन की हवा चक्की का निर्माण और वितरण बड़ी संख्या में करने की योजना पर विचार कर रही है ?

†***वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) पम्प द्वारा जल निकालने के लिये कम मूल्य की दो प्रकार की चक्कियों का विकास किया गया है ।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४१]**

(घ) फिलहाल नहीं ।

आन्ध्र में बाढ़

†*६३७. { **श्री प्र० चं० बरुआ** : **श्री रामी रेड्डी** : **श्री मि० सू० मूर्ति** : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के श्री काकूलम और विशाखपटनम् जिलों में हाल में, आई बाढ़ों के कारण कितनी हानि हुई ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) केन्द्रीय सरकार ने क्या सहायता कार्य किया ;

(ग) किन-किन स्थानों पर पीड़ितों के लिए सहायता केन्द्र खोले गये ;

(घ) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र से वित्तीय सहायता की प्रार्थना की थी ; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी राशि थी ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४२**]

(ख) नियम के अनुसार सहायता कार्य सम्बन्धित राज्य सरकारें करती हैं और आन्ध्र सरकार ने विदित लोगों को सहायता देने के लिए पर्याप्त कार्यवाही की थी।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४२**]

(घ) जी हां।

(ङ) ५८,३८,४५७ रुपये।

दिल्ली में कारों की चोरी

†*६३८. **श्री प्र० के० देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५७ में दिल्ली में कितनी कारों की चोरी हुई ;

(ख) उनमें से अब तक कितनी मिल गई है ; और

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही की गई ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) ३६।

(ख) ३७।

(ग) कारों के स्वामियों को समाचार पत्रों द्वारा यह परामर्श दिया गया है कि वे कारों को बिना ताला लगाये न छोड़ा करें और अपनी कारों की चोरी के बारे में पुलिस को तुरन्त सूचना दिया करें ताकि उसी समय उसकी खोज की जाये।

जमुना नदी के प्रवाह का मार्ग परिवर्तन

†*६३६. { **श्री दी० च० शर्मा** :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ११ सितम्बर, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जमुना नदी के पानी को दिल्ली के पक्के घाटों के समीप लाने के लिए और क्या प्रयत्न किये गये ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : जमुना नदी को नहाने के घाटों के समीप लाने के सम्बन्ध में सर्वेक्षण के ब्यौरे पर हाल ही में केन्द्रीय जल तथा विद्युत् गवेषणा स्टेशन पूना के निदेशक के साथ दिल्ली नगरपालिका निगम के प्राधिकारियों ने चर्चा की थी, और इस विस्तृत सर्वेक्षण कार्य के लिए वे अनुमान तैयार कर रहे हैं।

†मूल अंग्रेजी में

सामाजिक शिक्षा सम्बन्धी हिन्दी साहित्य

†*६४०. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सामाजिक शिक्षा पर हिन्दी साहित्य को राज्य सरकारों के साथ ५० : ५० प्रतिशत के आधार पर खरीद रही है ;

(ख) क्या सरकार राज्य सरकारों के साथ इन्हीं शर्तों पर इस विषय पर अन्य प्रादेशिक भाषाओं का साहित्यिक भी खरीद रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) नहीं श्रीमान् ।

(ग) इस योजना का उद्देश्य केवल हिन्दी में सामाजिक शिक्षा सम्बन्धी साहित्य बढ़ाने को प्रोत्साहन देना है क्योंकि हिन्दी का प्रचार करना केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व है । राज्य सरकारें इसी प्रकार की पुस्तकें प्रादेशिक भाषाओं में खरीद सकती हैं और अपनी वार्षिक योजनाओं में उसका व्यय सम्मिलित कर सकती हैं जिसमें केन्द्रीय सरकार ५० प्रतिशत अंशदान देगी ।

राजस्व सम्बन्धी गुप्तचर विभाग का निदेशालय

†*६४१. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में बनाये गये राजस्व सम्बन्धी गुप्तचर निदेशालय का स्वरूप तथा गठन क्या है ; और

(ख) क्या इस निदेशालय ने पाकिस्तान से राजस्थान की सीमा पर अत्यधिक मात्रा में चोरी छिपे सोना लाने को रोकने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

राजस्व गुप्तचर निदेशालय एक स्वतन्त्र संगठन है और इसका स्तर सम्बद्ध कार्यालय का सा है तथा यह सीधा वित्त मन्त्रालय (राजस्व विभाग) के नियन्त्रण के अधीन है ।

यह निदेशालय सब प्रकार के तस्कर व्यापार के मामलों को निबटाता है और तस्कर व्यापार तथा कर अपवंचन की जानकारी का अध्ययन तथा सूक्ष्म परीक्षण करने के लिए उत्तरदायी है और अखिल भारतीय स्तर पर ऐसे अपवंचन को रोकने के लिए साधन जुटाने, कार्य सम्बन्धी निरीक्षण करने और जहां कहीं आवश्यक हो गुप्तचर तथा निवारक दलों का नवीकरण करने और तस्कर व्यापार तथा कर अपवंचन के महत्वपूर्ण मामलों में उनकी सहायता करने और उपरोक्त कार्यों सम्बन्धी अन्य मामलों के लिए उत्तरदायी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस समय इसके दो मुख्य विभाग हैं, जांच तथा सूचना विभाग । एक विवरण जिसमें मंजूर की गई कर्मचारियों की संख्या और निदेशालय के कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन क्रम दिये गये हैं सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४३]**

(ख) हां, श्रीमान् । राजस्थान सीमा पर जितने सीमा शुल्क सम्बन्धी कार्यालय थे उन सब को पुनर्गठित किया गया है और निदेशालय के कहने पर उसमें काफी कर्मचारी बढ़ा दिये गये हैं ।

कोयले का समान मूल्य

†*६४२. **श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में कोयले के एक समान मूल्य रखने की प्रस्थापना के बारे में इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय का क्या स्वरूप है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) तथा (ख). इस प्रश्न के सब पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् सरकार ने आज तक की खानों के स्थान पर मूल्य निर्धारित करने की प्रथा को जारी रखने का निर्णय किया है और आजकल की ही तरह भाड़े का सम्बन्ध स्थान के अन्तर से सम्बद्ध रहने दिया है ।

भारतीय विवरणिका[1]

†*६४३. **श्री राम कृष्ण : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विवरणिका के पुनरीक्षण की प्रारूप योजना तैयार हो गई है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रारूप योजना को स्वीकार कर किया है ; और

(ग) यदि हां तो क्या इस की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबीर)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

केन्द्रीय विवरणिका विभाग ने प्रारूप योजना तैयार करली है जिसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४४]**

२५ सितम्बर, १९५८ में नई दिल्ली में भारतीय तथा ज़िला विवरणिकाओं के पुनरीक्षण के लिए केन्द्रीय मन्त्रणा बोर्ड की दूसरी बैठक हुई थी जिसमें इस पर चर्चा की गई थी । बैठक के सारांश बोर्ड के सदस्यों में परिचालित किये गये थे और उन्होंने उन्हें स्वीकार कर लिया है । योजना के अन्तिम रूप पर भारत सरकार विचार कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Indian Gazetteer.

प्रविधिक संस्थाओं के अध्यापक

†*६४४. { **श्री रा० च० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रविधिक संस्थाओं के अध्यापकों के वेतन क्रम में सुधार करने और परिवर्तन करने के लिए बनाई गई विशेषज्ञ समिति ने डा० जे० सी० घोष की अध्यक्षता में जो सिफारिशें की थीं उन्हें कार्यान्वित करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या सरकार ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) और (ख). प्रविधिक संस्थाओं के अध्यापकों के वेतनों में सुधार करने के बारे में प्रविधिक शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

कोयले की छोटी खानों का एकीकरण

†*६४५. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री ३० अगस्त १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले की छोटी खानों के एकीकरण के सम्बंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त विधान का प्रारूप तैयार करने से पूर्व कोयले की छोटी खानों के स्वामियों से परामर्श करने का सरकार का विचार है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख). खानों की स्वेच्छा से एकीकरण कारखोनों के लिए सरकार द्वारा स्थापित की गई समिति की एक बैठक पहले २६ अक्तूबर, १६५८ को हुई थी । इस ने पश्चिमी बंगाल और बिहार की खानों को परिपत्र भेजे हैं जिन में उन से खानों के एकीकरण और सीमाओं के समायोजन के लिए प्रस्थापनायें मांगी है । प्रस्थापनायें मिलने पर समिति उन की जांच करेगी ।

जहां तक अनिवार्य एकीकरण का सम्बंध है आवश्यक विधान का प्रारूप तैयार किया जा रहा है । प्रारूप बिल को अन्तिम रूप देने से पूर्व उद्योग के उपबंधों पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया जायेगा ।

तिब्बत में प्राचीन पाण्डुलिपियां

*६४६. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २६ अगस्त, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५३४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तिब्बत में भारत के लिए महत्वपूर्ण पुरातन ग्रंथों व पाण्डुलिपियों के अध्ययन और उनकी सूची तैयार करने के बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : मामले पर अभी विचार हो रहा है ।

रूरकेला में इस्पात रोलिंग मिलें

†*६४७. **श्री मुरारका** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या रूरकेला में इस्पात रोलिंग मिलों के स्थापित करने के लिए किसी को ठेका दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किस सार्थ को ठेका दिया गया था ;

(ग) यह ठेका कितनी धन राशि का है; और

(घ) ठेकेदार की अर्हतायें और अनुभव क्या हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (घ). रूरकेला में रोलिंग मिल लगाने का ठेका निम्नलिखित ठेकेदारों को दिया गया था :

संयत्र	ठेकेदार	मिल लगाने की अनुमित. लागत
ब्लूमिंग और सलेविंग मिल .	. सर्वश्री संक	१६ लाख रुपये
हाट स्ट्रिप मिल	. सर्वश्री डेमग	७१ लाख रुपये
प्लेट मिल	. सर्वश्री फीडक्रुम	१४ लाख रुपये
कोल्ड रोलिंग मिल .	. सर्वश्री सीमाग	२१ लाख रुपये

जिन ठेकेदारों को मिल लगाने का काम दिया गया है वही सामान का संभरण करते हैं। उन्हें अपने द्वारा निर्मित सामान को लगाने का काफी अनुभव है ।

मूर्तियों का जीर्णोद्धार

†*६४८. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरातत्व विभाग मूर्तियों के जीर्णोद्धार आदि के कार्य के लिए और विशेषतः तामिनाड़ और उड़ीसा में इस कार्य के लिए पैतृक स्थापतियों की योग्यताओं से लाभ उठाने का विशेष प्रयत्न करता है ; और

(ख) क्या यह सच है कि कोणार्क और अन्य स्थानों पर यह कार्य साधारण ठेकेदारों के श्रमिकों को सौंपा जाता है जिन्हें मूर्तियों के जीर्णोद्धार संबंधी कार्य का न तो अनुभव ही है और न रुचि ही ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

†मूल अंग्रेजी में

चाय पर लगाये गये करों का केन्द्रीयकरण

†*६४९. श्रीमती मफ़ीदा अहमद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों और केन्द्रीय सरकार द्वारा चाय पर लगाये गये सब करों के केन्द्रीयकरण के लिए केन्द्रीय सरकार को सुझाव मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) सरकार सुझाव पर विचार कर रही है ।

दक्षिणी प्रादेशिक परिषद्

†*६५०. श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री पुन्नूस :
श्री वाजपेयी :
श्री राम कृष्ण :
श्री रामी रेड्डी :
श्री तंगामणि :

क्या गृह-कार्य मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में अक्तूबर, १९५८ में त्रिवेन्द्रम में हुई दक्षिणी प्रादेशिक परिषद् में किये गये निर्णय और सिफारिशें बताई गई हों ?

†गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : परिषद् द्वारा किये गये निर्णयों के सारांश की प्रति ज्यों ही तैयार होगी सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मुद्रा विनिमय सम्बन्धी करार के अधीन भारत में पूंजी विनियोजन

†*६५१. श्री वि० चं० शुक्ल :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और अमरीका के बीच मुद्रा विनिमय सम्बन्धी करार के अधीन अमरीका के कुछ सार्थों से भारत को पूंजी विनियोजन के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रार्थना पत्रों में से कितने स्वीकृत किये गये हैं और उन में जो प्रस्थापना की गई है उन का क्या विवरण है ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) ऐसे दो प्रार्थना पत्र अब तक मंजूर किये गये हैं । प्रस्थापनाओं का ब्योरा बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४ ।]

---

†मूल अंग्रेजी में

आसाम के तेल के लिए शोधनशाला

†*६५२. श्री विद्या चरण शुक्ल : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम तेल कम्पनी के प्रतिनिधि ने डायरेक्टर आफ आयल इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड के तदर्थ बोर्ड में अन्तर्राष्ट्रीय पैट्रोल सम्बन्धी परामर्शदाताओं का प्रतिवेदन सरकार को भेजते समय इस बात पर बल दिया है कि आसाम में तेल के क्षेत्र के निकट एकीकृत शोधन-शाला स्थापित करने और देश के विभिन्न भागों में शोधित उत्पादों को ले जाने के लिए पाइप लगाने की आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस प्रस्थापना पर क्या कार्यवाही की है और क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) आसाम तेल कम्पनी लिमिटेड ने अन्तर्राष्ट्रीय पैट्रोल परामर्शदाताओं की रिपोर्ट भेजते हुए इस बात की सिफारिश की है कि आसाम में एक शोधनशाला स्थापित की जाये और नाहरकटिया से इस शोधनशाला तक अशुद्ध तेल के लिए पाइप लगाया जाये और वहां से बरूनी तक तेल के उत्पादों के लिये पाइप लगाया जाये ।

(ख) सरकार ने ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् यह निर्णय किया है कि १४ जनवरी, १९५८ को बर्मा आयल कम्पनी / आसाम आयल कम्पनी ने जो करार किया था उस के अन्तर्गत जो दो शोधनशालायें और एक अशुद्ध तेल की पाइप लाइन की जो योजना बनाई गई थी उसे तुरन्त कार्यान्वित करना चाहिये ।

पैट्रोल उद्योग में पूंजी विनियोजन

†*६५३. श्री दी० चं० शर्मा : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के पैट्रोल उद्योग में कितनी विदेशी पूंजी का नियोजन हुआ है ;

(ख) इस समय इस उद्योग में कितनी भारतीय पूंजी लगी हुई है; और

(ग) उपरोक्त उद्योग में भारतीय पूंजी विनियोजन को बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) और (ख). सम्बन्धित समवायों से एकत्रित की गई जानकारी के अनुसार पैट्रोल के मुख्य उत्पादों का वितरण करने वाले समवायों और देश देश की शोधनशालाओं (जिन में आसाम आयल कम्पनी भी है जो तेल की खोज भी करती है और उत्पादन की और जिस में स्टैण्डर्ड वैक्यूम आयल कम्पनी का पश्चिमी बंगाल में तेल की खोज की योजना के लिये विनियोजन भी है) कुल विनियोजन (जिस में कार्यवहन पूंजी भी सम्मिलित है) लगभग २४४ करोड़ है जिस में २१४ करोड़ विदेशी पूंजी है और ३० करोड़ भारतीय पूंजी है।

(ग) सरकार ने पहले ही पैट्रोल उद्योग के स्वयं पूंजी विनियोजन आरम्भ कर दिया है वे सरकारी उद्योग क्षेत्र में दो नई शोधनशालायें स्थापित करने के लिये कार्य कर रही है इस के अतिरिक्त

---

†मूल अंग्रेजी में

इस ने तेल, प्राकृतिक गैस आयोग के द्वारा सरकारी उद्योग क्षेत्र में तेल की खोज के कार्यक्रम में काफी पूंजी लगाई है और उस कार्यक्रम को अधिकाधिक बढ़ाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में तेल की खोज की योजना में स्टैण्डर्ड वैक्यूम आयल कम्पनी भाग ले रही है जिस में २५ प्रतिशत अंश सरकार के भी हैं। सरकार रुपया कम्पनी में भी ३३ प्रतिशत अंश रखेगी जो आसाम के नाहरकटिया तेल क्षेत्र से अशुद्ध तेल के परिवहन और उत्पादन के लिये बर्मा आयल कम्पनी तथा आसाम आयल कम्पनी की साझेदारी में निगमित होगी।

केन्द्रीय सचिवालय के असिस्टेंट

†*६५४. { श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री महन्ती :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ और १९५९ में केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना में काम करने वाले केन्द्रीय सचिवालय और विभिन्न विभागों में केन्द्रीय सरकार को कुल कितने असिस्टेंटों की आवश्यकता है; और

(ख) इसे पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) १ अक्तूबर १९५८ को केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना में कार्य करने वाले सब कार्यालयों में बताये असिस्टेंट श्रेणी के रिक्त पदों की संख्या २०५ थी।

(ख) रिक्तियां अंशतः पदोन्नति द्वारा और अंशतः संघ लोक सेवा आयोग की प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं द्वारा सीधी भर्ती से भरी जायेंगी ;

तेल निकालने के लिए भूमि में छेद कर का सामान

†*६५५. **श्री राम कृष्ण** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि तेल निकालने के लिये भूमि छेदन के सामान की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक सरकारी उद्योग क्षेत्र में तेल की खोज का कार्य पूरा करने के लिये रिग, गैस लागिंग और एलेक्ट्रोलागिंग आदि छिद्र करने का सामान प्राप्त करने के लिये किस प्रकार के प्रयत्न किये गये हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) विभिन्न देशों से और रिग तथा अन्य सम्बन्धित उपकरण प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

†मूल अंग्रेज़ी में

भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास

†*६५६. { श्री हो० ना० मुकर्जी :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री २४ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १५६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन के इतिहास के प्रकाशन में यदि कोई प्रगति हुई है तो वह क्या है; और

(ख) क्या अब तक जो सामग्री एकत्रित की गई है और जो भविष्य में एकत्रित की जानी है उसे किसी विशेष पुस्तकालय में संभाल कर रखा जायेगा और वह विद्वानों के लिये उपलब्ध की जायेगी ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) इस में और प्रगति के बारे में अभी कुछ नहीं बताया जा सकता।

(ख) यह प्रश्न तो केवल उस समय उठ सकता है जब इतिहास लिखने का कार्य पूरा हो चुका हो ।

अन्दमान और निकोबार द्वीपों में स्कूल

†९६८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय अन्दमान में जितने स्कूल हैं क्या वह पर्याप्त हैं; और

(ख) अन्दमान और निकोबार द्वीपों में स्कूलों की संख्या बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का०ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). अन्दमान के वर्तमान स्कूलों की संख्या पर्याप्त नहीं है । १९५८–५९ के अन्त से पूर्व वहां ६ और प्राइमरी जूनियर बेसिक स्कूल खोले जा रहे हैं। १९५९–६० में और १२ प्राइमरी जूनियर बेसिक स्कूल खोलने का उपबन्ध किया जा रहा है। गत वर्ष एक सीनियर बेसिक स्कूल लड़कियों के लिये और एक व्यापारिक स्कूल खोला गया था। चालू वर्ष में खोले जाने वाले नये स्कूलों के लिये प्रशिक्षित अध्यापकों की भर्ती की जा रही है।

नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय

†९६९. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम कृष्ण :

क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय के भवन का निर्माण करने में कितनी प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य-उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : राष्ट्रीय संग्रहालय के भवन के निर्माण के प्रथम चरण का ८० प्रतिशत अंश पूरा हो गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्धनों को कानूनी सहायता संबंधी समिति

†९७०. श्री द० चं० शर्मा : क्या विधि मंत्री १६ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १३०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के निर्धन व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता देने के उपाय सुझाने के लिये समिति नियुक्त करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस) : यह मामला अब भी विचाराधीन है।

अमृतसर के जलियांवाला बाग में राष्ट्रीय स्मारक

†९७१. श्री द० चं० शर्मा : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्री १६ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १२९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण करने मे कितनी प्रगति हु हैई ?

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : कार्य में सामान्यतया ३३ प्रतिशत प्रगति हुई है।

तस्कर-व्यापार

†९७२. { श्री द० चं० शर्मा :
श्री पांगरकर :

क्या वित्त मंत्री १६ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १२८६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने तस्कर व्यापार की समस्या का अन्त करने के लिये संयुक्त रूप से कुछ कार्यवाही की है; और यदि हां, तो क्या; और

(ख) अब तक उस के क्या परिणाम हुए हैं ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) संयुक्त रूप से और आगे कुछ भी कार्यवाही नहीं की गई है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच इस विषय पर जानकारी का और विनिमय नहीं हुआ है ;

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारत शिक्षा सेवा[1]

†९७३. श्री द० चं० शर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री १८ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४६३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत शिक्षा सेवा की स्थापना में और आगे कितनी प्रगति हुई है ?

†गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : कुछ और उत्तर प्राप्त हुए हैं। अब तक प्राप्त उत्तरों से पता चला है कि राज्यों में अखिल भारत शिक्षा सेवा की स्थापना के विषय में विशेष उत्साह नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Indian Educational Service

मुरादपुर (काश्मीर) में पैट्रोलियम निक्षेप

†९७४. श्री द० चं० शर्मा : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री १८ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि काश्मीर राज्य में मुरादपुर के निकट पैट्रोलियम निक्षेपों के सर्वेक्षण में और कितनी प्रगति हुई है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : आगामी फील्ड-सीजन में इस क्षेत्र का भूतत्वीय सर्वेक्षण करने का विचार है ।

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में महिलाओं की शिक्षा

†९७५. श्री द० चं० शर्मा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में स्त्रियों की शिक्षा के संवर्द्धन के लिये पिछले तीन वर्षों में क्या कार्यवाही की गई है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : लड़कियों के एक सीनियर बेसिक स्कूल को छोड़ कर, जिस ने १४-११-१९५८ को कार्य आरम्भ किया था; अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी स्कूलों में सह-शिक्षा की व्यवस्था है । इस द्वीप समूह में स्त्रियों की शिक्षा के संवर्द्धन के लिये पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित कार्यवाही और की गयी है :

(१) भारत सरकार उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये ग्यारह छात्राओं को छात्र-वृत्तियां दी गयीं ।

(२) हाई स्कूल म लड़कियों के लिये गृह-शास्त्र एक पृथक विषय बना दिया गया है ।

(३) ललित कलायें, सिलाई और कसीदाकारी सिखाने का प्रबन्ध किया गया है।

(४) स्थानीय अस्पतालों में लड़कियों को नर्सिंग सिखाने के लिये अंश-कालिक व्यवस्था की गई है ।

(५) कई महिला अध्यापिकायें नियुक्त की गई हैं ।

राष्ट्रीय अभिलेख सर्वेक्षण समिति

†९७६. श्री राम कृष्ण : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) किन किन राज्यों ने अब तक क्षेत्रीय अभिलेख सर्वेक्षण समितियां नियुक्त नहीं की हैं ; और

(ख) इन समितियों की स्थापना के लिये क्या कार्यवाही की गई या की जाने वाली है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख) जिन राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों ने अभी तक क्षेत्रीय अभिलेख समितियों की स्थापना नहीं की है उन के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ४६]

---

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात कारखानों के क्षेत्र में गृह-निर्माण

९७७. **श्री राम कृष्ण** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न इस्पात कारखानों के क्षेत्र में प्रत्येक में श्रमिकों के लिये कितने-कितने मकानों का निर्माण किया गया है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : रूरकेला :

विभागीय कर्म भारित कर्मचारियों के लिये उपनगर क्षेत्र में २०–२० कमरों वाले ५ ब्लाक, २६ निसन झोंपड़ों[1] और ११ बैरकों का निर्माण किया गया है। विभागीय श्रमिकों के लिये कारखाने के क्षेत्र में अब तक विवाहित परिवारों के लिये ५४ ब्लाक (प्रत्येक में ९ परिवार रह सकते हैं) और अविवाहित व्यक्तियों के लिये ८० ब्लाक (प्रत्येक में ४० व्यक्ति रह सकते हैं) बनाये गये हैं।

भिलाई :

विभागीय श्रमिकों के लिये १९१० अस्थायी क्वार्टर और १०० अस्थायी हटमेंट्स बनाये गये हैं। २३४० अस्थायी क्वार्टर और १००० अस्थायी हटमेंट्स बन रहे हैं।

दुर्गापुर :

दुर्गापुर उपनगर के अधिकांश विभागीय श्रमिक स्थानीय लोग ही हैं और उन्हें स्थान की आवश्यकता नहीं है। फिर भी जिन्हें स्थान की आवश्यकता थी उन के लिये दो हटमेंट्स बना दिये गये हैं।

आसाम में अपरिष्कृत तेल

†९७८. **श्री राम कृष्ण** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में अपरिष्कृत तेल के कितने संसाधन होने का अनुमान है ; और

(ख) उन से देश की अपरिष्कृत तेल और गैस सम्बन्धी आवश्यकतायें किस सीमा तक पूरी हो सकेंगी ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): (क) अब तक जिन पुष्ट सूचनाओं, संकेतों और संभावनाओं का पता चला है उन से आसाम के नहारकटिया, हुगरीजन, मोरन और डिग्बोई क्षेत्रों में ४२५ लाख टन अपरिष्कृत तेल होने का अनुमान है। शिवसागर में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा शेष क्षेत्रों में आसाम आयल कम्पनी द्वारा गहन छिद्रण कार्य आरम्भ होना अभी बाकी है और इसीलिये उस के परिणामों का पता बाद में चलेगा।

(ख) अब तक आसाम में जिन निक्षेपों का पता चला है उन से देश की लगभग ४० प्रतिशत आवश्यकतायें पूरी हो जाने की आशा है।

सरकार ने आसाम में प्राप्त प्राकृतिक गैस के उपयोग के सम्बन्ध में परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिये परामर्शदाताओं की एक इतालवी फर्म, सोसायता नेजो नेल के मेतानोडोत्ती[2] को नियुक्त किया है। उस के प्रतिवेदन का इंतजार है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Nissen Huts

[2] Societa Nazionale Metanodotte.

वित्त मंत्री के कार्यालय के कर्मचारी

†९७९. श्री राम कृष्ण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त मंत्री के कार्यालय में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ; और

(ख) इन में से कितनों को विशेष वेतन मिलता है ; और उस की राशि कितनी है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : पहली दिसम्बर, १९५८ को स्थिति इस प्रकार थी :

(क) उन्तीस ।

(ख) पांच ।

व्यौरे का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४७]

आज़मगढ़ और गाजीपुर के स्मारक

†९८०. श्री कालिका सिंह : क्या वैज्ञानिक गवेशणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम, १९०४ और प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारक और पुरातत्वीय स्थान तथा अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) अधिनियम, १९५१ के अधीन उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और गाजीपुर के किन-किन प्राचीन स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित किया गया है और किन-किन को प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थान और अवशेष अधिनियम, १९५८ में शामिल करने के सम्बन्ध में जांच की जा रही है ;

(ख) क्या आजमगढ़ जिले में राजा दौलत खां के मक़बरे और मेहनगर के विशालकाय पत्थर के किले को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित किया गया था, लेकिन बाद में इन्हें इस सूची से निकाल दिया गया ; और

(ग) यदि हां, तो क्यों ?

†वैज्ञानिक गवेशणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम, १९०४ के अधीन आजमगढ़ और गाजीपुर जिले के जिन स्मारकों और स्थानों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है उन की एक सूची सभा पटल पर रखी जाती है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४८]. प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारक और पुरातत्वीय स्थान तथा अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) अधिनियम, १९५१ के अधीन इन जिलों के किसी भी स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक नहीं घोषित किया गया । प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थान तथा अवशेष अधिनियम, १९५८ में शामिल करने के उद्देश्य से इन जिलों के किसी भी स्मारक के विषय में जांच नहीं की जा रही ।

(ख) और (ग). मेहनगर का किला संरक्षित स्मारक नहीं है । राजा दौलत खां का मकबरा अब भी संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल है और इसे उस में से निकाल देने का कोई विचार नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

लाहौल और स्पीती क्षेत्र

†९८१. श्री हेम राज : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाहौल और स्पीती क्षेत्रों में एक गांव से दूसरे गांवों को जाने वाले रास्तों को चौड़ा करने की योजना का रूपभेद करने के बारे में पंजाब सरकार का कोई अनुरोध केन्द्रीय सरकार को मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य-सरकार का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है ।

उड़ीसा के स्मारक

९८२. श्री प्र० के० देव : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में राष्ट्रीय महत्व के कौन-कौन से मन्दिर, स्मारक और स्थान हैं ; और

(ख) १९५६-५७, १९५७-५८ और १९५८-५९ में उन को देखरेख के लिये कितनी राशि दी गई ?

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४९]

बद्रीनाथ के रास्ते पर गोपेश्वर का मन्दिर

†९८३. श्री हो० ना० मुकर्जी : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बद्रीनाथ के रास्ते पर पड़ने वाला गोपेश्वर का मन्दिर कई वर्षों से जीर्ण शीर्ण होता जा रहा है ;

(ख) क्या पुरातत्व विभाग ने १९५६ में मंदिर का निरीक्षण और आवश्यक मरम्मत कराने का निश्चय किया था ;

(ग) क्या तब से इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० मा० मो० दास) : (क) इस बात की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया था कि गढ़वाल जिले में गोपेश्वर के एक मंदिर की अवस्था जीर्ण-शीर्ण होती जा रही है । यह मन्दिर कोई रक्षित स्मारक नहीं है ।

(ख) से (घ). इस मंदिर का निरीक्षण कराने का निश्चय किया गया था । लेकिन रक्षित स्मारकों के सम्बन्ध में काम का बोझ बहुत ज्यादा होने की वजह से इस अरक्षित स्मारक का निरीक्षण कराना संभव नहीं हुआ । अगली गर्मियों में इस का निरीक्षण कराया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बहरे, गूंगे और अंधे

†९८४. श्री कुम्भार : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य के गूंगे, बहरे और अंधे छात्रों के लिये शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध करने के लिये १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा राज्य-सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) क्या इन छात्रों की उच्चतर शिक्षा के लिये भी कोई योजना है; और

(ग) इस योजना का व्यौरा क्या है और ये संस्थायें किन-किन स्थानों पर हैं ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क)

१९५७-५८ . .	३,०२५ रुपये
१९५८-५९ (अक्तूबर, १९५८ तक) .	२,६६७ रुपये

(ख) स्कूली शिक्षा से ऊंची शिक्षा देने की कोई योजना नहीं है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उत्तर प्रदेश सरकार को बेरोजगार सम्बन्धी सहायता

९८५. श्री सरजू पाण्डे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ और १९५७-५८ में बेरोजगारी दूर करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को कितनी धनराशि सहायता और ऋण के रूप में दी गयी; और

(ख) उन योजनाओं का व्यौरा क्या है जिन पर यह धनराशि व्यय की जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) विकास योजनाओं के लिये राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता मिलने से उन्हें कुछ सीमा तक बेरोजगारी दूर करने में सहायता मिलती है। उत्तर प्रदेश में, खासकर बेरोजगारी दूर करने के लिये, अभी तक एक योजना के लिये स्वीकृति दी गयी है। इस योजना का नाम है "रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये बिजली की सुविधाओं का विस्तार"। इसके लिये १९५६-५७ में ४० लाख और १९५७-५८ में २४ लाख रुपये के ऋण स्वीकृत किये गये थे।

(ख) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५०]

रूरकेला इस्पात कारखाने में पुनर्नियुक्त पदाधिकारी

†९८६. श्री प्र० गं० देव : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने निवृत्त सरकारी कर्मचारियों को रूरकेला इस्पात कारखाने में पुनर्नियुक्त किया गया है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : उन्नीस।

†मूल अंग्रेजी में

छोटे हथियारों का निर्यात

†६८७. श्री उ० च० पटनायक : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रायें कमाने के लिये छोटे हथियारों का निर्यात करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). फौजी हथियारों और उपकरणों की बिक्री की योजना को प्रगट करना लोक-हित में नहीं है ।

आधारभूत शिक्षा और सामुदायिक विकास में दृश्य उपकरणों के बारे में यूनेस्कों की गोष्ठी

†६८८. { श्री दी० चं० शर्मा :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में सितम्बर, १९५८ में दक्षिण और पूर्व एशिया क्षेत्र के लिये आधारभूत शिक्षा और सामुदायिक विकास में दृश्य उपकरणों के बारे में यूनेस्को की जो विचार-गोष्ठी हुई थी उसमें किन-किन देशों के प्रतिनिधि आये थे;

(ख) उसमें किन-किन विषयों पर चर्चा की गयी;

(ग) क्या सरकार ने श्रव्य-दृश्य शिक्षा के लिये यूनेस्को व्यूरो की स्थापना के सम्बन्ध में कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो क्या ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (घ). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५१]

खमरिया का युद्ध सामग्री कारखाना

†६८९. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खमरिया के युद्ध-सामग्री कारखाने के भांडार में नुकसान और कमी होने की खबर की जांच करने के लिये जिस जांच बोर्ड की स्थापना की गई थी क्या उसके प्रतिवेदन का अध्ययन कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या सिफारिशें की गयी हैं; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) यह प्रतिवेदन अब भी विचाराधीन है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का पुनर्गठन

†९९०. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री २६ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का पुनर्गठन करने की योजना में कितनी प्रगति हुई है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के पुनर्गठन का प्रश्न अब भी विचाराधीन है ।

स्कूली बच्चों को मुफ्त मध्याह्न भोजन

†९९१. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पांगरकर :
डा० सुशीला नायर :
श्री ले० अचौ सिंह :
श्री आसर :
श्री प्र० के० देव :
श्री वि० चं प्रधान :
श्री अ० क० गोपालन् :
श्री कुन्हन :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से राज्य स्कूली बच्चों को मुफ्त मध्याह्न भोजन दे रहे हैं या देने को राजी हो गये हैं; और

(ख) इन राज्यों को इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने १९५८-५९ में कितने-कितने अनुदान दिये हैं ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५२]

प्रतिरक्षा उत्पादन नियोजन समिति

†९९२. { श्री दी० चं० शर्मा :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा उत्पादन नियोजन समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी हां। प्रतिरक्षा उत्पादन नियोजन समिति की प्राथमिक रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों पर सरकार ने विचार कर लिया है और उनमें से अधिकांश को तो ज्यों की त्यों और कुछ को थोड़े रूपभेद के साथ सरकार ने स्वीकार भी कर लिया है।

(ख) यह निर्णय अधिकांशतः उत्पादन सम्बन्धी समस्याओं, विभिन्न प्रक्रियाओं और प्रशासनिक गतिरोधों तथा युद्ध-सामग्री कारखानों के प्रबन्ध तथा संगठन के बारे में थे।

उच्चतर शिक्षा संस्थायें

†९९३. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अखिल भारतीय स्तर की उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के विस्तार के लिये बहुत बड़ी राशि अलग की गयी है;

(ख) यदि हां, तो इन संस्थाओं के विस्तार के लिये इस राशि को किस प्रकार व्यय किया जाता है; और

(ग) कितनी संस्थाओं को अखिल भारतीय स्तर की उच्चतर शिक्षा संस्थायें माना जाता है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये १५.० लाख रुपयों का उपबंध है।

(ख) प्रत्येक संस्था को अपने अपने गुणावगुणों के आधार पर सहायता अनुदान दिये जाते हैं और इसके लिये भारत विद्या संस्था जैसे विशेषज्ञ निकायों से भी राय ले ली जाती है।

(ग) इस प्रयोजन के लिये मान्यताप्राप्त संस्थाओं की कोई सूची नहीं है। प्रत्येक अर्जी पर गुणावगुण के आधार पर विचार होता है।

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय

†९९४. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक उच्चन्यायालय और उच्चतम न्यायालय में कितने मामले विचाराधीन हैं;

(ख) इनमें से कितने मामले (१) एक वर्षों से (२) दो वर्षों से और (३) पांच वर्षों से विचाराधीन हैं; और

(ग) इन मामलों को निबटाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है और आगे की जाने वाली है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). यह जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उच्च न्यायालयों में मुकदमें शेष रह जाने की समस्या पर जून, १९५७ के बाद से कई बार राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ इस उद्देश्य से चर्चा की गयी है कि इस मसले पर और क्या कार्यवाहीं की जा सकती है। सितम्बर, १९५७ में विधि मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ था उसमें भी इस विषय पर चर्चा हुई थी और उस सम्मेलन ने जो सिफारिशें की थीं उन्हें उच्च-न्यायालयों के परामर्श से आगे की कार्यवाही के लिये राज्य सरकारों को भेज दिया गया था। कई उच्च-न्यायालयों ने अधिकांश सिफारिशें मान ली हैं। भारत के मुख्य न्यायाधिपति ने भी मुख्यतः इसी प्रश्न पर चर्चा करने के लिये अक्तूबर, १९५७ में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन बुलाने की कृपा की थी। जहां भी आवश्यक समझा गया, उच्च-न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किये गये हैं। शीघ्र न्याय करने के लिये प्रक्रिया सम्बन्धी विधि में परिवर्तन के प्रश्न पर विधि आयोग विचार कर रहा है।

असिस्टेंटों की भर्ती

†९९५. **श्री बहादुर सिंह**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जुलाई, १९५७ में असिस्टेण्टों की भर्ती के लिये ली गयी परीक्षा के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सचिवालय में असिस्टेण्टों की भर्ती करते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित प्रतिशत स्थानों का ध्यान रखा गया था; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण थे?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). जुलाई, १९५७ में ली गयी परीक्षा के परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये अलग-अलग ५६ स्थान रक्षित किये गये थे, जिनका ब्यौरा इस प्रकार से है:—

	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां
केन्द्रीय सचिवालय सेवा	५०	५४
भारतीय विदेश सेवा (बी) .	३	१
रेलवे बोर्ड . . .	३	१
	५६	५६

अनुसूचित जातियों के लिये रक्षित स्थानों इस परीक्षा के परिणामस्वरूप भर दिये गये हैं। परन्तु अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित स्थान उसके परिणामस्वरूप नही भरे जा सके थे, आदिम जाति के किसी भी अभ्यर्थी ने भी इस परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं की है।

नागरिकों को बन्दूक चलाने की शिक्षा

९९६. **श्री पद्म देव**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५४ से भारत के कितने नागरिकों को बन्दूक चलाना सिखाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रकार प्रशिक्षित लोगों को लाइसेंस दे दिये हैं;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो उन लोगों की संख्या क्या है जिन्हें १९५७ और १९५८ में अब तक लाइसेंस दिये गये हैं; और

(घ) क्या सरकार शिक्षा संस्थाओं में इस प्रशिक्षण को अनिवार्य बना रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा-समय में वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे यात्री टिकट दर अधिनियम, १९५७

†९९७. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे यात्री टिकट-दर अधिनियम, १९५७ की धारा के अधीन यात्रियों को अथवा यात्रियों के किन्हीं वर्गों को कर में कुछ छूट दी जाती है, और यदि हां तो कितनी छूट दी जाती है; और

(ख) १९५८ में अभी तक विभिन्न प्रकार के यातायात के अधीन कर के रूप में कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)।** (क) जी, नहीं।

(ख) लोक सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें बताया गया है कि १-१-१९५८ से ३१-८-५८ तक विभिन्न यातायात के विवरणों के अधीन प्राप्त किये गये यात्री किराये करों की कितनी राशि है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५३]** विवरण में बताये गये आकड़े अभी अस्थायी हैं क्योंकि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से अभी इनकी पुष्टि नहीं हुई है।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कर्मचारी

†९९८. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के हेडक्वार्टर के कर्मचारियों के कार्यों तथा सेवा की शर्तों का विनियमन करने वाले कोई स्थायी आदेश अथवा नियम बनाये गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख). राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के हेडक्वार्टर के कर्मचारियों के कार्यों तथा सेवा की शर्तों का विनियमन करने के लिये कोई अलग स्थायी आदेश अथवा नियम नहीं बनाये गये हैं। परन्तु राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के सभी कर्मचारियों की सेवा के निबन्धनों और शर्तों के सम्बन्ध में नियम तैयार कर लिये गये हैं और आशा है कि वे शीघ्र ही निगम पर लागू हो जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजनीतिक पीड़ित

†९९९. { **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १९ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७-५८ और १९५८-५९ में अभी तक दिल्ली के संघ क्षेत्र में रहने वाले राजनीतिक पीड़ितों को किस किस प्रकार की सहायता दी गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त):** एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५४]**

निर्धन विद्यार्थी सहायता निधि

†**१०००. श्री पाणिग्रही :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्कल विश्वविद्यालय ने १९५७-५८ में निर्धन विद्यार्थी सहायता निधि के लिये कोई अनुदान मांगा था; और

(ख) क्या उत्कल विश्वविद्यालय से १९५८-५९ के लिये भी कोई प्रस्थापना प्राप्त हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) नवम्बर, १९५७ में उत्कल विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यह सूचित किया था कि विश्वविद्यालय ने अनुदान आयोग के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है कि विश्वविद्यालय में 'विद्यार्थी सहायता निधि' स्थापित की जाये और विश्वविद्यालय इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहा है। फिर भी विश्वविद्यालय ने १९५७-५८ में इस प्रयोजन के लिये आयोग को कोई निश्चित योजना नहीं भेजी थी।

(ख) उत्कल विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यह सूचित किया है कि १९५८-५९ में इस सम्बन्ध में विद्यार्थियों से लग ग १०,००० पये एकत्रित हो जाने की आशा है। जब विश्वविद्यालय आयोग को यह बता देगा कि विद्यार्थियों से उतनी राशि एकत्रित हो गयी है तो आयोग भी उसे १०,००० रुपयों की राशि अदा कर देगी।

मोटर इंजीनियरिंग

†**१००१. श्री राम कृष्ण :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी क्षेत्र में मोटर गाड़ी इंजीनियरिंग कोर्स उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उस क्षेत्र में इस प्रकार का कोर्स प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जा रहीं है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). १९५५ में योजना आयोग द्वारा नियुक्त इंजीनियरिंग कर्मचारी समिति ने यह अनुभव किया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में मोटरगाड़ी इंजीनियरिंग के स्नातकों और प्रमाणपत्र धारियों की कोई विशेष मांग नहीं है। इसलिये केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधायें देने के लिये कोई विशेष कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न ही नही होता।

केन्द्रीय नरतत्व विज्ञान मंत्रणा बोर्ड

†१००२. **श्री राम कृष्ण :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १३ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय नरतत्व विज्ञान मंत्रणा बोर्ड के द्वारा की गयी सिफ़ारिशों पर विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनके सम्बन्ध में सरकार के क्या विचार हैं ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा तथा सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) और (ख). जी हां। उन ३३ सिफ़ारिशों में से २४ को सिद्धान्त के रूप में स्वीकार कर लिया गया है।

विदेशियों के विरुद्ध फौजदारी के मुकदमे

†१००३. **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य के शोलावरम पुलिस स्टेशन में दो विदेशी व्यक्तियों के विरुद्ध एक फौजदारी मामला दर्ज किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी न्यायालय में उन के विरुद्ध कोई अभियोग लगाया गया है ; और

(ग) क्या वे विदेशी अब भारत से चले गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग). उन्हें मद्रास स्थित पश्चिमी जर्मनी के वाणिज्य दूत के कहने पर वापिस जर्मन भेज दिया गया है। उन पर पश्चिमी जर्मनी के डूसले डोर्क के न्यायालय में मुकदमा चल रहा है।

प्राचीन अवशेषों का पुनर्नवीकरण

†१००४. **श्री ह्री० ना० मुकर्जी :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५६ में नालन्दा में बुद्ध जयन्ती समारोह के अवसर पर एक पुरानी ईंटों के फर्श को तोड़ कर नई ईंटों का फर्श बना दिया गया था ;

(ख) क्या इसी प्रकार से सांची में सीमेंट के नये निर्माण और मरम्मत के कारण कुछ एक स्थानों के अवशेषों की प्रामाणिकता समाप्त हो गई है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस बात की दृष्टि से कि पुरानी वस्तुओं की प्राचीनता पर कुछ असर न पड़े, क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां। १९५६ में एक प्राचीन ईंटों के फर्श को जो कि टूट फूट गया था, हटा कर वहां पर नयी ईंटों का उतना ही बड़ा एक फर्श बना दिया गया है। नालन्दा में प्राचीन के स्थान पर नयी ईंटों की वस्तुयें इस प्रकार से रखी ही जाती हैं, क्योंकि पुरानी ईंटें अधिक देर तक उसी रूप में नहीं रह सकतीं।

(ख) सांची में सीमेंट की कोई नयी वस्तु अथवा पुरानी वस्तुओं की ऐसी कोई भी मरम्मत नहीं की गई है जिस से उन वस्तुओं के अवशेषों की प्रामाणिकता पर कोई बुरा असर पड़े।

(ग) सदा मरम्मत इस प्रकार से की जाती है कि वह पुरातत्वीय परिरक्षण के सिद्धान्तों के अनुसार हो।

केलड़ी में श्री रामेश्वर मन्दिर

†*१००५ { **श्री वासुदेवन् नायर :**
श्री नागी रेड्डी :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री कुन्हन : }

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिमोगा ज़िले के केलड़ी के श्री रामेश्वर मन्दिर के छत की मार्च और जून, १९५७ में मरम्मत की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो मार्च और जून, १९५७ में मन्दिर की मरम्मत पर कुल कितनी राशि खर्च की गई थी ;

(ग) क्या पुरातत्व विभाग के मद्रास सर्किल के सुप्रिटेन्डेण्ट ने पुरातत्व विभाग के महा-निदेशक को इस मन्दिर की और अधिक मरम्मत करने के सम्बन्ध में प्राक्कलन भेजे हैं ;

(घ) क्या उन नये प्राक्कलनों के लिये मंजूरी दे दी गई है ; और

(ङ) क्या सरकार को शिमोगा जिले के उपायुक्त से कार्य के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां।

(ख) मन्दिर की मरम्मत पर निम्नलिखित राशियां खर्च की गई थीं :

मार्च, १९५७	२,०४९.०० रुपये
जून, १९५७ . . .	३१८.०० रुपये

(ग) और (घ). जी, हां। सर्किल सुप्रिटेन्डण्ट ने ३,७४०.०० रुपयों का एक और प्राक्कलन भेजा था जिसे पुरातत्व विभाग के महानिदेशक द्वारा मंजूर किया गया था। कार्य १९५७-५८ में कर लिया गया था।

(ङ) जी, नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रगति हाई स्कूल, अगरतला

†१००६. **श्री दशरथ देब** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रगति हाई स्कूल अगरतला में छात्रावास के निर्माण के लिये कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ख) प्रशासन द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है कि दी गई राशि का उसी काम के लिये उपयोग किया गया है जिस के लिये वह राशि दी गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) ३,००० रुपये ।

(ख) उन राशियों का उचित उपयोग होना चाहिये यह देखने के लिये शिक्षा निदेशालय का एक निरीक्षक पदाधिकारी नियुक्त किया गया है । संस्थाओं से इस बात की आशा की जाती है कि वे कार्य के पूरा हो जाने पर किसी चार्टर्ड एकाउंटैण्ट से अपने लेखे का परीक्षण करायें और फिर वह शिक्षा निदेशालय को भेज दें । कोई भी अनियमितता देखने पर उन संस्थाओं के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जाती है और आवर्तक सहायता अनुदान देना बन्द कर दिया जाता है ।

त्रिपुरा में बन्दूकों के लाइसेन्स

†१००७. **श्री दशरथ देब** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ और १९५८-५९ में अभी तक त्रिपुरा में कितने आदिम जातीय व्यक्तियों ने डिवीजन-वार बन्दूकों के लाइसेंसों के लिये आवेदन किया है ; और

(ख) उक्त अवधि में डिवीजन-वार कितने व्यक्तियों को बन्दूकों के लाइसेंस दिये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५५]**

कांगड़ा जिले की पंचायतों को प्रतिकर

†१००८. **श्री हेम राज** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६, १९५७ और १९५८ में फील्ड फायरिंग अभ्यास के लिये पंचायतों की भूमियों का इस्तेमाल करने के लिये कांगड़ा जिले की कछियारी और कोहाल की पंचायतों को प्रतिकर के रूप में कितनी राशि दी गई थी ;

(ख) क्या सरकार को पंचायत घुरकारी से प्रतिकर की अदायगी के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) वहां पर कितनी दुर्घटनायें हुईं, कितने व्यक्तियों और पशुओं को चोटें पहुंचीं और कितनों की मृत्यु हुई थी और उन के क्या क्या कारण थे ; और

(ङ) क्या हताहत व्यक्तियों के सम्बन्धियों को कोई प्रतिकर दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) कछियारी की पंचायत—१३१-१- रुपये प्रति वर्ष ।

कोहाल की पंचायत—१७-२-० रुपये प्रतिवर्ष ।

(ख) जी हां ।

(ग) घुरकारी की पंचायत को भी १९५६ से २६-१३-० रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से प्रतिकर दे दिया गया है ।

(घ) १९५६ में किसी भी दुर्घटना के बारे में रिपोर्ट नहीं मिली है । १९५७ और १९५८ में १९-२-५७, ३-३-५८ और २२-५-५८ को क्रमशः तीन दुर्घटनायें हुई थीं । प्रथम दुर्घटना में एक लड़का मारा गया था । दूसरी में दो नारियों को मामूली सी चोटें आई थीं । तीसरी में एक आदमी मारा गया था । ये सभी दुर्घटनायें फील्ड फायरिंग अभ्यास के कारण हुई थीं । पशुओं के हताहत होने के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

(ङ) प्रथम और तृतीय दुर्घटना के सम्बन्ध में प्रतिकर अभी तक अदा नहीं किया गया है । द्वितीय दुर्घटना के सम्बन्ध में डाक्टरी चिकित्सा के रूप में प्रतिकर अदा कर दिया गया था ।

इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के अधीन काम करने वाली समितियां

†**१००९. श्री दलजीत सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री, २४ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के अधीन चलने वाली प्रत्येक समिति के कितने-कितने सदस्य हैं ; और

(ख) प्रत्येक समिति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने-कितन सदस्य हैं ;

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क)

समिति का नाम	सदस्यों की संख्या
(१) कोयला दाम पुनरीक्षण समिति . . .	७
(२) कोयला खानों में एकत्रित करने के लिये दामोदर घाटी निगम नदी के डेल्टा से रेत प्राप्त करने, उन के परिवहन और वितरण के उपायों के सम्बन्ध में ब्यौरेवार सर्वेक्षण तथा जांच करने के लिये विशेषज्ञों का दल	९
(३) पश्चिमी बंगाल के आसनसोल सब-डिवीजन में ग्रांड ट्रंक रोड और बरकार टाउन के अधीन काम करने वाली कोयला खान के स्थापित्व के लिये संसाधन सम्बन्धी तदर्थ समिति . . .	५
(४) कोयला खानों के स्वेच्छापूर्वक विलय संवर्धन समिति . .	६
(५) संसाधन उपलब्धि सम्बन्धी समिति . . .	५
(६) आवश्यकताओं और उपयोग सम्बन्धी समिति . .	१४

†मूल अंग्रेजी में

(७)	उत्पादन तथा निर्माण सम्बन्धी समिति	१०
(८)	परिवहन सम्बन्धी समिति (अन्तिम चार समितियां भारतीय कोयलापरिषद् की हैं)	६
(९)	ईंधन कार्यक्षमता सम्बन्धी समिति	७
(१०)	कोयला मंत्रणा समिति	२५
(११)	कोयला परिवहन मंत्रणा समिति	२२
(१२)	हार्ड कोक की मांग का पुनः अनुमान लगाने वाली समिति	५
(१३)	तेल की खोज, अशोधित तेल के उत्पादन, और शोधन तथा प्राकृतिक और शोधित गसों से उपयोग से सम्बन्ध रखने वाले मामलों पर परामर्श देने वाली समिति	७
(१४)	इस्तेमालशुदा लुब्रिकेटिंग तेलों के पुनरुपयोग के लिये अन्तर्विभागीय समिति	५
(१५)	निवली लिगनाइट निगम (प्राइवेट) लिमिटेड के लिये प्रविधिक विशेषज्ञों का स्थायी पेनल	८
(१६)	पालना लिगनाइट डिपाज़िटों के लिये विशेषज्ञ समिति	६
(१७)	छोटे ग्रड के अयस्कों के लाभ पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाली समिति	११
(१८)	खनिज मन्त्रणा बोर्ड	४३
(१९)	चार प्रादेशिक परिषदें (खनिज)	५९
(२०)	भारतीय खनिज ब्यूरो और राज्य सरकारों की आवश्यकताओं में समन्वय उत्पन्न करते हुए सांख्यकीय जानकारी प्राप्त करने की अधिक सन्तोषजनक पद्धति तैयार करने वाला एक कार्यकारी दल	३
(२२)	खनिज मंत्रणा बोर्ड की अभ्रक उपसमिति (१९५७–५८)	१७
(२२)	अभ्रक उपसमिति (१९५८–५९)	
(२३)	अभ्रक मंत्रणा समिति	१८
(२४)	खनिजों का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिये खान मालिकों को प्रोत्साहन देने के लिये उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं और प्रथाओं के सम्बन्ध में विचार करने वाली उप-समिति	५
(२५)	पैट्रोल उपभोक्ता मंत्रणा समिति	२५

(ख) जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। इन समितियों में सरकारी पदाधिकारी, सार्वजनिक कार्यकर्ता और/अथवा विभिन्न प्रकार के उद्योगों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। जहां तक सरकारी अधिकारियों का सम्बन्ध है, उनका चुनाव उनके पद की दृष्टि से किया गया है। जहां तक अन्य लोगों का सम्बन्ध है, उनका चुनाव करते समय मुख्य रूप से उनकी अर्हताओं, ज्ञान और अनुभव को ही ध्यान में रखा जाता है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

चोरी छिपे लाये गये सोने का पकड़ा जाना

†१०१०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १२ सितम्बर, १९५८ को सीमा कर्मचारियों ने दिल्ली के फतहपुरी के एक होटल पर छापा मार कर लगभग ५०,००० रुपयों की कीमत का ५०० तोले सोना पकड़ा था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) जी हां। सीमा कर्मचारियों ने १२ सितम्बर, १९५८ को दिल्ली के फतहपुरी के एक होटल पर छापा मार कर लगभग ५०,००० रुपये की कीमत का ५०० तोले सोना पकड़ लिया था।

(ख) अपराधियों को समुद्र सीमा अधिनियम की धारा १७३ के अधीन गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। मैजिस्ट्रेट ने उन्हें जमानत पर छोड़ दिया था। उनके विरुद्ध अब सीमा विधि के अधीन विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

इटागी का महादेव का मन्दिर

†१०११. **श्री अगाड़ी** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर के रायचूर जिले के इटागी के महादेव के मन्दिर की वस्तुकला की शोभा और सुन्दरता अब समाप्त होती जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उस मन्दिर का नवीकरण करने का विचार रखती है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) मन्दिर के भवन की वर्तमान स्थिति इतनी खराब नहीं है।

(ख). जी, नहीं। परन्तु पुरातत्व विभाग के सिद्धान्तों के अनुसार सामान्य मरम्मतें करायी जायेंगी।

कन्नूर में सैनिक इंजीनियरिंग सेवा सड़क

†१०१२. **श्री जीनचन्द्रन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कन्नूर के सैनिक इंजीनियरिंग सेवा सड़क (फोर्ड रोड) की बुरी हालत है ; और

(ख) क्या निकट भविष्य में इस सड़क का सुधार करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। सड़क की मरम्मत की ओर ध्यान देने का प्रश्न विचाराधीन है।

ईस्ट बग्राकोट कोयला खान

†१०१३. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ईस्ट बग्राकोट कोयला खान के लिये एक गैर-सरकारी कम्पनी को एक नयी कोयला खान का पट्टा दिया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या उसके मालिक का उस क्षेत्र में किसी और कोयला खान से भी सम्बन्ध है ;

(ग) क्या यह सच है कि कोयला खान की अव्यवस्था के आरोपों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है ;

(घ) कुल कितने कोटे के उत्पादन का वचन दिया गया था और वास्तव में कितना उत्पादन किया गया था; और

(ङ) क्या उस सम्बन्ध में कोई जांच की गयी है ;

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) १०-२-१९५८ को पश्चिमी बंगाल की सरकार ने श्री पी० के० देव को ईस्ट बग्राकोट कोयला खान का एक और नया पट्टा दिया था।

(ख) श्री पी० के० देव हिमालय कोयला तथा खनिज उद्योग के डायरेक्टरों में से एक हैं, जोकि मैसर्ज एम० के० राय (प्राइवेट) लिमिटेड नामक उस कम्पनी के मैनेजिंग एजेण्ट्स हैं जो कि ईस्ट बग्राकोट कोयला खान के पास की बग्राकोट (रलींगकोट) कोयला खान के मालिक हैं।

(ग) जून १९५७ में वहां से अनधिकृत रूप से कोयला बाहिर ले जाने के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। अगस्त, १९५८ में पश्चिमी बंगाल की सरकार को कोयला खान के स्टाक में कुछ एक अव्यवस्थाओं के बारे में पता लगा।

(घ) खान-पट्टे के अधीन ईस्ट बग्राकोट कोयला खान के लिये ४०,००० टन प्रतिवर्ष का उत्पादन निश्चित किया गया था। फरवरी, १९५८ में खान ने केवल ८५ टन का ही उत्पादन किया था। उसके बाद के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) पश्चिमी बंगाल की सरकार उसके खातों की व्यवस्था के सम्बन्ध में जांच कर रही है।

रेलवे के भाड़ों में अनियमितता

†**१०१४. श्री कालिका सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष पुलिस प्रतिष्ठान ने अयोध्या में घाघरा नदी पर राष्ट्रीय जनपथ पुल बनाने के लिये चुनार तथा अन्य स्टेशनों से उत्तर रेलवे के फैजाबाद और अयोध्या रेलवे स्टेशनों तक माल-डिब्बों में पत्थर भरने और ले जाने में रेलवे प्राधिकारियों द्वारा लिये जा रहे कम भाड़ों के सम्बन्ध में अनियमितता पकड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) :** (क) और (ख). विशेष पुलिस प्रतिष्ठान उस मामले के सम्बन्ध में जांच कर रहा है। जांच अभी भी जारी है।

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट (प्राइवेट) लिमिटेड

†**१०१५. श्री उ० च० पटनायक :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्पादन आरम्भ होने की तिथि से अब तक हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड द्वारा कितने मूल्य का कार्य निम्न-लिखित के सम्बन्ध में किया गया है :

(एक) नये विमानों का उत्पादन अथवा संयोजन ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(दो) असैनिक अथवा सैनिक विमानों की मरम्मत ; और

(तीन) रेल के डिब्बों और बसों के ढांचों का उत्पादन।

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : गत विश्व युद्ध में सरकार हिन्दुस्तान विमान लिमिटेड को एक युद्ध सम्बन्धी कारखाने के रूप में चलाती थी और १ अप्रैल, १९४६ को इसे पुनः वाणिज्यिक स्वार्थ बनाया गया। १-४-१९४६ से ३१-३-१९५८ तक हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा किये गये कार्य का मूल्य निम्नलिखित है :

(एक) नये विमानों का उत्पादन तथा विनियोजन (रुपये १,०४३.८८ लाख रुपये)

(दो) असैनिक तथा सैनिक विमानों की मरम्मत (१,७०८.७५ लाख रुपये)

(तीन) रेलों के डिब्बे और बसों के ढांचों का उत्पादन (१,२३३.५६ लाख रुपये)।

करों का लौटाया जाना

†**१०१६. श्री राजेश्वर पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में वसूल किये गये आय-कर और निगम कर की कुल कितनी राशि अब तक लौटाई गई है ;

(ख) गत वर्ष की तुलना में यह राशि कितनी है ; और

(ग) अन्तर के क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सभा-पटल पर रखी जायेगी।

मनीपुर के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियां

†**१०१७. श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के विद्यार्थी विदेश के लिए केन्द्रीय सरकार की छात्रवृत्तियों की योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्तियों के भी पात्र हैं;

(ख) १९५३ से विदेशों में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए मनीपुर के कितने छात्रों ने छात्रवत्तियां लीं ;

(ग) क्या कभी सरकार ने मनीपुर के छात्रों को प्रविधिक विषयों के स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए भेजा है ; और

(घ) यदि हां तो कितने छात्रों को विदेश में अध्ययन का अवसर दिया गया ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हां, श्रीमान्, विदेश के लिए केन्द्रीय सरकार की छात्रवृत्तियों की निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत :

(१) संघ क्षेत्र की विदेश के लिए छात्रवृत्तियां ;

(२) बीस पूर्ण प्रदत विदेशी छात्रवृत्तियां ;

(३) विदेशी भाषाओं के लिए छात्रवृत्तियां ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए विदेश के हेतु छात्रवृत्तियों की योजना ; और

(५) भारत और चीन के बीच विद्वानों के विनिमय का कार्य।

चुनाव केवल योग्यता के आधार पर किये जाते हैं।

(ख) संघ क्षेत्र की विदेश के लिए छात्रवृत्तियों के अन्तर्गत एक ।

(ग) नहीं श्रीमान् ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

तामिल भाषा का प्राचीन साहित्य

†१०१८. **श्री तंगामणि** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहित्य अकादमी का तिरुकुरल के साथ-साथ तामिल भाषा के प्राचीन साहित्य को प्रादेशिक भाषाओं में अनुदित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन से ग्रन्थ हैं ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) हां, श्रीमान्।

(ख) एक विवरण नीचे दिया गया है :—

विवरण

साहित्य अकादमी के तामिल मंत्रणा बोर्ड ने तिरुकूरल के अतिरिक्त निम्नलिखित तामिल रचनाओं का अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने की सिफारिश की है :

(१) कम्ब रामायण के कुछ चुने हुए भाग।

(२) (१) पथुपत्तू, (२) एथ्यूकोड, (३) सिला पादीकरम, (४) थेवरम (५) दिव्य प्रबंधम (६) पेरिया पूर्णम (७) विलीभारतम (८) फिरूविलियादल पूर्णम, (६) अरि चन्द्र पूर्णम और (१०) मनोमणियम ।

(३) भारत की कविताओं का संग्रह।

(४) पारथीयन कानव (संक्षिप्त उपन्यास) ।

(५) एन चरित्रम (संक्षिप्त जीवनी)

इस सूची में से पहली दो पुस्तकें तो प्राचीन ग्रंथ हैं। सम्बन्धित सम्पादकों ने अभी संग्रह तैयार नहीं किये। अत: अभी उन्हें अन्य भाषाओं में अनुवादके लिए नहीं दिया गया ।

पंजाब के लिए लोहे की चादरों का कोटा

†१०२०. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५८-५६ में अब तक पंजाब राज्य के लिए लोहे की चादरों का कितना अभ्यंश नियत किया गया है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अब तक राज्य ने उस में से कितना माल ले लिया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) तथा (ख) १-४-१९५८ से ३०-९-५८ तक की कालावधि में पंजाब राज्य के लिए कुल ७,३७६ टन लोहे की (काली, बिजली द्वारा चढ़ी हुई धातु की, साफ और नाली दार) चादरें नियत की गई थीं जिन में से ४,८२६ चादरें जुलाई १९५८ तक भेजी गई हैं ।

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम

†१०२१. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम की धारा १७८-क में दिये गये कतिपय उपबंधों के संविधान विरोधी घोषित होने के बारे में ११ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११७२ के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई उच्च न्यायालय की अपीलीय शाखा को इस बीच कोई अपील भेजी गई है ; और

(ख) यदि हां तो इस अपील का क्या परिणाम निकला ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) अपील का ज्ञापन १२ जुलाई १९५८ को बम्बई उच्च न्यायालय में दिया गया था ।

(ख) अभी तक अपील का निर्णय नहीं किया गया ।

कोर्णाक मंदिर के निकट भूमि का अर्जन

†१०२२. **श्री पाणिग्रही :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कोर्णाक के मंदिर के निकट ज़मीनों के अर्जन के लिए सूचनायें जारी की गई हैं ; और

(ख) यदि हां, कोर्णाक के मंदिर के आस पास और भूमि के अर्जन का क्या प्रयोजन है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) इस मंत्रालय को इस बारे में कुछ पता नहीं ।

(ख) एक संग्रहालय स्थापित करने के लिए कुछ भूमि की आवश्यकता है । इस प्रयोजन के लिए भूमि देने के हेतु राज्य सरकार से कहा गया है ।

आयकर के मामले

†१०२३. **श्री राजेश्वर पटेल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में आय-कर के मामलों मे सरकार का पक्ष उच्च न्यायालयों में प्रस्तुत करने वाले वकीलों को वर्षानुसार कुल कितना शुल्क दिया गया ;

(ख) क्या वकीलों के साथ कोई ऐसा प्रबंध है जिसके लिए वे बाध्य हों ;

(ग) क्या वकीलों के कार्य का कोई अभिलेख रखा जाता है ; और

(घ) किन मामलों में वकील सफल रहे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायगी।

अल्प आय के लोगों के लिए गृह-व्यवस्था की योजना

†१०२४. **श्री मोहम्मद इलियास** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्प आय के लोगों के लिये गृह व्यवस्था की केन्द्रीय सरकार की योजना का लाभ उठाने के लिए क्या सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों को कोई सुविधायें दी गई हैं ; और

(ख) ये ऋण कैसे दिये जाते हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)**: (क) और (ख) अल्प आय के लोगों के लिए गृह व्यवस्था की योजना को वे राज्य सरकार / संघ प्रशासन कार्यान्वित करते हैं जिन के क्षेत्राधिकार में घर बनाया जाना हो। योजना के अनुसार पात्र लोगों को (जिन में सशस्त्र सेना के लोग भी सम्मिलित हैं) ऋण दिये जाते हैं और ब्योरेवार नियम राज्य सरकारों सघ प्रशासनों ने तैयार किये हैं ।

वैज्ञानिक विषयों के प्रकाशन

†१०२५. **श्री आचार** : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भाषाओं में पत्रिकायें निकाल कर वैज्ञानिक संस्थाओं की सहायता करने की, भारत सरकार की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी सहायता प्राप्त करने के लिये क्या शर्तें हैं;

(ग) क्या किसी संस्था ने इस प्रस्थापना का लाभ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो उन संस्थाओं के नाम क्या हैं और उन्हें अब तक कितनी राशि दी गई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) से (घ). प्रस्थापनाओं पर विचार किया जा रहा है और ब्यौरा अभी तैयार करना है ।

संयुक्त अरब गणराज्य के साथ सांस्कृतिक करार

†१०२६. **श्री आचार** : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में संयुक्त अरब गणराज्य और भारत ने कोई करार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या १९५८—५९ में अन्य देशों के साथ भी ऐसे करार किये जा रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो किन राज्यों के साथ ?

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) हां, श्रीमान्। करार पर २५-९-१९५८ को हस्ताक्षर किये गये थे;

(ख) इस की शर्तें करार में दी गई हैं जो संसद् पुस्तकालय में रखा गया है ।

(ग) तथा (घ). किसी बाहर के देश के सांस्कृतिक करार का निश्चय करने के बाद ही यह जानकारी दी जा सकती है ।

भारतीय नागरिकता

†१०२७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितनी विदेशी महिलाओं ने भारतीयों के साथ विवाह करने के पश्चात् नागरिकता अधिनियम, १९५५, के अन्तर्गत भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)**: भारतीय नागरिकों के साथ विवाहित ३२ विदेशी महिलायें अब तक नागरिकता अधिनियम, १९५५ के अन्तर्गत भारतीय नागरिक के रूप में पंजीबद्ध हुई हैं ।

नागा विद्रोही

†१०२८. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही में नागा विद्रोहियों से किये गये धावों के कारण मनीपुर के सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की घर सम्पत्ति को हानि पहुंची है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : सितम्बर, १९५८ से ऐसे धावों से सम्पत्ति की हुई हानि और उसे पहुंची क्षति का अनुमान १८,५०० पये हैं और इस के अतिरिक्त औषधियों की भी हानि हुई है ।

केरल जेनमीकरम भुगतान (उन्मूलन) विधेयक

†१०२९. { **श्री राम कृष्ण** :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री ईश्वर अय्यर : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल सरकार से राष्ट्रपति की अनुमति के लिये प्राप्त केरल जेनमीकरम भुगतान (उन्मूलन) बिल का अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस पर राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त कर ली गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) तथा (ख). बिल पर विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रादेशिक भाषाओं का विकास

†१०३०. **श्री राम कृष्ण :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** २१ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९५८—५९ में प्रादेशिक भाषाओं का विकास करने के लिये पंजाब राज्य को सहायता अनुदान देने का अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस का क्या निर्णय किया गया है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास):** (क) तथा (ख). 'आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास' की भारत सरकार की योजना अब तैयार की जा चुकी है और इस योजना के अन्तर्गत पंजाब राज्य को सहायता अनुदान देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

धान की भूसी का तेल

†१०३१. **श्री राम कृष्ण :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २६ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धान की भूसी से तेल निकालने की समस्याओं की जांच करने के लिये स्थापित की गयी उद्योग तथा वैज्ञानिक गवेषणा की स्थायी संयुक्त समिति की उप समिति ने जो प्रतिवेदन दिया है क्या सरकार ने उस पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, इस का परिणाम क्या निकला ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास):** (क) तथा (ख). वैज्ञानिक गवेषणा तथा उद्योग सम्बन्धी स्थायी संयुक्त समिति ने धान की भूसी से तेल निकालने के लिये एक १० टन का कारखाना स्थापित करने के बारे में उपसमिति की सिफारिश को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है । केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी गवेषणा संस्था मैसूर से कहा गया है कि वह विचारार्थ परियोजन प्रतिवेदन तैयार करे ।

अनुसूचित जातियां और अस्पृश्यता निवारण

१०३२. **श्री प० ला० बारूपाल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान सरकार को अनुसूचित जातियों के कल्याण और अस्पृश्यता को दूर करने, विशेष रूप से इन कार्यों के लिये , १९५६—५७ और १९५७—५८ में कुल कितनी धनराशि दी है :

(१) कितनी धनराशि जल की कमी को दूर करने के लिये दी गई और वह धनराशि किन-किन स्थानों पर व्यय की गई;

(२) गृह-निर्माण के लिये कितनी धनराशि दी गई और किन किन स्थानों पर घर बनाये गये;

(३) अस्पृश्यता निवारण के लिये मद अनुसार कितनी धनराशि व्यय की गई; और

†मूल अंग्रेजी में

(४) हरिजन सेवक संघ और दलित वर्ग संघ आदि सामाजिक संस्थाओं को कितनी धनराशि दी गई ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा): अनुसूचित जातियों के कल्याण और छूत-छात दूर करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान सरकार को १९५६-५७ और १९५७-५८ में निम्नलिखित सहायता दी :—

	१९५६-५७ रु०	१९५७-५८ रु०
राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के लिये .	४,९६,०००	३,७९,०००
केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं के लिये . .	२,८८,०००	४,४१,०००

खास तौर से पानी की कमी दूर करने, मकान बनाने और सामाजिक संस्थाओं को सहायता देने के लिये नीचे दी गई रकम दी गई :—

	१९५६-५७ रु०	१९५७-५८ रु०
(क) पानी की कमी दूर करने के लिये		
(i) राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के लिये	३५,८३३	२७,५००
(ii) केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं के लिये .	३०,०००	४३,०००
(ख) मकान बनाने के लिये		
(i) राज्य सराकार द्वारा संचालित योजनाओं के लिये	३२,३३३	१७,३२५
(ii) केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं के लिये .	२,००,०००	१,७२,२५०
(ग) सामाजिक संस्थाओं को सहायता . .		
राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के लिये .	१,०९,३३३	९३,७५०

छूतछात दूर करने और अनुसूचित जातियों के कल्याण पर १९५६-५७ में मदवार खर्च की गई रकम का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५६]** यह सूचना प्राप्त नहीं है कि यह रकम किन किन स्थानों पर खर्च की गई। १९५७-५८ में खर्च की गई रकम की सूचना राज्य सरकार से मंगाई है और प्राप्त होते ही वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

सामाजिक संस्थाओं को सहायता के मातहत जिन संस्थाओं को सहायता दी गई उन के नाम राज्य सरकार से मंगाये हैं और प्राप्त होते ही वे सभा पटल पर रख दिये जायेंगे ।

सरकारी कर्मचारियों पर अभियोग चलाना

†१०३३. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या गृह-कार्य मंत्री २४ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७७० के उत्तर के सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिस में सरकारी कर्मचारियों पर अपराध के आरोपों के आधार पर अभियोग चलाने की अनुमति देने के बारे में जानकारी दी गई हो ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : मंत्रालयों/विभागों से अब तक प्राप्त जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५७]** शेष जानकारी यथासमय टेबल पर रखी जायेगी।

संगीत नाटक अकादमी

†१०३४. **श्री कोडियान** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नृत्य नाटक और संगीत के क्षेत्र में कार्यों को प्रोत्साहन देने के हेतु वर्ष १९५७-५८ के संगीत नाटक अकादमी ने कितनी संस्थाओं और संगठनों को वित्तीय सहायता दी है;

(ख) सहायता में कितनी धन राशि दी गई;

(ग) १९५७-५८ में अब तक कितनी संस्थाओं और संगठनों ने सहायता के लिये प्रार्थना की है; और

(घ) अब तक कितनी राशि दी गई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) तथा (ख). संगीत नाटक अकादमी ने नृत्य नाटक और संगीत के कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिये वर्ष १९५७-५८ में ६५ संस्थाओं को ३,९९,७१० रुपये की वित्तीय सहायता दी है।

(ग) १५० ।

(घ) इस विषय पर अभी विचार किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में तेल सर्वेक्षण

†१०३६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १० अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १६०० के उत्तर के सम्बन्ध में एक ऐसा विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिस में निम्नलिखित जानकारी दी हुई हो :—

(क) उत्तर प्रदेश में हिमालय की तलहटी में हरिद्वार से काठ-गोदाम तक तेल के लिये सर्वेक्षण करने के बारे में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के निर्णय के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) किन किन स्थानों पर सर्वेक्षण किया गया है अथवा किया जा रहा है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उन में से प्रत्येक के बारे में अब तक क्या रिपोर्ट मिली है; और

(घ) १९५८–५९ के लिये उस क्षेत्र में सर्वेक्षण का क्या कार्यक्रम है ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे०मालवीय) : (क), (ख), (ग) और (घ). इस क्षेत्र में भूगर्भी मानचित्र का काम जारी है। हरिद्वार और नैनीताल के बीच में भूगर्भी पारगामी रेखाओं का काम किया जा रहा है। कुछ भूगर्भीय रिपोर्टें मिल गई हैं लेकिन स्तरशास्त्रीय और आकृति तत्वों को अभी मिलाया नहीं गया है। हरिद्वार के पश्चिम में देहरादून से आगे भी काम जारी रखा जायेगा।

दिल्ली में अनुसूचित जातियां

†**१०३७. श्री बि० चं० प्रधान** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कुल कितने परिवार तम्बुओं में रहते हैं; और

(ख) उन में से कितने अनुसूचित जाति के परिवार हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) लगभग ३०,००० परिवार झोंपड़ियों और अन्य अस्थायी निवास स्थानों में रहते हैं।

(ख) लगभग २०,००० ।

उड़ीसा में अनुसूचित आदिम जातियां

†**१०३८. श्री बि० चं० प्रधान** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५७-५८ में अनुसूचित आदिम जातियों के विकास निर्माण के लिये उड़ीसा राज्य को कितनी धन राशि दी गई; और

(ख) कितने घर बनाये गये ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) वर्ष १९५७-५८ में अनुसूचित आदिम जातियों के लिये घरों के निर्माण के लिये उड़ीसा राज्य को केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत ६.०० लाख और राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत २.०० लाख रुपये दिये गये थे।

(ख) अब तक राज्य क्षेत्र में १३२ झोंपड़ियां और केन्द्रीय क्षेत्र में २७५ झोंपड़ियां बनाई जा चुकी हैं और राज्य क्षेत्र के अधीन २१९ तथा केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन ६६९ झोंपड़ियां बनाई जा रही हैं।

उड़ीसा में आश्रम स्कूल

†**१०३९. श्री बि० चं० प्रधान** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आदिम जातियों के बच्चों के लाभ के लिये उड़ीसा राज्य में आश्रम स्कूल स्थापित करने के लिये वर्ष १९५७-५८ में केन्द्रीय सरकार ने कितनी राशि का अनुदान दिया है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : वर्ष १९५७-५८ में आदिम जातियों के बच्चों के लाभ के लिये उड़ीसा राज्य में आश्रम स्कूल स्थापित करने के हेतु राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत ३,५८,५०० रुपये और केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत २३,००० रुपये की मंजूरी दी गई थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा पटल पर रखे गये पत्र

औद्योगिक वित्त निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, १६४८ की धारा ३५ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत ३० जून, १६५८ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये भारत के औद्योगिक वित्त निगम में संचालक मण्डल के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, उस वर्ष के लिये निगम की आस्तियों और दायित्वों तथा लाभ और हानि के व्यौरे सहित, सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० १०८१/५८]

खनन पट्टे (शर्तों में रूपभेद) नियमों में संशोधन

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : मैं खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १६५७ की धारा २८ की उपधारा (१) के अन्तर्गत खनन (पट्टेशर्तों में रूपभेद) नियम, १६५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १५ नवम्बर, १६५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०८० की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० १०८२/५८]

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमों में संशोधन

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १६४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क-नियम, १६४४ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) जी० एस० आर० संख्या ११०२, दिनांक २२ नवम्बर, १६५८ ।

(२) जी० एस० आर० संख्या ११२०, दिनांक २६ नवम्बर, १६५८ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० १०८३/५८]

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन निकाली गयी अधिसूचनायें

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं समुद्र-सीमा शुल्क अधिनियम १८७८ की धारा ४३-ख की उपधारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) जी० एस० आर० संख्या ११०३, दिनांक २२ नवम्बर, १६५८ ।

(२) जी० एस० आर० संख्या ११०४, दिनांक २२ नवम्बर, १६५८ जिसमें सीमा शुल्क प्रत्याहृत (सार्वजनिक भाषण उपकरण) नियम, १६५८ दिये हुए हैं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० १०८४/५८]

---

†मूल अंग्रेजी में

औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम के अधीन निकाली गयी अधिसूचना

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, १६५५ की धारा १६ की उपधारा (४) के अन्तर्गत दिनांक १५ नवम्बर, १६५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०७६ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० १०८५/५८]

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे लोक सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से यह संदेश मिला है कि राज्य सभा ने अपनी ४ दिसम्बर, १६५८ की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया है :

"कि यह सभा लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य-सभा भारतीय बिजली अधिनियम, १६१० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और यह संकल्प करती है कि उक्त समिति में काम करने के लिये राज्य-सभा के निम्नलिखित सदस्य मनोनीत किये जायें:—

१. श्रीमती पुष्पलता दास
२. कैप्टेन अवधेश प्रताप सिंह
३. श्री जे० सी० चटर्जी
४. श्री जी० आर० कुलकर्णी
५. सरदार दर्शन सिंह फेरुमान
६. श्री ब्रज बिहारी शर्मा
७. श्री एन० एम० लिंगम्
८. श्री बिबुधेन्द्र मिश्र
९. श्री बी० सी० नंजुनड्य्या
१०. श्री राम बहादुर सिंह
११. श्री के० एल० नरसिंहम्
१२. श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह
१३. श्री जसवन्त सिंह
१४. श्री ए० एन० खोसला
१५. श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम"

---

†मूल अंग्रेजी में

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा किये गये ठेके

†**श्री उ० च० पटनायक** (गंजम) : मैं नियम १९७ के अधीन प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

प्रतिरक्षा सामग्री की खरीद, निर्माण आदि के लिये निम्नलिखित विदेशी सार्थों के साथ प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा किये गये ठेके :—

(१) ब्रिटेन की हार्ड मोटर्स

(२) जर्मनी की एम० ए० एन०

(३) जापान की कोमाट्सू मैनुफैक्चरिंग कम्पनी

(४) ब्रिटेन की कोसर्स लिमिटेड

(५) इटली की लेवी आटो पार्ट्स लिमिटेड

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : कुछ माननीय सदस्यों ने हाल में प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा किये गये कुछ ठेकों के बारे में कुछ प्रश्न पूछे हैं। अतः जिन पांच ठेकों का उल्लेख किया गया है, उनके बारे में एक विस्तृत वक्तव्य देना चाहता हूं। यद्यपि मैं ने वक्तव्य को छोटा बनाने की कोशिश की है और व्योरों को निकाल दिया है फिर भी वक्तव्य काफी बड़ा है। यदि कोई माननीय सदस्य बाद में कोई जानकारी मांगेंगे और वह जानकारी मेरे पास होगी तो मैं प्रसन्नता से जानकारी दूंगा। ये पांचों ठेके इस प्रकार हैं :—

(१) जर्मनी के मेसर्स एम० ए० एन० के साथ ट्रकों के निर्माण के लिए किया गया करार।

(२) जापान के मेसर्स कोमाट्सू के साथ ट्रैक्टरों तथा मिट्टी हटाने वाले उपकरणों के निर्माण के लिये किया गया करार।

(३) ब्रिटेन के मेसर्स हार्ड मोटर्स के साथ पुराना गोला बारूद को निबटाने के लिये किया गया करार।

(४) कनाडा के मेसर्स लेवी आटो पार्ट्स के साथ मोटर के पुर्जों के सम्भरण के लिये किया गया ठेका।

(५) मेसर्स कोसर्स के साथ किया गया राडर्स का ठेका।

जर्मनी के मेसर्स एम० ए० एन० के साथ ट्रकों के निर्माण के लिये किया गया करार

१९४९ से प्रतिरक्षा मंत्रालय उस समय की भारत की दो मुख्य निर्माता संस्थाओं अर्थात् प्रीमियर आटोमोबाइल्स और हिन्दुस्तान मोटर्स को इस आशा में बड़े-बड़े निर्माण आदेश देती रही है कि चार या पांच वर्ष के समुचित समय के भीतर यह उद्योग देश के भीतर मोटर की मशीनें बनाने लगेगा और उनकी लागत भी कम हो जायेगी।

प्रतिरक्षा मंत्रालय की यह आशा कि सैनिक गाड़ियों के लिये शतप्रतिशत देसी सामान मिलने लगेगा, अभी भी फलीभूत नहीं हो पायी है।

†मूल अंग्रेजी में

एक निर्माता ने सेना के लिए ४,००० से कुछ अधिक स्टूडीबेकर गाड़ियां देने के बाद अब निर्माण बन्द कर दिया है। अतः अब भारत के पास ऐसी बहुत सी गाड़ियां हैं जिनके पुर्जों का निर्माण अब नहीं होता ।

आरम्भ होने के बाद ८ वर्ष के काल में हिन्दुस्तान मोटर्स ने स्टूडीबकर ट्रस्ट का कोई अच्छा पुर्जा नहीं बना सकी और १६५७ में इस सार्थ ने उत्पादन बन्द कर दिया। प्रीमियर आटोमोबील्स भी ८ वर्षों के बाद भी सैनिक ट्रकों के लिय ३० प्रतिशत से अधिक देसी पुर्जे नहीं बना सका। हिन्दुस्तान मोटर्स ने जब उत्पादन बन्द कर दिया तो सेना ने टेल्को सार्थ को, जो जर्मनी की मर्सीडीज बेन्ज संस्था की सहायता से डीज़ल ट्रक बनाता है, ३ टन वाले ३०० ट्रक बनाने का आदेश दिया जिसकी अनुमानित लागत ३०,००० रुपये प्रति ट्रक थी और यह लागत हिन्दुस्तान मोटर्स तथा प्रीमियर आटोमोबील्स द्वारा ली जाने वाली लागत से काफी कम थी। १६५८ में जब टेल्को को ३ टन वाले १००० ट्रकों का आदेश सेना देना चाहती तो टेल्को ने अपना दाम ८,००० रुपये बढ़ा दिया ताकि उनका दाम अन्य निर्माताओं द्वारा लिये जाने वाले दाम के बराबर हो जाये। पत्र-व्यवहार करने के बाद भी उन्होंने दाम को ६५० रु० से अधिक कम नहीं किया।

प्रीमियर आटोमोबील्स को आगे और आदेश नहीं दिया जा सका क्योंकि उनके कारखाने में एक लम्बी हड़ताल चल रही थी और पिछले ६०० ट्रकों के आदेश का संभरण भी वे नहीं कर पाये थे ।

टेल्को के रवैये से असन्तुष्ट होकर यह सुझाव दिया गया कि प्रतिरक्षा मंत्रालय स्वयं अपने युद्धास्त्र कारखानों में अपने लिये मोटर गाड़ियों के बनाने का काम शुरू करे।

पहले भी कई बार इस बात पर विचार किया जा चुका है कि युद्धास्त्र कारखाने में ही सेना के लिये ट्रकें बनाई जायें पर इस बात को ध्यान में रख कर कि गैर-सरकारी गाड़ी निर्माताओं को स्थिर बनाया जाना आवश्यक है, प्रतिरक्षा मंत्रालय ने इस प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया। अन्त में १६५७-५८ में मंत्रालय को जो अनुभव हुए उन के आधार पर मंत्रालय इस निर्णय पर पहुंचा कि देश में सैनिक ट्रक बनाने वालों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता।

प्रतिरक्षा सेवाओं में विभिन्न प्रकार की गाड़ियों के आने से, जोकि भिन्न सार्थों से ली गयीं, उन के संधारण की समस्या सेना के सामने पैदा हो गई है। सैनिक गाड़ियों के प्रमापीकरण आवश्यक था अतः यह निर्णय किया गया कि प्रतिरक्षा संस्थान में ट्रकों का निर्माण करने से ही प्रमापीकरण स्थिर रखा जा सकता है ।

इसी बीच प्रतिरक्षा मंत्रालय को सूचना मिली कि जर्मनी की एम० ए० एन० संस्था ने बहु-ईंधन इंजन तैयार किये हैं। चूंकि इन बहु-ईंधन इंजनों में पैट्रोल तथा डीजल इंजनों की अपेक्षा अनेक सुविधाजनक बातें हैं अतः प्रतिरक्षा सेवाओं की रुचि इन इंजनों की ओर बढ़ गई। अतः एम० ए० एन० से परीक्षा के लिये एक इंजन मंगाया गया। १६५८ के आरम्भ में हमें एक इंजन मिला और प्रतिरक्षा संस्थान में उस का परीक्षण किया गया। बाद में उसी इंजन को सड़क पर परीक्षण करने के लिये एम० ए० एन० चेसिस में लगाया गया। इन सभी परीक्षणों में वह इंजन बहुत सफल निकला। अप्रैल १६५८ में एम०ए० एन० के एक प्रतिनिधि ने प्रतिरक्षा मंत्रालय को बहु-ईंधन इंजन बनाने का अधिकार तथा एम० ए० एन० ट्रक देने की बात कही। उन्होंने यह भी बताया कि उन की ट्रकों को नाटो द्वारा अनुमोदन प्राप्त है तथा वे जर्मनी सेना में प्रयोग की जाती है। अभी तक सेना में जो ट्रकें

[श्री रघुरामैया]

इस्तेमाल की जाती थीं उनसे बहुत अच्छी थे एम० ए० एन० ट्रकें थीं और इन में ३० प्रतिशत अधिक माल ढोया जा सकता था। यह संस्था जर्मनी की ख्याति प्राप्त संस्था है और इसने हिन्दुस्तान एअर-क्रैफ्ट (प्राइवेट) लिमिटेड की भी सहायता की थी। खुले बाजार से सेना के लिये उचित मूल्य पर ट्रकों के मिलने की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए प्रतिरक्षा मंत्रालय ने एम० ए० एन० की प्रस्थापना पर अच्छी प्रकार विचार किया और उस के प्रतिनिधियों से सावधानीपूर्वक बातचीत करने के बाद उस संस्था के साथ ११ सितम्बर, १६५८ को करार कर लिया।

निर्माण में बचत : सेना के ट्रकों के निर्माण में युद्धास्त्र कारखानों को काफी सुविधा रहेगी क्योंकि ये कारखाने मौजूदा संयंत्रों तथा कुशल कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे और केवल थोड़े से संयंत्रों की अतिरिक्त आवश्यकता पड़ेगी। इन कारखानों के पास बारीक काम करने वाले योग्य कुशल कर्मचारी भी हैं तथा अच्छे अधीक्षक कर्मचारी भी। आशा है कि ३० प्रतिशत देसी सामान तैयार कर के पांच वर्ष में ये कारखाने ६० प्रतिशत देसी सामान तैयार कर सकने में समर्थ हो जायेंगे। आशा है कि इन कारखानों में बने ट्रक गैर-सरकारी उद्योग से लिये जाने वाले ट्रकों से कहीं अधिक सस्ते होंगे और इस से प्रतिरक्षा आयव्ययक में काफी बचत होगी।

चूंकि सेना में लगभग २००० ट्रक वार्षिक की आवश्यकता पड़ती है जो कि व्यापारिक ट्रकों की कुल आवश्यकता---४०,००० ट्रक प्रतिवर्ष---का एक अंश ही होगी अतः गैर-सरकारी मोटर निर्माताओं के निर्माण कार्य के लिये काफी बड़ी गुंजाइश रहेगी।

जापान के मेसर्स कोमाट्सू के साथ ट्रैक्टरों तथा मिट्टी हटाने वाले उपकरणों के निर्माण के लिये किया गया करार

स्वचालित मोटर गाड़ियों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रतिरक्षा मंत्रालय काफी समय से विचार करता रहा है। इस वर्ष के आरम्भ में, मंत्रालय ने सोचा कि नया कारखाना खोलने के बजाय विद्यमान कार्यक्षमता का उपयोग इस निर्माण में किया जाये।

इस बात को ध्यान में रखते हुए जब इस वर्ष ट्रैक्टरों की मांग के लिये टेन्डर मांगे गये तो उस में एक खण्ड यह भी रखा गया कि निर्माण कार्य में युद्धास्त्र कारखानों का सहयोग आवश्यक होगा। केवल दो सार्थों ने---ब्रिटेन की इंटरनेशनल हार्वेस्टर्स और मार्शल्स ने---ऐसे सहयोग की बात स्वीकार की। मेसर्स कैटरपिलर्स ने, जो भारत में ट्रैक्टरों का सब से अधिक संभरण करते हैं, युद्धास्त्र कारखाने के सहयोग वाली बात को साफ इंकार कर दिया।

मेसर्स मार्शल्स बड़े प्रकार के ट्रैक्टर नहीं बनाते अतः उनका सवाल नहीं पैदा होता। अतः इंटरनेशनल हारवेस्टर्स के सहयोग को माना गया। अन्य संबद्ध मंत्रालयों के परामर्श से इस सार्थ के साथ एक करार किया गया और ट्रैक्टर बनाने का काम तब शुरू होगा जब अमरीका स्थित यह सार्थ इस करार का अनुसमर्थन कर देगी। यह करार जून में हुआ था पर अगस्त महीने के शुरू में यह सूचना मिली वह सार्थ करार को भंग करना चाहती है।

चूंकि इस कार्य को शीघ्रता से चलाना था अतः इन सब बातों को ध्यान में रख कर यह आवश्यक समझा गया कि शीघ्र से शीघ्र किसी अन्य ख्यातिप्राप्त सार्थ से करार किया जाये।

जिन सार्थों ने भारत में ट्रैक्टर बनाने के सहयोग का हाथ बढ़ाया था उन में से टोकियो के मेसर्स कोमाट्सू को चुना गया। इस सार्थ के बारे में पता लगाया गया कि उस की अच्छी ख्याति है; जापानी प्रतिरक्षा अभिकरण के लगभग ७० प्रतिशत ट्रैक्टरों का निर्माण इसी सार्थ ने किया था और

गत २५ वर्षों से यह सार्य ट्रैक्टर बना रहा था। इस संस्था को आर्जेन्टाइना, कोरिया, वियतनाम, स्पेन तथा फिलीपाइन्स ने ट्रैक्टर बनाने के आदेश दिये हैं। इन बातों के सम्बन्ध में लिखित प्रमाण भी देखे गये। स्पेन की एक सार्य का भी पत्र मिला है जिस में बताया गया है कि ६० कोमाट्सू ट्रैक्टर बहुत संतोषजनक सेवायें दे रहे हैं। अतः इस सार्य के प्रविधिक निदेशक को भारत बुलाया गया और एक करार किया गया, यह करार मेसर्स इंटरनेशनल हारवेस्टर्स के साथ किये गये करार की अपेक्षा भारत के लिये अधिक अच्छा है।

९ सितम्बर, १९५८ को यह करार किया गया।

जापानी ट्रैक्टरों की विशेषताओं का परीक्षण करार करने के पूर्व कर लिया गया था और उन्हें बहुत अच्छा पाया गया। इस के अतिरिक्त करार में एक खण्ड यह भी रख दिया गया है कि इस संस्था द्वारा बनाये गये ट्रैक्टर समुचित प्रमाप के होंगे और यदि उन में कोई कमी होगी तो यह सार्य बिना किसी लागत के रूपभेद करेगा। आर्डर देने के पूर्व कुछ पदाधिकारियों को जापान भी भेजा गया था जिन्होंने ट्रैक्टरों का परीक्षण किया। पदाधिकारियों ने ट्रैक्टरों के गुणों तथा उन के निर्माण में रखी जाने वाली सावधानी के प्रति पूर्ण संतोष प्रकट किया है।

युद्धास्त्र कारखानों को आशा है कि चौथे वर्ष तक वह प्रतिरक्षा के अतिरिक्त असैनिक कार्यों के लिये भी ७० प्रतिशत भारतीय ट्रैक्टर दे सकेगा। शेष ३० प्रतिशत भाग इंजन का होगा और आशा है कि आगे चल कर इंजन भी बनाये जाने लगें।

इस परियोजना के लिये कुल ४८ लाख विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी जिस में से ३४ लाख की आवश्यकता रुपयों में होगी। इस व्यय में भवन, संयंत्र आदि के निर्माण का व्यय भी सम्मिलित है। आशा है कि इस प्रकार प्रतिरक्षा के व्यय में ११० लाख विदेशी मुद्रा की बचत होगी। और अलग पुर्जों के खरीदने का काम भी नहीं करना होगा इस प्रकार कुछ और भी बचत होगी।

अनेक जापानी ट्रैक्टर भारत आ गये हैं और उन का परीक्षण इसी महीने में होगा। उस समय सम्बद्ध मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को इन्हें देखने के लिये आमंत्रित किया जायेगा।

ब्रिटेन के मेसर्स हार्ड मोटर्स के साथ पुराने गोला-बारूद को निबटाने के लिये किया गया करार

प्रतिरक्षा मंत्रालय १९५५ से युद्धकालीन पुराने गोला-बारूद को निबटाने के प्रश्न पर विचार कर रहा है। इस पुराने गोला बारूद में कुछ माल तो इतना खराब हो गया था कि इसे अधिक समय तक रखा जाता तो उस का विस्फोट हो जाता। अतः पुरानी परिपाटी के अनुसार सेना मुख्यालय ने प्रतिरक्षा मंत्रालय के सामने एक प्रस्थापना रखी कि इस गोला-बारूद को समुद्र में फिकवा दिया जाये। यह मामला प्रविधिक पदाधिकारियों के सामने प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने सुझाव दिया कि ३.७ विमान बेधक गोला-बारूद का कच्चा माल जो लगभग १०,००० टन होगा, निकाल लिया जाये। जिन पदाधिकारियों को यह काम सौंपा गया था उन्होंने यह भी कहा कि वे स्वयं यह कार्य नहीं कर सकते क्योंकि उन के पास इस कार्य के लिये पर्याप्त सुविधायें नहीं थी। यह भी बताया गया कि यदि पर्याप्त सुविधाओं तथा कर्मचारियों की व्यवस्था कर भी दी गई तो इस कार्य में ५ वर्ष से अधिक समय लग जायेगा।

१९५७ के मध्य में हार्ड मोटर्स के एक प्रतिनि के साथ केलीफोर्निया की एक सार्य साइडेम इंटरनेशनल का एक प्रतिनिधि भारत के गोला-बारूद के पुराने भंडार को खरीदने के लिये आये। उन्होंने बताया कि जर्मनी में भी उन्होंने पुराने गोला-बारूद को निबटाया है। यह जानने के बाद कि हम ३.७" विमान बेधक गोला-बारूद का कच्चा माल निकलवाना चाहते हैं मेसर्स हार्ड मोटर्स के

[श्री रघुरामैया]

प्रतिनिधि ने हमारे साथ नवम्बर, १६५७ में बातचीत शुरू की। पहले उस सार्थ ने हमारे ३.७" विमान बेधक गोला-बारूद को ३०.७० डालर प्रति शुद्ध टन की दर से खरीदने की बात की बाद में उन्हों ने दाम बढ़ा कर ३५ डालर कर दिया। प्रतिरक्षा मंत्रालय पुराने गोला-बारूद को बेचना नहीं चाहता था बल्कि वह चाहता था कि हार्ड मोटर्स हमारे गोला-बारूद में से तांबा पीतल निकाल कर हमें दे दे और उसके बदले में उसे एक निर्धारित रकम दे दी जाये। इस सम्बन्ध में इस सार्थ के प्रतिनिधि से अनेक बार बातें की गयीं। इसी बीच हम ने ब्रिटेन, फ्रांस तथा जर्मनी स्थित अपने मिशन को भी लिखा कि क्या वहां कोई ऐसे सार्थ हैं, जो इस काम को कर सकें। दो सार्थ इस काम के लिये मिले पर उन की शर्तें हार्ड मोटर्स की तुलना में कम आकर्षक थीं। काफी बातचीत के बाद अन्त में ८ सितम्बर, १६५८ को करार सम्पन्न हुआ जिस की मुख्य-मुख्य शर्तें निम्नलिखित थीं :—

(१) हार्ड मोटर्स सार्थ ३.७" विमान बेधक गोला बारूद के २,५०,००० एककों (लगभग ७,५०० टन) की बारूद निकालेंगे और उस से प्राप्त तांबे तथा पीतल की मात्रा प्रतिरक्षा प्राधिकारियों को सौंपेगा।

(२) करार को सन्तोषजनक ढंग से चलाने की गारंटी के रूप से वे भारत सरकार के पास १.२५ लाख रुपया जमा करेंगे।

(३) करार के पूरे हो जाने के बाद उन्हें ६.५ लाख का पारिश्रमिक दिया जायेगा।

(४) लगभग ३ लाख रुपये की लागत की इस्पात की खुरचन वे स्वयं ले लेंगे।

(५) वे प्रतिरक्षा अधिकारियों के अधीक्षम में काम करेंगे।

(६) भारत सरकार को हक होगा कि गोला-बारूद को खाली करने के लिये वे जो मशीनें, लायेंगे, उन्हें वह बाद में परस्पर तय की गयीं शर्तों के अनुसार खरीद सकेगी।

इस सार्थ ने इटैलियन प्रविधिकों को काम में लगा दिया है जिन्होंने काम शुरू कर दिया है और आशा है कि फरवरी १६५६ तक काम पूरा हो जायेगा।

यदि यह करार सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाता है तो सरकार को ६.५ लाख रुपये का भुगतान कर के ५० लाख कीमत का तांबा व पीतल मिल जायेगा जब कि इस सामान को समुद्र में डुबाने का खर्च मात्र २८ लाख रुपये होता।

कनाडा के मेसर्स लेवी पार्टस के साथ मोटर के पुर्जों के संभरण के लिये किया गया करार

गत कई वर्षों से प्रतिरक्षा मंत्रालय के सामने १६४८ के पहले की युद्ध कालीन गाड़ियों की मरम्मत कराने की कठिनाई थी क्योंकि पर्याप्ति मात्रा में खाली पुर्जे नहीं मिल पाते थे। इस कारण बहुत सी गाड़ियां बेकार पड़ी हुई थीं और इन के पुर्जे केवल ब्रिटेन या अमरीका की कुछ संस्थाओं से ही मिल सकते थे।

सामान्यतया टेण्डरों द्वारा इन पुर्जों की खरीद के लिय भारत में तथा बाहर भी कोशिश को गयी पर कोई सफलता नहीं मिली। कुछ तैयार पुर्जे ही उपलब्ध थे। अतः पुरानी गाड़ियों की मरम्मत का काम पुर्जे न मिलने के कारण रुका रहा।

१६५६ के आरम्भ में कनाडा के मेसर्स लेवी आटो पार्टस् ने हमारी आवश्यकतानुसार हमें पुर्जे देने की बात हमारे सामने रखी। यह सार्थ तैयार पुर्जे भी रखता है और इसने पुराने प्रकार के

पुर्जे बनाने भी शुरू कर दिये हैं। चूंकि मेसर्स लेवी की बात से प्रतिरक्षा मंत्रालय की कठिनाई हल की जा सकती थी अतः निश्चय किया गया कि इस संस्था के साथ बातचीत शुरू की जाय। ६ फरवरी, १९५७ को प्रतिरक्षा, निर्माण, आवास तथा संभरण और वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों की एक समिति इस संबंध में बातचीत करने के लिये नियुक्त की गयी और उसी दिन से इस सार्थ से बात चीत शुरू की गई। बातचीत के दौरान में इस सार्थ ने इस समिति को विश्वास दिलाया कि वह भारत की सेना के लिये आवश्यक पुर्जे आवश्यकतानुसार देगी और एक वर्ष में सारी जरूरत पूरी कर देगी।

लेवी द्वारा बताये गये मूल्यों तथा विवरणों का परीक्षण करने में इस समिति ने काफी समय लिया। प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर एक प्रविधिक समिति ने ध्यानपूर्वक विचार किया। इस समिति ने उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर इसी प्रकार के पुर्जों के वर्तमान तथा पूर्व मूल्यों के आधार पर सब बातों का परीक्षण किया। समिति ने लेवी द्वारा बताये गये मूल्यों में कमी की। इस प्रकार शस्त्र सज्जित गाड़ियों के सम्बन्ध में ३८ प्रतिशत की कमी की गयी।

इस प्रकार ४ मई, १९५७ को भारतीय संभरण मिशन, वाशिंगटन द्वारा इस सार्थ ने एक पत्र जारी किया जिस में करार की मुख्य-मुख्य मदें इस प्रकार थीं :—

(१) १ वर्ष के भीतर आदेश दिये गये पुर्जों के १०० प्रतिशत संभरण की गारंटी;

(२) करार को संतोषजनक ढंग से पूरा करने के लिये १००,००० डालर (कनाडा के) की बैंक गारन्टी;

(३) जहाज द्वारा माल आ जाने पर ९५ प्रतिशत का और पूरे करार के सम्पन्न हो जाने पर शेष ५ प्रतिशत का भुगतान।

बाद में जून, १९५७ में, भारतीय संभरण मिशन, वाशिंगटन को प्रतिरक्षा मंत्रालय ने विनिदेश दिये कि शर्तों से रूपभेद कर लिया जाये ताकि एक प्रकार की गाड़ियों की मरम्मत के लिये उस प्रकार का सारा माल एक ही जहाज में आये।

इस सार्थ के भंडार तथा अपेक्षित माल तैयार करने की व्यवस्था के संबंध में संतोष कर लेने के बाद भारतीय संभरण मिशन, वाशिंगटन ने ४ मई, १९५७ के पत्र के अनुसरण में करार कर लिया। १८ दिसम्बर, १९५७ को यह करार किया गया और इस की लागत लगभग ११.७० लाख डालर (कनाडा के) है।

मेसर्स कौसर्स के साथ किया गया राडर्स का ठेका

मेसर्स कौसर्स के साथ राडर्स के सम्बन्ध में कोई करार नहीं किया गया है। मेसर्स कौसर्स तथा राडर बनाने वाले अन्य निर्माताओं ने यह प्रस्थापना रखी है कि वे भारत एलेक्ट्रानिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड के साथ राडर बनाने के काम में सहयोग करना चाहते हैं, यह प्रस्थापना विचाराधीन है।

एक प्रश्न में यह सुझाव दिया गया है कि इन ठेकों को या इन में से कुछ को सभा-पटल पर रखा जाना चाहिये। हमें इस में कोई आपत्ति नहीं है पर यह परम्परा नहीं है और इसके सम्बद्ध फर्मों आदि की अनुमति के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। कुछ फर्म कुछ ठेकों को गोपनीय समझती है और उन को सभा-पटल पर रखने से अन्य लोगों के साथ उन के सम्बन्धों पर बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना है। यदि अध्यक्ष महोदय किसी माननीय सदस्य को नाम निर्देशित कर दें तो मैं उन्हें गोपनीय रूप से ये ठेके दिखा सकता हूं। इस का ध्यान रखा जायगा कि यह जानकारी गोपनीय मानी जायेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसा करने से मुझ पर भेद भाव करने का आरोप लगाया जा सकता है। अतः मैं यह बात माननीय मंत्री पर ही छोड़ देता हूं कि वह स्वयं किसी माननीय सदस्य को चुन लें।

†**प्रधान मंत्री तथा वदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: कोई भी माननीय सदस्य आकर देख सकते हैं। यदि १०० माननीय सदस्य आयेंगे तो कठिनाई होगी। कोई भी एक, दो, चार या ६ सदस्य, यदि चाहें तो, आ कर देख सकते हैं। किसी को चुनने का कोई सवाल नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं किसी माननीय सदस्य को नाम निर्देशित करने की जिम्मेदारी नहीं ले सकता।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : नाम निर्देशन का कोई प्रश्न नहीं है। आप के पास हो कर कोई भी नाम हमारे पास आ सकता है। इस में किसी की जिम्मेदारी का कोई प्रश्न नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे पास जो भी नाम आयेंगे मैं उन्हें भेज दूंगा।

†**श्री विमल घोष** (बैरकपुर) : यह वक्तव्य सब माननीय सदस्यों में परिचालित किया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : वक्तव्य की प्रति सभी माननीय सदस्यों के पास परिचालित कर दी जायेगी।

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : आपकी अनुमति से मैं ८ दिसम्बर, १६५८ से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह में लिये जाने वाले सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं, जो इस प्रकार होगा :

(१) प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तथा तत्सम्बन्धी भारत सरकार की नीति पर चर्चा।

(२) आज की कार्यावलि में से असमाप्त चर्चा की कोई मद।

(३) वर्ष १६५५-५६ तथा १६५६-५७ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेलवे) पर चर्चा तथा मतदान।

(४) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा उन्हें पारित करना :

(१) दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक १६५८, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में

(२) कामगर प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, १६५८ राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में

(५) श्री हरिश्चन्द्र माथुर तथा अन्य सदस्यों द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर संगठन तथा रीति विभाग के वर्ष १६५७-५८ के चौथे वार्षिक प्रतिवेदन पर मंगलवार, ६ दिसम्बर, १६५८ को २.३० म० प० बजे चर्चा।

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्यात व्यापार की वर्तमान प्रवृत्ति के सम्बन्ध में प्रस्ताव—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब श्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा ३ दिसम्बर, १९५८ को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा जारी करेगी :—

"कि भारत के निर्यात व्यापार की वर्तमान प्रवृत्ति और कपड़ा उद्योग, जो कि इस व्यापार में मुख्य रूप से योग देता है, की स्थिति पर विचार किया जाये।"

श्री लाल बहादुर शास्त्री अपना भाषण जारी रखें।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : आयात और निर्यात के विभिन्न प्रश्नों पर सभा के सदस्यों का दृष्टिकोण बहुत सहायक रहा है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

मैं माननीय सदस्यों की इस बात से सहमत हूं कि हमें प्रत्येक दिशा में अपने निर्यात की वृद्धि के लिये प्रयत्न करना चाहिये। वर्तमान स्थिति बहुत कठिन है। तथापि हमें कठिनाइयों का सामना करने का प्रयत्न करना चाहिये। श्री विमल घोष ने स्थिति का बहुत सावधानी से विश्लेषण किया है। एक ओर हमारे निर्यात का क्षेत्र विस्तृत दिखाई देता है तो दूसरी ओर हमारी कृषि वस्तुओं के निर्यात का क्षेत्र संकुचित होता जा रहा है। यह स्वाभाविक है कि जिन देशों ने हाल में ही स्वतंत्रता प्राप्त की है वे अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और नये कारखाने खोल रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें कठिनाइयों का सामना करना होता है।

बोरे के उपयोग में आने वाले पटसन के सामान के निर्यात में कमी हुई है। हमारे पड़ौसी देशों में पटसन के कारखाने खुल गये हैं। इसलिये उन्होंने भारत से आयात बन्द कर दिया है। अमेरीका तथा अन्य देशों में बोरे के स्थान पर कागज के थैले प्रयोग में लाये जा रहे हैं। इसलिये हमें अपनी वस्तुओं के लिये नये बाजारों की खोज करनी है। और बढ़िया माल का उत्पादन करना है जिस से हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता करने में समर्थ हो सकें।

हमारे निर्यात में कपड़े का महत्वपूर्ण भाग है, इसलिये इस के निर्यात पर जो जोर दिया गया है वह बिल्कुल उचित है। इस प्रश्न पर श्री मनुभाई शाह विस्तार से कह चुके हैं, इसलिये मैं इस के दो पहलुओं को ही लूंगा। सब से महत्वपूर्ण बात इकट्ठा माल की निकासी करना है। इस समस्या का तत्काल निराकरण करना है; क्योंकि इस से उत्पादन और निर्यात पर प्रभाव पड़ रहा है। अतः इस बात की तत्काल आवश्यकता है कि मिलों में जमा हुए माल की निकासी करने की तत्काल व्यवस्था की जाय। इस सम्बन्ध में वस्त्र उद्योग ने कोई व्यापक दृष्टिकोण नहीं अपनाया है। इस सम्बन्ध में उन का दृष्टिकोण रूढ़िवादी है। सरकार ने स्वयं कई बार उन की सहायता करने की कोशिश की है, लेकिन जब भी उन से इस सम्बन्ध में कोई कार्य करने को कहा गया उन्हों ने उचित कार्यवाही नहीं की।

अभी एक सप्ताह पूर्व मैं ने वस्त्र मंत्रणा बोर्ड से इस सम्बन्ध में तीन व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त करने की सलाह दी। मुझे प्रसन्नता है कि उन्हों ने इस सम्बन्ध में वस्त्र उद्योग से परामर्श करने के लिये एक समिति नियुक्त कर ली है। मैंने उन से एक महीने के अन्दर ही इस कार्य के सम्बन्ध में अपनी प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी मांगी है। मुझे आशा है कि उन को अपने इस कार्य में सफलता मिलेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में विस्तार से व्याख्या की जा चुकी है। प्रोत्साहन देने की योजनाओं में से एक योजना यह भी है कि यदि वे विदेशों को कपड़ा निर्यात करने में सफल हो सकते हैं तो वह वहां से मशीनरी का आयात कर सकेंगे। इस से उद्योग क्रमश: आधुनिकीकरण करने और स्वचालित करघे लगाने में सफल होगा।

मुझे इस सम्बन्ध में श्री स० म० बनर्जी का मत जान कर आश्चर्य हुआ। मुझे विश्वास था कि उन का दृष्टिकोण इस सम्बन्ध में पर्याप्त क्रांतिकारी होगा, तथापि वे इस के बिल्कुल विरोधी निकले। निस्सन्देह हमें इस बात से पूरा सतर्क रहना चाहिये कि केवल इस कारण कोई छंटनी न होने पावे, तथापि यह आश्वासन दिये जाने के उपरान्त इस प्रस्ताव को स्वीकार करने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। मुझे प्रसन्नता है कि मजदूर नेता इस प्रश्न पर विचार करने को सहमत हो गये हैं, उन की सहायता से हम ३००० स्वचालित करघे लगाने में सफल होंगे। कपड़ा मिलों के वैज्ञानिकन के सम्बन्ध में हमें सभा के सदस्यों की सहमति प्राप्त हो चुकी है। संसद् ने जो संकल्प स्वीकृत किया है उस का आशय यह है कि कपड़ा और पटसन उद्योग में आवश्यकतानुसार वैज्ञानिकन को प्रोत्साहन दिया जावे तथापि इसे इस प्रकार विनियमित किया जावे कि कम से कम छंटनी हो। जहां छंटनी हो, वहां खाली हुए मजदूरों को रोजगार की आवश्यक सुविधायें प्रदान की जायें। मुझे पूरी आशा है कि मिलें इस कार्य को आगे बढ़ायेंगी, क्योंकि जब तक हमारी मिलों का आधुनिकीकरण नहीं होगा और हमारी मिलें बिल्कुल साफ कपड़ा तैयार करने में समर्थ नहीं होंगी हम प्रतिद्वंदिता में सफल नहीं हो सकेंगे।

श्री महन्ती ने ब्रिटेन के कपड़ा उद्योग के प्रतिनिधियों के भारत आने और ब्रिटेन को कपड़ा निर्यात करने की चर्चा का उल्लेख किया है। वस्तुत: ब्रिटेन के प्रतिनिधि भारत आये और भारत के प्रतिनिधि भी ब्रिटेन गये, तथापि यह चर्चा वस्त्र उद्योग के आधार पर ही हुई। भारत या ब्रिटेन की सरकार का इन चर्चाओं से कोई सम्बन्ध न था। ब्रिटेन के प्रतिनिधिमंडल ने इस सम्बन्ध में हांगकांग और पाकिस्तान की भी यात्रा की। अभी इस सम्बन्ध में कोई समझौता नहीं हो सका है। यदि इस सम्बन्ध में समझौता होने की कोई सम्भावना होगी तो भारत सरकार इस से कभी अजान नहीं रह सकती है। इस सम्बन्ध में होने वाली वार्ता की प्रगति की जानकारी हमें होती रहती है अत: माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में आशंकित होने का कोई कारण नहीं है वस्तुत: ब्रिटेन और भारत का पारस्परिक व्यापार हमें सहायक सिद्ध होगा। ब्रिटेन हमारे देश से बहुत कपड़ा आयात करता है वस्तुत: हम ब्रिटेन को सब से अधिक कपड़े का निर्यात करते हैं।

मुझे यह भी बताया गया है कि लगभग १५० मिलें बन्द हो गई हैं। निस्सन्देह यह स्थिति गम्भीर है हमें मिलें बन्द नहीं होने देनी चाहिये। तथापि हम देश की प्रत्येक मिल को पुन: चालू नहीं कर सकते हैं। स्वयं वस्त्र उद्योग वालों ने हमें यह बताया है कि उन सभी मिलों को पुन: चालू करना संभव नहीं होगा, तथापि इस सम्बन्ध में सावधानी से जांच की जानी चाहिये। हम इस मामले पर सावधानी से गौर करेंगे।

मैं ने अपने श्रम मंत्री श्री नन्दा से इस समस्या के सम्बन्ध में विचार करने को कहा है। वस्त्र जांच समिति ने भी इन सारी मिलों को सरकार द्वारा ले लिये जाने की राय नहीं दी है। उन्हों ने एक निगम बनाने की सलाह दी है तथापि मैं उस से सहमत नहीं हूं क्योंकि बिना मामले पर पूरी तरह से गौर किये हुए सारी मिलों को सरकार द्वारा ले लिया जाना उचित नहीं होगा यदि किसी राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में हम से कोई सहायता मांगी है तो हम ने हमेशा उन की सहायता करने

का प्रयत्न किया है। तीन चार मिलों के सम्बन्ध में सरकार ने उन्हें सहायता भी दी है यह सत्य है कि उन्होंने ये मिलें उच्च न्यायालयों के आदेशानुसार परिसमापकों से अपने अधिकार में ली थीं। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम उन को पुरानी मशीनें बदलने, तथा आधुनिकीकरण के लिये आवश्यक सहायता दे सकता है।

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल) : माननीय मंत्री ने यह कहा है कि मंदी के कारण ब्रिटेन को भारत से कपड़े का निर्यात घट गया है तथापि बात ऐसी नहीं है। यद्यपि ब्रिटेन को होने वाले कपड़े के कुल निर्यात में वृद्धि हुई है तथापि भारत से होने वाले कपड़े का आयात घटा है।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं इस तथ्य से इन्कार नहीं कर रहा हूं। अपितु इसे स्वीकार करता हूं। तथापि मैं उन के इस सन्देह का निवारण कर रहा था कि ब्रिटेन के प्रतिनिधि हम से छिप कर भारत में कुछ समझौता कर रहे हैं इस सम्बन्ध में मैं ने यह कहा कि वस्तुतः इस प्रकार की चर्चा बहुत लाभदायक है। मुझे यह सुन कर प्रसन्नता हुई है कि श्री विमल घोष ने इस विचार का न केवल वस्त्र उद्योग के अपितु चाय उद्योग के सम्बन्ध में भी इस का समर्थन किया है। उन्हों ने इसे, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की प्रतिद्वंदिता के एक अच्छे विकल्प के रूप में स्वीकार किया है। वे विभिन्न देशों के बीच हुए समझौतों को प्रतिद्वंदिता से अच्छा समझते हैं। उदाहरणार्थ यदि चाय के सम्बन्ध में ब्रिटेन, लंका, पूर्व अफ्रीका और भारत के बीच इस प्रकार का समझौता हो जाय कि ब्रिटेन इन देशों से कितनी चाय निर्यात करेगा, तो इस से पर्याप्त सहायता मिल सकती है। इसी प्रकार यदि कपड़े के सम्बन्ध में भारत का ब्रिटेन, हांगकांग व पाकिस्तान के साथ समझौता हो गया तो समझौते की अवधि के अन्दर निश्चित मात्रा में कपड़े का निर्यात होना निश्चित है। हमें कम से कम उतनी मात्रा में वस्त्र का निर्यात अवश्य करना चाहिये, जितना कि हम आज कर रहे हैं। वस्तुतः वस्त्र उद्योग को इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिये। अतः मैं श्री विमल घोष की इस बात का समर्थन करता हूं कि कुछ वस्तुओं के सम्बन्ध में या कुछ विशेष स्थितियों में अन्तर्राष्ट्रीय समझौता करना लाभदायक सिद्ध हो सकता है।

श्री तंगामणि ने हथकरघा वस्त्रों के निर्यात के सम्बन्ध में कहा है। हम इस ओर गौर कर रहे हैं। हथकरघा वस्त्रों का उत्पादन पर्याप्त बढ़ा है। १९५० में हथकरघा वस्त्र का कुल उत्पादन ८०४० लाख गज था। आशा है १९५८ में यह उत्पादन बढ़ कर १,७५,००० गज हो जायेगा।

हम ने हथकरघा सहकारी समितियों द्वारा सूत और रंगों के आयात की सुविधायें प्रदान की हैं। निर्यात की ओर सक्रिय ध्यान देने तथा वस्त्रों का स्तर बनाये रखने के लिये एक विशेष विभाग संगठित किया जा रहा है। उस का मुख्य कार्यालय मद्रास में होगा।

यदि उद्योग को अपने पैरों पर दृढ़ता से खड़ा होना है तो उसे सदैव सरकारी सहायता पर निर्भर नहीं रहना चाहिये। छूट की राशि को कभी न कभी समाप्त करना ही होगा। तथापि हमारा विचार छूट की राशि को उत्तरोत्तर कम करना है तथा अतिरिक्त विशेष छूट को भी राज्य सरकारों द्वारा सिफारिश किये गये महीनों में, जिन में कपड़े की बिक्री अधिक होने की आशा है, सीमित रखा जायेगा।

श्री पु० र० पटेल ने कपास उत्पादकों का प्रश्न उठाया है। उन्हें कपास निर्यात के कोटे के सम्बन्ध में हुई घोषणा से लाभ होगा। कई वर्षों में ५ लाख गांठों के कोटे की समय पर घोषणा कर दी गई है। इस के अलावा कपास की कीमत भी पर्याप्त सन्तोषजनक है। निस्सन्देह कीमतों में उतार चढ़ाव होता रहता है। जब सरकार ने बड़ी मात्रा में निर्यात कोटे की घोषणा की तो थोड़े दिनों तक

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

मंदी होना स्वाभाविक था। तथापि जहां तक मेरी जानकारी है स्थिति पहिले से बहुत अच्छी है। मैं आप को कल्याण कपास के आंकड़े देता हूं उस की निम्नतम कीमत प्रति कैंडी ५१० रु० और चालू कीमत ६०५ से ६४५ रुपये प्रति कैंडी है। इस प्रकार कपास उत्पादकों के हितों की उपेक्षा नहीं की गई है।

निस्सन्देह हमारे उत्पादन की लागत अन्य देशों की अपेक्षा अधिक है तथापि मजूरी कम करने या छंटनी करने से उत्पादन की लागत कम करना हम से संभव नहीं होगा। कुछ मिलों में अतिरिक्त मजदूर हो सकते हैं जैसेकि कानपुर की कुछ मिलों में हैं जो वहां वर्षों से कार्य कर रहे हैं और उस के कारण कारखानों को हानि उठानी पड़ी है। तथापि इस प्रश्न को दूसरे ढंग से हल करना होगा। इस सम्बन्ध में कारखाने के प्राधिकारी तथा मजदूर संघ परस्पर कोई हल खोज सकते हैं। तथापि वर्तमान स्थिति में छंटनी या मजूरी कम करना व्यावहारिक नहीं होगा।

तथापि अधिक कार्यकुशलता लाने के लिये वस्त्र उद्योग अन्य कई साधन अपना सकता है। पटसन कारखानों का उदाहरण हमारे समक्ष है। उनकी स्थिति कुछ समय पूर्व बहुत चिन्तनीय हो गई थी तत्पश्चात् विभाजन के कारण उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा तथापि केवल अपने सुसंगठन और आधुनिकीकरण के कारण आज उनकी स्थिति सन्तोषजनक हो गई है। तथापि कपड़ा उद्योग ऐसे साधन नहीं अपना रहा है। उदाहरणार्थ कानपुर के कारखानों ने कभी भी पारस्परिक एकता पैदा करने तथा कारखानों का अधुनिककरण करके उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में नहीं सोचा है। इसके अलावा अन्य कई उपाय हो सकते हैं तथापि मैं पूर्ण दायित्व के साथ यह बात कह सकता हूं कि यद्यपि मैं वस्त्र उद्योग के प्रतिनिधियों से कई बार मिला तथा उन वार्ताओं और चर्चाओं का कोई भी लाभ न हुआ।

श्री मुरारका ने कहा है कि वस्त्र उद्योग को सच्चे हृदय से प्रोत्साहन नहीं दिये गये हैं। निस्संदेह रियायतें देने में कुछ समय लगा और उनको देने के पूर्व बहुत सावधानी से विचार करना पड़ा, क्योंकि हम चाहते थे कि उन रियायतों का दुरुपयोग न किया जाय। निस्संदेह हम भ्रष्टाचार या दुरुपयोग रोकने के लिए कटिबद्ध हैं तथापि यदि इसका एक भी मामला हो जाय तो हम उसकी इतनी कड़ी या कभी-कभी अनुचित आलोचना करते हैं कि उसका नैतिक प्रभाव अच्छा नहीं होता है और हमारे लिये कार्य संचालन असंभव हो जाता है। कभी-कभी हम अपने चारों ओर की बुराइयां से पराभूत हो जाते हैं तथापि हमें उन्हीं के बीच रहते हुए उनका सामना करना होता है और अपना कार्य भी निकालना होता है।

वस्तुतः मैं सभा को यह बता देना चाहता हूं कि राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर हम निर्यात तथा वस्त्र उद्योग को अधिक रियायतें देना चाहते हैं। सरकार भ्रष्टाचार का सामना करने के लिये प्रस्तुत है। अभी हाल बम्बई में धोका देने का एक मामला हुआ था जिस पर तत्काल कार्यवाही की गई। यह मामला विशेष पुलिस संस्थापन को दिया गया और सारे लायसेंस रद कर दिये गये और सारा माल जब्त कर दिया गया तथापि प्रत्येक मामले में तत्काल कार्यवाही करना सम्भव नहीं होता है।

श्री विमल घोष का यह कथन उपयुक्त है कि वर्तमान प्रतिद्वंदिता के युग में कोई विकल्प ढूंढ़ना ही होगा और निर्यात की वृद्धि करने के लिये कोई न कोई साधन निकालना होगा। इसका उत्तर उन्होंने यह दिया कि निर्यात के लिये उद्योग को समुचित प्रोत्साहन दिये जायें। मैं इस

सिद्धांत से सहमत हूं अग्रेतर रियायतें देने से उद्योग अपना निर्यात बढ़ाने में सफल होगा। उन्होंने रेलवे रियायत तथा जहाज भाड़े में रियायत करने का उल्लेख किया। निस्संदेह रेलवे रियायतें प्राप्त करने में कुछ विलम्ब हुआ है। हमने इस मामले पर रेलवे मंत्रालय से बातचीत की थी। वे निर्यात किये जाने वाले माल पर रेलवे भाड़ा दर में रियायतें देने के पूर्व प्रत्येक मद पर पृथक रूप से चर्चा करना चाहते हैं। तथापि हम इस मामले में शीघ्रता कर रहे हैं। हम बहुत शीघ्र रेलवे बोर्ड के समक्ष मेंगनीज अयस्क और लोह अयस्क का मामला रखने वाले हैं।

जहाज भाड़े में कमी करने के सम्बन्ध में हमारे प्रतिनिधि विदेशी व्यापार के महानिदेशक और समुद्री नौवहन कान्फ्रेंस के बीच चर्चा हुई। और अभी हाल जहाज भाड़े में कुछ रियायतें दी गई हैं। काली मिर्च की दर ९१.५० से घटा कर ८०.५० डालर, इलमेनाइट की दर १४४ शि० से घटाकर ८४ शि० लोह अयस्क ६२.६ शिलिंग से घटाकर ५० शिलिंग कर दी गई है। हम इस मामले पर और आगे भी बातचीत चला रहे हैं।

सरकार स्वयं कुछ छोटे जहाज खरीदना चाहती है जिससे हम निकटवर्ती तथा अन्य देशों में अपने माल का निर्यात करने में समर्थ हो सकें। परिवहन मंत्रालय इसके लिये सहमत हो गया है। वित्त उपलब्ध करने के लिये हमें इस प्रश्न पर वित्त मंत्रालय से चर्चा करनी होगी। यदि हम अपने जहाज खरीद लेवें तो भाड़े इत्यादि के सम्बन्ध में बहुत सी कठिनाई स्वत: हल हो जायेगी।

डा० कृष्णस्वामी ने आयात के प्रश्न की चर्चा की है। इसमें संदेह नहीं है कि हमने अपने आयात यथासंभव कम कर दिये हैं। इसके अतिरिक्त कटौती करना संभव नहीं है वस्तुतः जब मैं कलकत्ता में था तो वहां प्रत्येक अधिक इस्पात या कच्चे माल की मांग कर रहा था। हमें इस समस्या पर भी गौर करना है। सौभाग्य से इस्पात मंत्रालय ने इस वर्ष इस्पात का कोटा बढ़ा दिया है और कच्चे लोहे की समस्या लगभग समाप्त हो गई है।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

तथापि देश में इस्पात के उत्पादन के लिये हमें अभी प्रतीक्षा करनी होगी। हमारे इस्पात संयंत्र अगले वर्ष से इस्पात का संभरण प्रारम्भ कर देंगे। तथापि तब तक हमें अपने उद्योगों को कच्चे माल का संभरण करना आवश्यक है।

हमें उत्पादन की गति में शिथिलता नहीं आने देनी चाहिये। हम अपनी अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्तर न केवल बनाये रखेंगे अपितु आगे बढ़ायेंगे। वस्तुतः इस वर्ष लायसेंस देने की अवधि में हमने पिछले वर्ष की अपेक्षा साढ़े चार करोड़ रुपये अधिक के लायसेंस दिये हैं।

वस्तुतः चाय का विषय ऐसा नहीं है कि उस पर राष्ट्रीय विकास परिषद् में चर्चा की जाये या उसके सम्बन्ध में कोई निर्णय किया जाये। यह पश्चिम बंगाल व आसाम सरकार से आय का एक बहुत बढ़ा साधन छीनने का प्रश्न है। चाय से बंगाल व आसाम को क्रमशः २७५ लाख और १७५ लाख रुपये की आय होती है। ऐसे समय जब कि उन राज्यों को अपने द्वितीय पंच वर्षीय योजना को क्रियान्वित करने के लिये और अधिक धन की आवश्यकता है वे इस राशि को कैसे छोड़ सकते हैं। अतः इस मामले पर हमें पश्चिम बंगाल व आसाम सरकार के साथ मैत्रीपूर्ण चर्चा करनी है। मैंने इस सम्बध में चाय उत्पादकों से बातचीत भी की थी। वस्तुतः सरकार इस सम्बन्ध में यथासंभव सहायता करना चाहती है।

जहां तक निर्यात संवर्द्धन के कार्य के संगठन का प्रश्न है मैं श्री विमल घोष की इस बात से पूणतः सहमत हू कि इसका पुनगठन करना आवश्यक है तथापि यह कार्य किस प्रकार

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

सम्पादित किया जाय, इस सम्बन्ध में मेरे अपने विचार हैं जिसके सम्बन्ध में मैंने अपने मंत्रालय के कर्मचारियों से चर्चा करनी है निस्संदेह हमें अपने निर्यात कार्य को अधिक प्रभावशाली और कुशल तरीके से करना है। हमारे यहां निर्यात संवर्द्धन सम्बन्धी विभिन्न परिषदें हैं, जो निर्यात सम्बन्धी विभिन्न मदों का कार्य करती हैं। हम निदेशालय के स्तर पर उनका समायोजन करते हैं। तथापि निदेशालय के निर्णयों का अधिक कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये। मैं चाहता हूं कि निदेशालय में एक ऐसा भी विभाग रहे जो विशेष मद के सम्बन्ध में पड़ताल करते रहने का कार्य करे और देखे कि अमुक वस्तु के निर्यात में कौन कौन सी बाधायें आ रही हैं और उनको किस प्रकार दूर किया जा सकता है।

केन्द्र से ही प्रत्येक कार्य करने में विलम्ब होता है इसलिये हम कुछ शक्तियां प्रत्यायोजित करने के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं। उदाहरणार्थ वस्त्र उद्योग के आयुक्त का कार्यालय बम्बई में है। यह एक कुशल कार्यालय है और आयुक्त भी एक कुशल व्यक्ति है अतः सारी बातों के सम्बन्ध में दिल्ली को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें आयुक्त को और अधिक शक्तियां देनी चाहियें जिससे वे तत्काल निर्णय करने में समर्थ हो सकें। निस्संदेह नीति सम्बन्धी मामलों को उन्हें दिल्ली भेजना होगा तथापि इससे वर्तमान संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। राज्य व्यापार निगम को गैर-सरकारी व्यक्तियों से सहयोग करने तथा कुछ अन्य वस्तुओं को लेने के सम्बन्ध में अपनी नीति पर पुनर्विचार करना होगा। अयस्कों के सम्बन्ध में उन्हें निश्चित नीति अपनानी चाहियें। यद्यपि व लाभदायक सेवा कर रहे हैं तथापि उनके कार्य के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें आई हैं उन्हें अपनी कठिनाइयों का हल निकालन में समर्थ होना चाहिये।

जहां तक मेंगनीज अयस्क का सम्बन्ध है हम ने अभी हाल उस पर से निर्यात शुल्क हटा दिया है। रेलवे मंत्रालय ने भाड़े में रियायत देने के सम्बन्ध में यह शर्त रखी थी कि यदि हम निर्यात शुल्क हटा देंगे तो वह भी भाड़े में रियायत करेंगे, आशा है कि यह रियायत अब शीघ्र ही प्राप्त हो जायेगी। श्री मोरारका ने यह कहा है कि हमें निर्यात समस्या का हल आपातकालीन स्तर पर करना चाहिये उन्होंने ब्रिटेन का उदाहरण दिया है। जहां लोगों ने प्रसन्नता से कष्ट सहे और कठिनाइयां उठाई। यह विचार आकर्षक है तथापि हमारा देश गरीब है अतः हमारा दृष्टिकोण न्यायोचित होना चाहिये। जनता से अधिक कठिनाइयां उठाने और त्याग करने के पूर्व हमें यह भी देखना चाहिये कि हमारी जनता कितना त्याग कर सकती है और कितनी कठिनाई उठा सकती है। तथापि मेरे विचार से हमें, हमारे देश और इस उद्योग के लिये, त्याग करने और कठिनाइयां उठाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अभी हाल चीनी के निर्यात का प्रश्न उठाया गया था, और घाटे को पूरा करने के लिये उस पर थोड़ा उपकर लगाया गया था। यद्यपि योजना सफलतापूर्वक चल रही है तथापि अभी हम अधिक मात्रा में चीनी का आयात करने में सफल नहीं हो सके हैं। उद्योगपतियों को भी यह ज्ञात होना चाहिये कि यदि वे निर्यात बढाना चाहते हैं तो उन्हें भी अपना मुनाफा घटाना होगा और कुछ त्याग करना होगा।

चीन के वस्त्र उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है, कपास के उत्पादन में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। इस वर्ष उनके पास बहुत अधिक मात्रा में अतिरिक्त कपास बच गया है। किन्तु वहां देश के अन्दर उपभोग में कठोर नियंत्रण है। वस्तुतः अविकसित देशों के लिये ऐसा दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। मैं चाहता हूं कि हमारे देशवासी इस पर विचार करें और यदि उनसे ऐसी मांग की जाय तो उसे पूरा करें।

श्री डांगे ने एक बुनियादी प्रश्न उठाया है, वस्तुतः मैं साम्यवादी तथा अन्य प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता हूं । यह आवश्यक नहीं है कि समाजवादी अर्थ-व्यवस्था का ढांचा सभी देशों में एक ही प्रकार का हो । प्रत्येक देश की अपनी भिन्नतायें और विशेषतायें होती हैं । भारत में हमें अपने ढंग से चलना है । इस विशाल देश में जहां इतनी गरीबी और बेरोजगारी है वहां धनी और निर्धन के बीच की खाई के कम करने के अलावा और कोई मार्ग नहीं है । हमें सामान्य जनता का जीवन स्तर ऊंचा करना है और अपने समक्ष रखे गये लक्ष्यों के अनुसार वह विशेष प्रकार की नीति अपनानी है । किन्तु मैं राजनीति सम्बन्धी दर्शन पर नहीं जाना चाहता हूं । इस समय हम केवल आयात और निर्यात सम्बन्धी प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं । सभी देशों के साथ हमारे सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं । व्यापार के मामले में राजनीतिक विचारधारा बहुत अधिक महत्व भी नहीं रखती है । अभी हाल ब्रिटेन ने एक बहुत बड़े साम्यवादी देश के साथ एक बहुत बड़ा सौदा किया है । व्यापारी वर्ग केवल पया कमाने और व्यापार करने में विश्वास रखता है । इस सम्बन्ध में हमारी नीति बहुत स्पष्ट रही है । हमारा अधिकांश व्यापार अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ होता है । तथापि रूस और पूर्व यूरोपीय देशों के साथ भी हमारे व्यापार समझौते हुए हैं । रूस, पोलैंड और पूर्व जर्मनी के साथ हुए हमारे व्यापारिक समझौतों का अभी हाल संशोधन किया गया है । उन्हें सोमवार को सभा पटल पर रख दिया जायेगा । तथापि हमारे लिये व्यापार की दिशा परिवर्तन करना अच्छा न होगा । इस सम्बन्ध में हमें बहुत सावधान रहना चाहिये कि हम नये बाजारों की खोज में अपने पुराने बाजार न खो देवें । हमारे नये और पुराने दोनों व्यापार-सहयोगियों में अच्छाइयां और बुराइयां दोनों हैं । उनकी अच्छाइयों से हमें भी लाभ होता है और बुराइयों से हानि होनी स्वाभाविक है ।

चीन ने इस क्षेत्र में अभी हाल प्रवेश किया है । इसलिये सभी की आंखें उसकी ओर लगी हुई हैं । मैं निर्यात वृद्धि करने सम्बन्धी उनके साधनों का अध्ययन कर रहा था हमें यह देखना है कि वे साधन हमारे देश के लिये उपयुक्त सिद्ध होंगे या नहीं । सबसे प्रमुख बात तो यह है कि हमारे उद्योगों को पहिले अपनी दशा सुधारनी चाहिये हमें अनुचित रूप से आशंकित नहीं होना चाहिये । हमें अग्रसर होने का भरसक प्रयत्न करना चाहिये । हमें आशा करनी चाहिये कि विभिन्न देशों के साथ हुए हमारे व्यापारिक समझौतों से हमारी अर्थ व्यवस्था सुदृढ़ होगी और हम अधिक विदेशी मुद्रा कमाने में समर्थ होंगे ।

मैं श्री त्रिदिब कुमार चौधरी की इस बात से सहमत हूं कि हमें इस मामले में अत्याधिक शीघ्रता से काम लेना चाहिये । तथापि मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि सरकार अपनी निर्यात नीति तथा निर्यात संवर्द्धन के कार्य में बिल्कुल असफल रही है । वस्तुतः वे अपना आरोप आंशिक रूप से भी सिद्ध नहीं कर सके हैं । इसलिये मैंने भी उनका आंशिक रूप से ही उत्तर दिया है । आशा है वे पूरी बात पर विचार करने के उपरांत अपना वैकल्पिक प्रस्ताव वापस ले लेंगे ।

†**श्री शंकरय्या** (मैसूर) : माननीय मंत्री जी ने हथकरघा वस्त्र पर छट का उल्लेख किया था, मैं इस सम्बन्ध में यह जाना चाहता हूं कि क्या यह छूट उस समिति के प्रतिवेदन के आधार पर दी गयी है जो इस प्रयोजन के लिये श्री सोमप्पा की अध्यक्षता में नियुक्त की गई थी, अथवा अभी वह प्रतिवेदन विचाराधीन ही है ?

दूसरे मैं यह भी जानना चाहता हूं कि हथकरघा वस्त्र के निर्यात में वृद्धि करने के लिये हथकरघा सोसायटी द्वारा जो वित्तीय सहायता मांगी जा रही है उसके सम्बन्ध में सरकार ने क्या विचार किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** हथकरघा बोर्ड ने छूट के प्रश्न पर कई बार चर्चा कर चुका है और हथकरघा बोर्ड ने एक बार यह सिफारिश की थी कि छूट को उत्तरोत्तर घटा दिया जाये । दूसरे प्रश्न के उत्तर में माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बता चुके हैं कि एक निर्यात संगठन की स्थापना की जा रही है जिसका मुख्य कार्यालय मद्रास में होगा ।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** (बरहामपुर) : मैं अपने स्थानापन्न प्रस्ताव को सभा की अनुमति से वापस लेता हूं ।

स्थानापन्न प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिया गया

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री ब्रजराज सिंह का स्थानापन्न प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

हिमाचल प्रदेश विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा श्री दातार द्वारा ३ दिसम्बर, १६५८ को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी :—

> "कि हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर (नया राज्य) अधिनियम, १६५४ के अधीन निर्मित नये राज्य हिमाचल प्रदेश की विधान सभा के गठन तथा कार्यवाही को मान्यता देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री जोगेन्द्र सेन अपना भाषण जारी रखें ।

†**श्री जोगेन्द्र सेन** (मंडी) : हमें ३७ विधेयकों को मान्यता देने के लिये कहा है । मगर उनमें से हमे एक भी विधेयक की प्रति उपलब्ध नहीं की गई है । पुस्तकालय में केवल एक विधेयक मिला है । वह भी हिन्दी में । ऐसी दशा में हम क्या चर्चा कर सकते हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** क्या यह आवश्यक है कि हम प्रत्येक विधेयक को देख कर ही मान्यता दें ? यदि आप ऐसा समझते हैं तो मैं उनकी एक एक प्रति सभा पटल पर रखने का प्रबन्ध करवा दूंगा । जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि उच्चतम न्यायालय ने उन विधेयकों पर कोई विचार नहीं किया है । वह एक टेकनीकल आधार पर इस निश्चय पर पहुंची कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा का गठन अवैध है अतः इसकी सारी कार्यवाही शक्ति प्रस्तात है । हम यहां पर उस टेकनीकेलिटी को दूर करके वहां की कार्यवाही को मान्यता देना चाहते हैं । इसलिये मैं समझता हूं कि प्रत्येक विधेयक के विस्तार में जाने की कोई आवश्यकता नहीं ।

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन) : हो सकता है उनमें कुछ दंड परिनियम हों । हम प्रत्येक अधिनियम का एक ही प्रकार से निर्वचन नहीं कर सकते । हमें ३७ परिनियमों को भूतलक्षी प्रभाव से मान्यता देने के लिये कहा जा रहा है । जब तक हम यह नहीं देख लेते कि उन अधिनियमों में क्या है हम उन को कैसे मान्यता दे सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह एक सरल सी बात है । इस की पहले भी चर्चा की जा चुकी है । हमें यह देखना है कि क्या कोई ऐसी संस्था जिस का कि कोई क्षेत्राधिकार न हो यदि कोई विधि बनाती है

---

†मूल अंग्रेजी में

तो क्या हम उस विधि को मान्य विधि समझेंगे ? इस का निश्चय सभा को करना है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता ।

दूसरी बात यह है कि इन अधिनियमों में क्या है ? इस के लिये हम एक छोटी सी समिति बना सकते हैं वह समिति इस सभा को प्रतिवेदित कर सकती है कि क्या इन विधेयकों में कोई असंविधानिक बात तो नहीं है। इस के लिये माननीय गृह मंत्री यह प्रस्ताव कर सकते हैं कि यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाये । यह समिति १० तारीख तक अपनी रिपोर्ट दे । इस के बाद हम इस विधेयक पर आगे विचार कर सकते हैं ।

†**श्री दातार :** उच्चतम न्यायालय ने केवल टेकनीकल आधार पर एक विधेयक को शून्य ठहराया है । क्या हम दूसरी दृष्टियों से भी उस विधेयक पर विचार कर सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वर्तमान मामले की आपत्तियों को देखते हुए हम अनुमान लगा सकते हैं कि शेष विधेयकों के बारे में कैसी आपत्तियां की जा सकती हैं । हम उन में पहले से संशोधन कर सकते हैं और तब उन के शून्य होने का कोई भय नहीं रहेगा ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार) : मंत्री महोदय ठीक कह रहे हैं कि हम विधान सभा को मान्यता दे रहे हैं । जब हम विधान सभा को मान्यता प्रदान करते हैं तब हम उसकी समस्त कार्य-वाही को भी मान्यता देते हैं। किन्तु कार्यवाही को मान्यता देने से पहले हमें यह पता होना चाहिये कि हम किस चीज़ को मान्यता दे रहे हैं ।

†**श्री दातार :** इस विधेयक को पारित कर देने से आधारभूत आपत्ति दूर हो जायेगी । हमें शेष आपत्तियों की पूर्वकल्पना कर के खामखाह उन के चक्कर में पड़ने की क्या आवश्यकता है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** कदाचित मंत्री महोदय इस विस्मय में हैं कि क्या इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिये अथवा नहीं । हमारे सम्मुख दो प्रकार के प्रश्न हैं एक विधान सभा के क्षेत्राधिकार के बारे में और दूसरे इन विधेयकों की सांविधानिकता के बारे में । केवल इतना ही नहीं कि उच्चतम न्यायालय ने एक आधारभूत टेकनीकेलिटी पर यह कह दिया है कि रद्द किया गया विधेयक शक्ति प्रस्ताव है । उस ने कुछ अन्य बातों पर भी विचार किया है । हमें उन सब बातों के प्रकाश में ही निश्चय करना होगा । इसलिये मैंने यह सुझाव रखा था कि यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जा सकता है । समिति इन सब बातों पर विचार कर के सोमवार या मंगलवार तक अपनी रिपोर्ट दे सकती है । तब सभा जैसा चाहे कर सकती है ।

†**श्री दातार :** तो आप सोमवार तक चर्चा को स्थगित कर दें । इस बीच में हम आप के सुझाव पर विचार कर लेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय :** आप अभी इस बात को अनौपचारिक रूप से स्वीकार कर लें । क्या आप को इस में कोई आपत्ति है ?

†**श्री दातार :** मुझे अनौपचारिक रूप से इस में कोई आपत्ति नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब माननीय मंत्री उन लोगों के साथ बैठ कर, जोकि इस विधेयक में रुचि रखते हैं, ऐसे परामर्श करेंगे जैसेकि प्रवर समिति बन गई हो । इस बीच कल और परसों गृह मंत्री अन्य सदस्यों से परामर्श कर लेंगे ।

†**श्री वें० प० नायर :** श्रीमान् औपचारिक रूप से एक प्रवर समिति की स्थापना के बिना हमें बातचीत करने से कोई लाभ नहीं होगा । क्योंकि हम लोग अनौपचारिक रूप से की गई कार्यवाही

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री वें० प० नायर]

को विधानसभा की इच्छा का प्रतीक नहीं मान सकते और न ही उच्च न्यायालय इस प्रकार व्यक्त की गई इच्छा को विधान सभा की इच्छा मानने को तैयार होगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** जल्दी की कोई आवश्यकता नहीं। माननीय मंत्री ने कहा है कि वह इस विषय पर विचार करने के लिये कुछ और दिन चाहते हैं। वह इस पर जितना चाहें विचार कर लें। मेरी राय में एक औपचारिक प्रवर समिति बनाना ही श्रेयस्कर होगा। इस बीच हम वाद विवाद जारी रख सकते हैं।

†**श्री जोगेन्द्र सेन :** श्रीमान्, माननीय मंत्री ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने इस मामले का फैसला केवल एक टैकनीकल आधार पर किया है। किन्तु मैं कहता हूं कि यह बात सही नहीं है। उस ने अन्य बातों पर भी विचार किया है। उन को समझने के लिये हमें इस विधेयक की पृष्ठभूमि को देखना होगा।

राष्ट्रपति ने "हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर (नया राज्य) विधेयक, १६५४ को ६ मई १६५४ को स्वीकृति दी थी। इस विधेयक के पास होने से हिमाचल प्रदेश का पुराना राज्य समाप्त हो गया। इस विधेयक में यह भी उपबंधित था कि इस नये राज्य के लिये ४१ सदस्यों की एक विधान सभा होगी। किन्तु यह सभा कभी नहीं बनी और अन्त में १६५६ में फिर यह राज्य तथा विधान सभा दोनों समाप्त हो गये। इस प्रकार हमारे पृथक् पहाड़ी राज्य का, जिसे हम भारत के १५वें राज्य के रूप में देखना चाहते थे, जन्म होने से पहले ही उस की मृत्यु हो गई। पुराने हिमाचल प्रदेश में विधान सभा के ३६ सदस्य थे। इस में बिलासपुर के, जिस को कि बाद में इस राज्य में मिलाया गया था, प्रतिनिधि शामिल नहीं थे। इसलिये इन ३६ सदस्यों को, जिन का कि वैध रूप से आह्वान तक नहीं किया गया था, २८ मई १६५४ तक बिलासपुर के लाखों लोगों के लिये विधियां बनाने का कोई अधिकार नहीं था। नया राज्य १ जुलाई १६५४ को बना। सरकार बहुत जल्दी में थी। उस ने बिलासपुर के ५ नये सदस्यों का निर्वाचन किये बिना अगस्त १६५४ में पुराने हिमाचल प्रदेश के ३७ सदस्यों को बुला लिया। बिलासपुर के पांच नये सदस्यों का निर्वाचन १२ मई १६५५ को हुआ। किन्तु उन्होंने पुरानी विधान सभा के सदस्य के नाते शपथ ली। इस प्रकार किसी भी सदस्य ने नई सभा के सदस्य के लिये शपथ नहीं ली।

१६५४ में पुरानी विधान-सभा ने जब हिमाचल प्रदेश की बड़ी बड़ी भूमि सम्पदायें तथा भूमि सुधार विधेयक पास किया तब वह सभा समाप्त हो चुकी थी क्योंकि उस समय तक नया विधेयक बन चुका था। स्वभावतया नये हिमाचल प्रदेश के लोग ऐसे विधेयक को कैसे स्वीकार कर सकते थे।

नई विधान सभा का अधिवेशन कभी नहीं बुलाया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा भेजे गये समन से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। इस प्रकार नई एसेम्बली का वास्तविक अधिवेशन ८ महीने बाद प्रारम्भ हुआ। इस बीच में इस अवैध एसेम्बली ने ३७ अधिनियम पारित किये। उच्चतम न्यायालय ने इस विधेयक को केवल इसी आधार पर कि क्योंकि पुरानी विधानसभा समाप्त हो चुकी थी, ही नहीं शून्य घोषित किया बल्कि यह तर्क भी दिया है कि पुरानी विधान सभा द्वारा पारित इन विधेयकों में अनेक संविधान विरोधी बातें भी हैं। इसलिये हम इस निर्णय को केवल टेकनीकल गल्ती नहीं कह सकते। ऐसी दशा में इन विधेयकों को देखे बिना हम उन को कैसे मान्यता दे सकते हैं। इन की प्रतियां पुस्तकालय में भी उपलब्ध नहीं हो रही हैं। मैं इनके बारे में कई बातें कहना चाहता था। किन्तु जब तक इनकी प्रतियां उपलब्ध नहीं हो सकतीं मैं इनकी व्यर्थ चर्चा नहीं छेड़ना चाहता।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के विचार का समर्थन करता हूं। इस विधेयक पर अगले सत्र में चर्चा की जाये। हमें कोई काम जल्दी में नहीं करना चाहिये। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिये जिस से लोगों में यह धारणा उत्पन्न हो जाये कि हम न्यायपालिका के निर्णयों की कोई प्रतिष्ठा नहीं करना चाहते।

वर्तमान विधेयक की मान्यता पर भी सन्देह किया जा सकता है। यह विधेयक एक अध्यादेश की फार्म में आया है। यदि हम इस अध्यादेश को नहीं पारित करते तो यह विधेयक भी विफल हो जायेगा।

अन्त में मैं एक बार फिर यही कहूंगा कि सभा को उन सभी विधेयकों को मान्यता देने से पहले उन पर भली भांति विचार कर लेना चाहिये। पहले मैं ने यह सोचा था कि हमें इन में से चैलेंज किये गये अधिनियम पर पृथक् रूप से विचार करना चाहिये और फिर शेष विधेयकों पर पृथक्तया। किन्तु अब सब लोग सभी विधेयकों को देखना चाहते हैं इसलिये मैं इस पर आग्रह नहीं करता।

†**अध्यक्ष महोदय : अब** हम इस विधेयक पर चर्चा स्थगित करते हैं और अगला विषय लेते हैं।

आसाम राइफल्स (संशोधन) विधेयक

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि आसाम राइफल्स अधिनियम, १९४१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

यह संशोधन विधेयक बहुत बड़ा विधेयक नहीं है। जिस क्षेत्र में यह विधेयक लागू होता था उसका क्षेत्र बढ़ गया है। इसलिये सहायक कमांडेंट की शक्तियों को तदनुसार बढ़ाना आवश्यक हो गया है।

आसाम राइफल्स अधिनियम, १९४१ के अनुसार सहायक कमांडेंट को छोटे मोटे अपराधियों को जेल में बन्द करने तथा ७ दिन तक क्वार्टर गार्ड में बन्द करने का अधिकार है। हम इस शक्ति को अपर्याप्त समझते हैं और इन्हे बढ़ाना चाहते हैं।

१९४१ में जब कि यह विधेयक पिछली बार संशोधित किया गया तथा पुनः लागू किया गया उस समय नेफा का अधिकतर क्षेत्र खाली रहता था और यहां पर कोई प्रशासन नहीं था। यहां की आउट-पोस्ट प्रायः सड़क या रेल से एक दो दिनों तक पहुंचने वाले स्थानों पर बने हुये थे। अर्थात् वह क्षेत्र या सड़क २० मील की दूरी पर थे। मनीपुर और मिजो के जिलों में प्रशासन भी इसी ढंग से चलता था और वहां भी संचार व्यवस्था बहुत पिछड़ी हुई थी। किन्तु अब प्रशासन का विस्तार हो जाने के कारण हमारे आउटपोस्टें तथा विंग हेडक्वार्टर बहुत दूर दूर तक फैल गये हैं यहां तक कि दूर तिब्बत के सीमान्त तक। कई स्थानों पर तो हमें विमानों द्वारा पहुंचना पड़ता है।

इसलिये यह आवश्यक है कि घटनास्थल के अधिकारियों को पर्याप्त शक्तियां दी जावें जिससे कि वह समय पड़ने पर शान्ति को भंग न होने दें। वरना उनको ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा कि कभी वह किसी व्यक्ति के ड्यूटी पर देरी करने के लिये अति साधारण सा दण्ड दे सकते हैं और कभी ऐसे ही अपराध के लिए २८ दिन की कठोर कैद। इसी प्रकार इस इलाके में साक्षियों का मिलना भी बड़ा कठिन है। उन्हें मुख्यालय तक पहुंचने में बड़े दिन लग जाते थे। आदिमजाति के लोग अधिकतर पिछड़े हुये होते हैं और किसी भी क्षेत्र में जाने से इन्कार कर सकते हैं इसलिये

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमति लक्ष्मी मेनन]

ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए सरकार ने यह निश्चय किया है कि आसाम राइफल्स के सहायक कमांडेंट के अधिकारों को बढ़ा दिया जाये और उसे १६४१ के आसाम राइफल अधिनियम के मुताबिक २८ दिन का दंड देने का अधिकार दे दिया जाये । इसका उद्देश्य यही है कि वह शीघ्रता से निश्चय कर सके तथा ऐसे अनुशासन भंग के ऐसे मामलों का ठीक ढंग से निपटारा कर सके । यदि हम श्री ले० अचौ० सिंह का संशोधन स्वीकार कर लेते हैं तो यह उद्देश्य निष्फल हो जायेगा । हम उनका संशोधन नहीं स्वीकार कर सकते । अब मैं निवेदन करूंगी कि विधेयक पर विचार किया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री दशरथ देव** (त्रिपुरा) : श्रीमान् मुझे कोई ऐसा उचित कारण नहीं दिखाई दिया । मैं समझता हूं सहायक कमांडेंट की शक्तियां बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं । मंत्री महोदय ने हमें यह भी नहीं बताया है कि सामान्य राइफलमैन साधारणतया कौन कौन से अपराध करता है । सभी कमांडेंटों को यह अधिकार देने के लिये कहा गया है जिनका सामान्यतया जिला मजिस्ट्रेट तथा कमांडेंट द्वारा प्रयोग होता है । इससे यह भय उत्पन्न हो सकता है कि ये छोटे सैनिक अधिकारी अपने इन अधिकारों का दुरुपयोग करने लगें । मैं समझता हूं क्योंकि स्वयं प्रायः कमांडेंट इधर उधर सभी पोस्टों पर जाता रहता है इसलिये ये अधिकार उसी के हाथ में रहने चाहियें । सहायक कमांडेंटों को ये अधिकार देने की कोई आवश्यकता नहीं ।

मंत्री महोदय को सेना में अनुशासन की भावना बढ़ाने के लिये दंड व्यवस्था को कठोर बनाने की बजाये वहां ऐसी परिस्थितियां पैदा करनी चाहियें कि लोग स्वयमेव अपना कर्तव्य पालन करने में आनन्द व गौरव अनुभव करें । हमें उन लोगों को अधिक से अधिक सुविधायें प्रदान करने का प्रयत्न करना चाहिये । दंड व्यवस्था कठोर करने से कभी स्थिति नहीं ठीक हो सकती है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये**]**

आसाम राइफल के अनेक कैम्प हैं । उनमें वस्तुओं की बड़ी कठिनाई है । मनु के कैम्प में सरकार ने एक ठेकेदार को २० रुपये मन के हिसाब से चावल देने का ठेका दिया । उस सज्जन ने उचित मूल्य की दाम से वह चावल १८ रुपये मन खरीद कर २२ रुपये मन सरकार को दिया । अब यदि सरकार सीधे खरीद लेती तो उसे ४ या ६ रुपये प्रति मन पीछे बचत हो जाती । हमें इस प्रकार की अव्यवस्थाओं को तुरन्त दूर करना चाहिये ।

†**श्री ले० अचौ० सिंह** (आन्तरिक मनीपुर) : वर्तमान विधेयक आसाम राइफल्स अधिनियम, १६४१ की धारा ८ का संशोधन करना चाहता है । इसमें कहा गया है कि असिस्टेंट कमांडेंट को अनुशासन बनाये रखने के लिए पर्याप्त अधिकार प्राप्त नहीं हैं । अतः इस विधेयक द्वारा उसे आसाम राइफल्स के किसी भी व्यक्ति को २८ दिन की सजा देने का अधिकार दिया जाता है जब कि मूल अधिनियम के अनुसार उसे केवल ७ दिन तक की सजा देने का अधिकार प्राप्त था । अनुशासन के लिये ७ दिन तक की सजा बहुत कम थी । अतः आशा है कि इस उपबन्ध को सभा अपना समर्थन अवश्य प्रदान करेगी ।

पर इस उपबन्ध के सम्बन्ध में मुझे कुछ आपत्ति है । यदि असिस्टेंट कमांडेंट को कमांडेंट के समान अधिकार दिये जायगे तो हो सकता है कि कभी-कभी असिस्टेंट कमांडेंट अपने अधिकारों का दुरुपयोग करे । साथ ही मेरा निवेदन है कि यदि असिस्टेंट कमांडेंट की चौकी ५० मील की

†मूल अंग्रेज़ी में

दूरी पर हो तो भी उसे चाहिये कि वह सजा देने के मामले में बेतार के तार या अन्य साधनों से कमांडेंट की अनुमति प्राप्त कर ले ।

आसाम राइफल्स इस समय एक अनियमित सेवा है । उसका व्यय अब २¹/₂ करोड़ से बढ़ कर ५¹/₂ करोड़ हो गया है । यह सेना सीमा प्रान्त की रक्षा करती है । मेरा निवेदन है कि इस व्यय को कम किया जाना चाहिये ।

आसाम व मनीपुर में तो लोग शान्त हैं । हां नेफा क्षेत्र में सेना को अधिक अधिकारों की आवश्यकता है । पर वहां तो सशस्त्र सेनाएं (विशेष अधिकार) अधिनियम के अधीन पदाधिकारियों को बड़े अधिकार दिये जा चुके हैं । अतः आसाम राइफल्स को इतने अधिकार अधिक देना तथा उस पर इतना व्यय बढ़ाना समुचित नहीं है ।

आसाम राइफल्स के सैनिकों की सेवा की शर्तों तथा उनकी भर्ती की शर्तों में काफी परिवर्तन करने की आवश्यकता है । कुछ लोगों को सेवा निवृत्ति के बाद पेन्शन भी नहीं दी गई है । सरकार ने उन पर बहुत सारे कर्तव्य लगा दिये हैं पर अपने ऊपर सरकार ने कोई दायित्व नहीं रखा है । इस सेना में ७५ प्रतिशत व्यक्ति अन्य प्रान्तों के हैं । मेरा निवेदन है कि इनमें आदिम जातियों के लोगों की अधिकाधिक भरती की जानी चाहिये इससे अनुशासन आदि भी अच्छा रहेगा ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : पहले बोलने वाले दोनों माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा वह विधेयक की व्याप्ति के बाहर की बात थी । पहले माननीय सदस्य ने अपराधों की संख्या जानने की इच्छा प्रकट की । यह अनोखी मांग है कि विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व सारे आंकड़े उपस्थित किये जायें और उन परिस्थितियों का ब्यौरा दिया जाये जिनके कारण विधेयक पारित किया जा रहा है । दूसरे माननीय सदस्यों ने पेन्शन तथा सीमा रक्षा की बातें कहीं । साथ ही उनके भाषण से यह भी स्पष्ट था कि वह विधेयक का समर्थन कर रहे हैं । इस विधेयक में असिस्टेंट कमांडेंट पर जो सीमायें लगाई जा रही हैं वही उनके समझ में नहीं आई थीं । यदि हम यह उपबन्ध पारित भी कर देंगे तो यह अधिकार सभी असिस्टेंट कमांडेंट को नहीं मिल जायेंगे । ये अधिकार कुछ विशेष पार्श्वों के तथा कुछ दूरस्थ काम करने वाले असिस्टेंट कमाण्डेण्टों को ही प्राप्त होंगे । यदि वे इस बात को समझने की कोशिश करें तो वे मुझे विश्वास है, इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करेंगे ।

यह सैनिक अनुशासन का मामला है । असैनिक जनता या असैनिक जनता व सेना के बीच सुसम्बन्धों से इस सम्बन्ध में कोई वास्ता नहीं है । प्रश्न यह है कि सीमान्त प्रदेश की सेना में हम अच्छा अनुशासन कैसे पैदा कर सकते हैं ।

जैसा कि मैंने आरम्भ में बताया था, यह एक बहुत साधारण विधेयक है और असिस्टेंट कमांडेंट कोई छोटा-मोटा पदाधिकारी नहीं है जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा । मैं आशा करती हूं कि विधेयक को पारित किया जायेगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

> "कि आसाम राइफल्स अधिनियम, १६४१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड २—(१९४१ के अधिनियम ५ की धारा ८ का संशोधन)

†**श्री ले० अचौ सिंह :** मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** मैं यह संशोधन स्वीकार नहीं कर सकती ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १, अधिनियम सू तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड १ अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति

इकत्तीसवां प्रतिवेदन

†**श्री कृष्ण चन्द्र** (जलेसर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के इकत्तीसवें प्रतिवेदन से, जो ३ दिसम्बर, १९५८ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सदस्यों सम्बन्धी समिति के इकतीसवें प्रतिवेदन से जो, ३ दिसम्बर, १९५८ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

†मूल अंग्रेजी में

सैनिक व्यय के ढांचे की जांच करने के लिये एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री नौशीर भरूचा द्वारा २१ नवम्बर, १९५८ को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर अग्रेतर चर्चा करेगी ।

> "यह सभा सिफारिश करती है कि प्रतिरक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और प्रविधिक विकास को देखते हुए सैनिक खर्च के वर्तमान ढांचे की जांच करने तथा परिवर्तनों का सुझाव देने के लिये लोक सभा के सदस्यों की एक समिति, जिस को प्रविधिक विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त हो, नियुक्त की जाय ।"

†**श्री नौशीर भरूचा**. (पूर्व खानदेश): प्रतिरक्षा के प्रश्न पर नवीन दृष्टिकोण से विचार करना आवश्यक है। विशेषतः इसलिये कि आज विश्व दो शक्ति-गुटों में बटा हुआ है और हमारे पड़ौसी देश में सैनिक शासन स्थापित हो गया है ।

वस्तुतः पिछले महायुद्ध से, युद्ध प्रणाली में आश्चर्यजनक विकास हुए हैं एटम बम, हाइड्रोजन बम का आविष्कार हो चुका है। इसके अतिरिक्त क्षेप्यास्त्रों तथा एटमी हथियारों का आविष्कार हो चुका है। इस प्रकार युद्ध की समग्र टैकनीक परिवर्तित हो चुकी है। और इनका निर्माण भयावह रूप में खर्चीला है। तथापि अपनी नीति के कारण हमें इस प्रकार के शस्त्रास्त्रों के उत्पादन करने की ओर अग्रसर नहीं होना है। तथापि हमें इतना समर्थ अवश्य होना चाहिये कि यदि परम्परागत प्रकार का युद्ध छिड़ जाय तो हमारी सेनायें देश की रक्षा कर सकें ।

परम्परागत प्रकार की लड़ाई में भी पहिले से अब बहुत प्रगति हो चुकी है। उदाहरणार्थ पहिले बम फेंकने वाले और लड़ाकू विमानों की गति ३०० से ५०० मील तक होती थी। लेकिन अब इनकी गति शब्द की गति से भी तीव्र होती है। इसलिये रेडार से उनका पता लगाना तथा केन्द्रीय नियंत्रण केन्द्र को सूचना भज कर विमानों को सूचना देने में भी बहुत कम समय लगना चाहियें। जिस से वे तत्काल उनका मुकाबला करने में समर्थ हो सकें।

विमानों की इस अत्यधिक गति का यह परिणाम होगा कि जनता को चेतावनी देने तथा उनके सुरक्षित स्थानों में पहुंचने में कम से कम समय लगना चाहिये अन्यथा पहिली चेतावनी में ही जनता पर बम गिरने प्रारम्भ हो जायेंगे। इसी गति का एक परिणाम यह भी होगा कि मुकाबला करने वाले विमानों को बहुत शीघ्र एक सेकिन्ड से भी कम समय में लड़ाकू विमानों से युद्ध करना होगा ।

जो बम पहिले गिराये जाते थे उन से आज के बम—टी० एन० टी० बम बहुत शक्तिशाली और विध्वंसक हैं जो नागरिकों की अत्यधिक प्राण तथा धन हानि कर सकते हैं। वे समूचे नगर में एक साथ आग लगा सकते हैं और यदि गैस बमों का इस्तेमाल किया गया तो उससे सारी नागरिक जन-संख्या संत्रस्त हो सकती है ।

अतः उक्त बातों को ध्यान में रख कर हमें अपने तेल तथा गैस के कारखानों, एटम शक्ति संस्थानों, बन्दरगाहों, स्टेशनों तथा महत्वपूर्ण पुलों की सुरक्षा पर विचार करना है ।

युद्ध के इस परिवर्तित रूप के आधार पर सर्वप्रथम हम अपने विमान बल के सम्बन्ध में विचार करेंगे। हमें इस बात पर विचार करना है कि बम फेंकने वाले विमान हमारे लिये अधिक उपयोगी

---

†मूल अंग्रेज़ी में

हैं या लड़ाकू विमान। दूसरा हमें विमान विध्वंसक तोपों की उपयोगिता पर भी ध्यान देना चाहिये ये तोपें पहिले भी अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हुई। अब जबकि विमान अत्यधिक ऊंचाई पर शब्द की गति से भी तीव्र उड़ते हैं तब उनकी उपयोगिता नगण्य हो गई है। तब क्या हमें इनकी खरीद में रुपया व्यय करना चाहिये।

इसके साथ हमें इस प्रश्न पर भी विचार करना है कि हमें अधिक विध्वंसक शक्ति वाले बम खरीदने चाहिये या छोटे आग लगाने वाले बम खरीदने चाहिये। मेरे विचार से हमारे लिये छोटे बम अधिक उपयुक्त हैं क्योंकि इनके निर्माण में सरलता होती है । ये सस्ते होते हैं और सरलता से और अधिक संख्या में ले जाये जा सकते हैं। चेतावनी देने की प्रणाली में सुधार करना आवश्यक है। तत्पश्चात् हमें विमानों की संख्या के सम्बन्ध में यह विचार करना है कि क्या विमानों की संख्या बढ़ाते जाना उपयुक्त है। हमारे पास विमानों का तेल नहीं है और युद्ध की स्थिति में यह आशा भी नहीं की जा सकती है कि कोई देश हमें तेल देगा फलस्वरूप हमारा सारा विमान बल एक सप्ताह के अन्दर कुंठित हो सकता है। एसी स्थिति में विमानों की संख्या में निरन्तर वृद्धि करने से कोई लाभ नहीं होगा।

अब में जल सेना को लेता हूं। हमारे देश का समुद्रतट ३५०० मील लम्बा है। इसकी सुरक्षा करना बहुत कठिन काम है। हम बन्दरगाहों की सुरक्षा के लिये तटीय तोपों (शोर बैटरी) का उपयोग कर रहे हैं यह बहुत खर्चीली होती है तथा इस की मार भी २५ मील तक ही सीमित है। अतः हमें इसके स्थान पर पड़ताल करने वाले विमानों का उपयोग करना चाहिये जो जानकारी अधिक शीघ्र दे सकते हैं। तटीय रक्षा के लिये गोताखोर विमानों (डाइव बम्बर) तारपीडो नावें भी होनी चाहियें। तथा अपने बन्दरगाहों की रक्षा के लिये हमें दोनों प्रकार की सुरंगें बनाने में समर्थ होना चाहिये।

मेरे विचार से हमें लगभग २० करोड़ रुपये की लागत से विमान वाहक जहाज नहीं खरीदना चाहिये। यह हमारे लिये बहुत खर्चीला होगा और अधिक उपयोगी भी नहीं सिद्ध होगा।

हमारी समस्त जलसेना में केवल ७८०० कर्मचारी हैं उसका कुल व्यय बम्बई निगम के व्यय से भी कम है अतः उनसे यह आशा नहीं की जा सकती कि वे हमारे इतने विशाल तट की रक्षा करने में समर्थ होंगे अतः इस की उपयुक्त वृद्धि करनी चाहिये।

अब मैं नागरिक रक्षा को लेता हूं। आज कल के युद्ध का नागरिकों और सैनिकों दोनों पर ही प्रभाव होता है अतः दोनों की रक्षा का उचित प्रबन्ध होना चाहिये। वस्तुतः पिछले महायुद्ध में यह देखा गया है कि अनुशासनहीनता और गड़बड़ी फैल जाने के कारण व्यक्तियों की जान माल को हवाई हमले से भी अधिक नुकसान पहुंचा है। अतः इस ओर ध्यान देना आवश्यक है। तथापि गृह मंत्रालय इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कर रहा है अतः आवश्यकता इस बात की है कि इस कार्य के लिये एक पृथक मंत्रालय, गृह सुरक्षा मंत्रालय खोला जाय जो इस समस्या के विभिन्न पहलुओं यथा, अनावश्यक नागरिक जनता को हटाने, दूसरे हमले के बाद आहतों को निकालने, तीसरे प्राथिमिक चिकित्सा इत्यादि के सम्बन्ध में अभी से विचार करे क्योंकि यह कार्य एक दिन में नहीं हो सकता है। इसके लिये वर्षों का प्रशिक्षण आवश्यक होता है।

अतः जब हम प्रतिवर्ष प्रतिरक्षा के लिये ३०० करोड़ रुपये व्यय कर रहे हैं तो हमारे लिये यह देखना भी आवश्यक है कि क्या हम यह व्यय उचित साधनों पर कर रहे हैं। अतः हमारे लिये युद्ध के वर्तमान रूप पर विचार कर उसके लिये होने वाले खर्च की रूपरेखा पर विचार करना बहुत आवश्यक है।

†उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ।

†श्री उ० च० पटनायक (गंजम) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

†उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प तथा स्थानापन्न संकल्प दोनों सभा के सम्मुख प्रस्तुत हुए।

†श्री उ० च० पटनायक : प्रतिरक्षा के प्रश्न के महत्व के सम्बन्ध में, मैं संकल्प के प्रस्तावक महोदय से सहमत हूं साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूं कि प्रतिरक्षा सम्बन्धी व्यय के सम्बन्ध में संसद सदस्यों को उपयुक्त जानकारी नहीं दी जाती है और कहा जाता है कि यह बात लोकहित के विरुद्ध है। जबकि यही जानकारी विदेशी प्रकाशकों को दे दी जाती है। उदाहरण के लिये लन्दन स्थित भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय से 'जेम्स फाइटिंग शिप' को नौ सेना के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। उसने भारतीय नौ सेना के छः वर्षीय योजना का भी उल्लेख किया है। अतः मैं प्रतिरक्षा मंत्री तथा प्रधान मंत्री से भी यह प्रश्न पूछना चाहता हूं क्या कारण है कि यह जानकारी हम से छिपाई जाती है ?

अब मैं 'एयर फोर्सेज़ आफ दी वर्ल्ड' नामक पुस्तक से कुछ जानकारी दूंगा। इसका नवीनतम संस्करण मेरे पास है। इसके प्रथम पृष्ठ में भारत के सभी सैनिक अड्डों को दिखाने वाला चित्र है इसके साथ साथ हमारे विमान बल के कर्मचारियों की संख्या, विमान बल में कुल विमानों की संख्या, उनके प्रकार, उनके निर्माता इत्यादि सारी जानकारी विस्तृत रूप से दी गई है। इस में दो भाग हैं पहिला १९५५ के पूर्व दूसरा एयर मार्शल मुकर्जी के पद भार संभालने के पश्चात्। इस में यह बात स्पष्ट रूप से बताई गई है कि १९५६ में रूस की सरकार ने हमें दो 'इल्यूशिन्स' विमान प्रदान किये थे। सरकार ने कभी भी इसे खुले आम स्वीकार नहीं किया। तत्पश्चात इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि यद्यपि रूस हमें एम० आई० जी० प्रकार के लड़ाकू विमान तथा आई० एल० २८ लाइट बम फेंकने वाले विमान अन्य देशों की अपेक्षा एक तिहाई कीमत पर दे रहा था तथापि रूस से विमान खरीदने के स्थान में ब्रिटेन व फ्रांस से विमान खरीदना ही ठीक समझा गया।

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : माननीय सदस्य ने बताया है कि हम ने इल्यूशिन विमानों की भेंट खुले आम स्वीकार नहीं की। तथापि इसे डंके की चोट से प्रचारित किया गया—यह समाचार कई समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ था। मैं ने अपने कई भाषणों में इसका उल्लेख किया तथा इन्हें स्वीकार करते समय पालम हवाई अड्डे में एक आम समारोह भी हुआ था। इसका हवाई सेना से कोई सम्बन्ध नहीं। इल्यूशिन विमान युद्ध के लिये उपयोगी भी नहीं है।

†श्री उ० च० पटनायक : इस जानकारी के लिये मैं माननीय प्रधान मंत्री का आभारी हूं तथा मेरा दूसरा प्रश्न अभी रह गया है कि कीमत एक तिहाई होते हुये भी रूस से विमान क्यों नहीं खरीदे गये।

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड—तथा भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड—का कार्यक्रम हमसे गोपनीय रखा जाता है जब कि इस पुस्तिका में यह सब प्रकाशित है। कुछ समय पूर्व हमने 'औरलिकन्स' के साथ गोला बारूद सम्बन्धी एक ठेका किया था। उन्होंने १९५० से यहां कार्य

†मूल अंग्रेजी में

प्रारम्भ किया आज १६५८ में भी वह अधिक शक्ति वाले (मेजर केलीबर) गोला बारूद बनाने में सफल नहीं हुये हैं। कम शक्ति वाले (माइनर केलीबर) गोलाबारूद की भी वह एक ही किस्म तैयार कर सके हैं । जो किया गया है वह भी त्रुटिपूर्ण है ।

इसके पश्चात् हमने उक्त फर्म से बहुत सा गोला बारूद खरीदा । पिछले वर्ष इस गोला बारूद इत्यादि के प्रश्न पर जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई जिसने बताया कि उक्त गोला बारूद भी खतरनाक और बेकार है। तत्पश्चात् एक अन्य समिति नियुक्त कर यह कहलवाया गया कि इसे ठीक किया जा सकता है ।

मैंने आज उप-प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक-महत्व के कार्य की ओर दिलाया था जिसका विषय कुछ नये फर्मों के साथ किये हुये ठेके थे । उप-प्रतिरक्षा मंत्री ने इस सम्बन्ध में एक १३ पृष्ठ का विवरण दिया है और विश्वास दिलाया है कि ये ठेके उपयुक्त हैं तो भी पिछले अनुभव के कारण हमें चाहिये हम इन फर्मों के सम्बन्ध में जानकारी का पता लगायें ।

इंगलैंड में यह प्रथा है कि प्रधान मंत्री संसद् में जो श्वेत पत्र, प्रतिरक्षा बजट के समय उपस्थित करते हैं उसमें प्रतिरक्षा सम्बन्धी भावी नीति, प्रतिरक्षा के केन्द्रीय संगठन की जानकारी तथा कर्मचारियों की संख्या इत्यादि का विस्तृत विवरण रहता है। भारत में यह जानकारी संसद सदस्यों को नहीं दी जाती है जब कि सरकारी तौर पर यही जानकारी विदेशों को ी जाती है ।

१ अगस्त १६५८ से हमारी सेना में कई प्रशासनिक परिवर्तन हुये हैं । अब हमारी सेना में ३ लेफ्टिनेंट जनरलों के स्थान में १३ लेफ्टिनेंट जनरल हो गये हैं । मेजर जनरलों की संख्या बढ़ कर २० हो गई है। ब्रिगेडियरों की संख्या में वृद्धि हो गई है। इसका परिणाम यह होगा कि बजट के कुछ माह पुर्व उनमें से चार या पांच पूरे जनरल हो जायेंगे इसका प्रभाव वायु सेना और नौ सेना में भी पड़ेगा जिसका परिणाम यह होगा कि हमारी सेना का व्यय बहुत अधिक बढ़ जायेगा ।

इसके साथ सेना में जितने अस्थायी, आपातकालीन व अल्पसेवा कमीशन के अधिकारी हैं उन्हें बिना किसी डाक्टरी परीक्षा द्वारा प्रमाणित किये हुये स्थायी कमीशन दे दिया गया है । फल यह हुआ है कि वे स्थायी कमीशन के अधिकारियों से भी ज्येष्ठ हो गये हैं जिसके फलस्वरूप उनमें असन्तोष फैलना स्वाभाविक है ।

जूनियर कमीशन अधिकारियों की शिकायत यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व वे सेना कोष में २ आने से ४ आने तक देते थे लेकिन अब वे ७ रुपये से १३ पये तक उक्त कोष में देते हैं। तथापि व्यय करने के सम्बन्ध में उनसे कभी राय नहीं ली जाती है न इस कोष की कमी लेखा परीक्षा ही होती है । उक्त श्रेणियों में जब कि इस प्रकार पदोन्नतियां हो रही हैं तो जूनियर कमीशन अधिकारी वर्ग में पिछले १० वर्ष से कोई पदोन्नति नहीं हुई है । इसलिये इस वर्ग के अधिकारियों में भी असन्तोष फैला हुआ है ।

अब मैं एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न को लेता हूं वह यह है कि हमें यह जानकारी होनी चाहिये कि हमारे शत्रु के पास कौन से हथियार हैं और उसे कौन कौन सी सुविधायें प्राप्त हैं, जिनसे उनका विशेष रूप से सामना करने का प्रयत्न किया जा सके । तथापि यह प्रश्न पूरी तरह से प्रमुख सेनाध्यक्षों पर छोड़ दिया गया है । मैंने इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी एकत्र कर प्रतिरक्षा मंत्री को दी थी मंत्रालय ने भी वह जानकारी सत्य प्रमाणित की है । इस सम्बन्ध में मैं 'एशियन रिकार्डर' को लेता हूं जिसम पाकिस्तान में अमेरिका की सहायता से बने हुये भारी और बढ़िया

किस्म के बमबार जहाजों और क्षेप्यास्त्रों के अड्डों का जिक्र किया है। उसके अनुसार रूस ने इसका जोरदार विरोध किया था। पाकिस्तान में कराची, कोहाट, पेशावर, गिलगिट, रिसालपुर व सरगोधा इत्यादि में जो क्षेप्यास्त्र तथा जेट विमानों का संचालन करने वाले अड्डे बने हैं उनसे रूस व चीन को खतरा है ही भारत को भी बहुत खतरा है हम निस्संदेह इस बात का विश्वास कर सकते हैं कि अमेरिका इन अस्त्रों का भारत के विरुद्ध प्रयोग नहीं करेगा तथापि ऐसा संकट उपस्थित होने पर उन्हें रोका नहीं जा सकता है। इस प्रकार ये अड्डे भारत की सुरक्षा के लिये एक बहुत बड़ा खतरा है यदि हम इस ओर ध्यान नहीं देंगे तो भारत की भावी पीढ़ी हमारी इस असावधानी के लिये सरकार तथा प्रधान मंत्री को उत्तरदायी ठहरायेगी।

इसके साथ साथ हमें चाहिये कि हम राष्ट्रीय विकास कार्यों का सैनिक प्रतिरक्षा के साथ समायोजन करें। हमें अपनी सेना का पुनर्गठन करना आवश्यक है तथा प्रतिरक्षा बलों का नागरिक जीवन के साथ इस प्रकार गठबन्धन किया जाय कि हमारी प्रतिरक्षा कम खर्चीली और अधिक प्रभावशाली हो सके।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे अनेक भाइयों ने सेना के सम्बन्ध में तो बहुत कुछ कहा लेकिन नेवी के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा। मैं केवल . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : आपने सिर्फ नेवी के सम्बन्ध में कहना है तो १५ मिनट में खत्म कर दीजियेगा।

श्री रघुनाथ सिंह : जी हां, मैं इससे पहले ही खत्म कर दूंगा।

नेवी (नौसेना) के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि आज करीब सात बरसों से मैं इस सदन में कहता आ रहा हूं कि हिन्दुस्तान के पास भी एक नेवल शिपयार्ड होना चाहिये जहां पर कि सबमैरीन एयरक्राफ्ट कैरियर और जो हमारे शिप्स हैं, उनकी मरम्मत हो सके और हम दूसरे मुल्कों पर आश्रित रहने की अपेक्षा अपने देश में ही उनको तैयार कर सकें। हमारी स्थिति यह है कि हिन्दुस्तान को एक टापू के रूप में, एक आइलैंड के रूप में समझा जाना चाहिये। मैं यह इसलिये कहता हूं कि हिन्दुस्तान का जो दूसरे मुल्कों के साथ सम्बन्ध हो सकता है तो वह सिर्फ नेवी के द्वारा ही हो सकता है और किसी प्रकार से नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि पाकिस्तान बन जाने के कारण स्थल मार्ग से दूसरे मुल्कों के साथ हमारा सम्बन्ध टूट गया है। अब दूसरे मुल्कों के साथ हमारा सम्बन्ध सिर्फ शिप्स के द्वारा ही हो सकता है और इन शिप्स की रक्षा के लिये नेवी का होना बहुत आवश्यक है।

कुछ भाई कहते हैं कि आजकल वारफेयर में नेवी की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं कि सब से ज्यादा अगर किसी चीज की ज़रूरत है तो वह नेवी की ही है। हमारी भारत सरकार का जो बजट है उसमें से मुश्किल से १३ परसेंट ही नेवी के वास्ते रखा गया है जो बहुत कम है।

मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर आप दुनिया के इतिहास को देखें तो आपको पता चलेगा कि प्रशिया ने जब यूनान पर हमला किया तो यह एथेंस की नेवी थी जिसके कारण प्रशिया को डिफीट (पराजय) उठानी पड़ी। इसी तरह से नेपोलियन को नाइल में जो डिफीट हुई वह नेवल वारफेयर के कारण ही हुई। आप यह भी जानते हैं कि पिछली लड़ाई में जापानी लोग क्यों हारे। उनके पास सिर्फ छः एयरक्राफ्ट कैरियर थे। सन् १६४५ में जब उनके इन छः एयरक्राफ्ट कैरियरस का नाश हो गया, उसके बाद जापान का हारना आरम्भ हो गया।

म आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान का जो सी कोस्ट है वह करीब ३,००० मील लम्बा है और तीन हज़ार मील लम्बी सीमा की रक्षा करने के लिए हमारी तरफ से कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। अगर कोई नेवल पावर आज हिदुस्तान पर हमला करती है तो उस सूरत में हम अपनी रक्षा करने में समर्थ होंगे या नहीं, इस में मुझको बहुत सन्देह है। १९वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों ने भी जब हिन्दुस्तान की रक्षा का प्रबन्ध किया था तो उस वक्त अदन और सिंगापुर में ही उन्होंने नेवल बेस बनाये थे। ट्रिंकोमाली में भी एयर बेसिस इसीलिए बने थे कि इंडियन ओशन में कोई भी बाहरी नेवी आकर के हिन्दुस्तान की रक्षा में व्यवधान उत्पन्न न कर सके। हमें आज अपने तीन हज़ार मील लम्बे सी कोस्ट की रक्षा करनी है। आजकल आप देखेंगे कि हम तो पुराने जहाज़ों के फेर में पड़े हुए हैं। आज आप देखें तो आपको पता चलेगा कि अमरीका में, इंग्लैंड में, रूस में, एटोमिक सब-मैरीन बन रहे हैं। हमारे पास इसके मुकाबले में एक भी सब-मैरीन नहीं है। हमने केवल एक एयरक्राफ्ट कैरियर किसी प्रकार से खरीदा है और आपके पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर हो या दो हों, लेकिन उसकी रक्षा तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि आपके पास सब-मैरीन न हो। आज हमारे पास सब-मैरीन नहीं है। हमको अपने देश की रक्षा करनी है। हम किसी भी देश पर आक्रमण नहीं करना चाहते। लेकिन हम देखते आये हैं और हमारा अनुभव यह रहा है कि १२०० बरस से बराबर हिन्दुस्तान के ऊपर आक्रमण होते रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या गारंटी है कि हमारे ऊपर चाहे पाकिस्तान की ओर से और चाहे किसी और दूसरे देश की ओर से आक्रमण नहीं होगा। अगर हमारे ऊपर कोई आक्रमण करता है तो दूसरे देशों से हमारा जो कुछ सम्बन्ध या सम्पर्क हो सकता है वह केवल नेवी के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस ओर हमारा ज्यादा से ज्यादा ध्यान होना चाहिये।

आप देखेंगे कि रूस ने अभी आज से तीन महीने पहले आर्कटिक ओशन में एक्सपेरिमेंट किया था और उसने एक नए किस्म की सब-मैरिन ईजाद कर ली है जो एटोमिक पावर से चलती है और बर्फ के नीचे हो कर जाती है। वह लैनिनग्राड से अलासका तक पहुंची थी। आज जब दुनिया इतनी तरक्की करती जा रही है तो हम हीं चुप हो कर शान्त हो कर क्यों बैठे रहें, क्यों न हम भी अपनी रक्षा की पूरी पूरी व्यवस्था कर लें।

आप जानते ही हैं कि जब बाबर ने हिन्दुस्तान पर हमला किया तो उसके साथ सिर्फ २०,००० फौजी थे और राणा सांगा के पास दो लाख की फौज थी। लेकिन इतनी फौज होने पर भी राणा सांगा हार गये और बाबर जीत गया। इसका कारण यह था कि बाबर के पास नई किस्म की तोपें थीं, हिन्दुस्तान वालों के पास नई किस्म की तोपें नहीं थी। पानीपत की तीसरी बैटल को आप देखें तो आपको पता चलेगा कि मराठा लोग अहमद शाह अबदाली से इसलिए हारे कि अहमद शाह अबदाली के पास नई प्रकार की बन्दूकें थीं, नई प्रकार की तोपें थीं जो कि पश्चिम में ईजाद हुई थीं। आज हम चुप होकर नहीं बैठ सकते हैं। हम शान्तिमय देश हैं लेकिन हमें अपनी रक्षा आप तो करनी ही है। १२०० बरस से हम शांतिप्रिय देश की हैसियत से चले आ रहे हैं लेकिन फिर भी हम पर आक्रमण होते रहे हैं। इसलिए जैसा कि प्रस्ताव रखा गया है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था का नवीनीकरण होना चाहिये, आधुनिक अस्त्र-शस्त्र हमारे पास होने चाहियें, इसकी ओर आपका ध्यान जाना चाहिये और अगर हम इस अपनी सुरक्षा की ओर ध्यान नहीं देंगे तो यह जो हमारी आज़ादी है यह रह सकेगी या नहीं, इस में मुझे सन्देह है।

मैं चाहता हूं कि कम से कम भारतवर्ष में एक नेवल शिपयार्ड होना चाहिये। इसके लिए मैं सात बरस से चिल्लाता आ रहा हूं और आज फिर मैं बड़े नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि आप कम से कम एक नेवल शिपयार्ड तो रखें। इस पर केवल छः करोड़ रुपया खर्च आयेगा। छः करोड़ रुपया खर्च आप नहीं कर सकते यह बड़े आश्चर्य की बात है। हमारे शिप अगर डैमेज होते हैं और उनकी अगर हमें रिपेयर करवानी होती है तो उनको इंग्लैंड भेजा जाता है। अगर आज हमारे ऊपर हमला होता है और हमारे शिप्स डैमेज हो जाते हैं तो रिपेयर के लिए हमें उन्हें इंग्लैंड भेजना होगा। इस व्यवस्था का अन्त होना ही चाहिये। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि नये प्रकार के शिप्स हमको हिन्दुस्तान में तैयार करने चाहियें और एटामिक सब-मैरीन कम से कम तो हिन्दुस्तान में तैयार होने ही चाहियें ताकि हम अपने शस्त्रास्त्रों का नवीनीकरण करके कोई भी आक्रमण किसी भी अवस्था में हो, उसका सामना कर सकें।

श्री उ० च० पटनायक ने कहा कि हमारे पास शस्त्रास्त्र नहीं होंगे तो आने वाली सन्तानें हम पर हंसेंगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि जब युद्ध होता है तो वह केवल शस्त्रास्त्रों से ही नहीं होता है, मौरेल से भी होता है, आत्मिक शक्ति से भी युद्ध होता है। हम लड़ेंगे और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हिन्दुस्तान में इतनी शक्ति है कि आज उसको कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन हमारे पास हथियार तो होने ही चाहियें। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से मैं निवेदन करता हू कि हम लोगों के हाथ में ऐसे हथियार तो होने ही चाहियें जिन से हम, अगर कोई हम पर हमला करे, तो उसका उत्तर दे सकें और हम ठूंठ न रह जायें।

†**श्री श्री० अ० डांगे** (बम्बई—नगर मध्य) : यदि आज देश में यही भावना दौड़ जाये कि हमें भागना है और युद्ध नजदीक है तो निःसंदेह ही सारी ही उत्पादन स्थिति में बाधा पड़ जायेगी। हमें इस प्रकार की बातें सोचना ही नहीं चाहियें बल्कि केवल यही सोचना चाहिये कि अभी हमें तुरन्त युद्ध का कोई खतरा नहीं है। हम नागरिक सुरक्षा के तरीकों से अपने देश का बचाव नहीं कर सकते। जब तक देश में बुनियादी तौर से भारी उद्योग न हों तब तक किसी भी आधुनिक युद्ध से ठोस बचाव नहीं हो सकता।

क्या हमारे में स्वतः भारी शस्त्र बनाने की क्षमता है? एक-एक चीज हम दूसरे लोगों से लेकर रख लें वह दूसरी बात है किन्तु हमें तो यह देखना है कि हमारी क्षमता कितनी है। हमें यह कहना ही चाहिये कि हम भारी अस्त्र बना सकते हैं। देश में ट्यूबिंग उद्योग नहीं, प्लेटें नहीं बन सकतीं। बड़ी चीजों की बात तो एक ओर रही हमारे यहां तो छोटी चीजें भी नहीं बन सकतीं। अतः न केवल हमें शीघ्र ही अपने इस्पात कारखानें पूरे करने चाहियें बल्कि यथासभव शीघ्र भारी वस्तुओं के कारखाने भी स्थापित करने चाहियें। भारी ढलाई के प्रबन्ध के बिना नौ सेना के जहाज भी नहीं बन सकते। हमारे यहां वह क्षमता ही नहीं है। अतः इन चीजों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

आज ट्रकों के बारे में वक्तव्य हुआ। यह सारी बात ही समझ में नहीं आती। वास्तव में शस्त्र बेचने वाले अंग्रेजों को तो अपने लाभ से ही गर्ज है। कहा जाता है कि जब जर्मनी अंग्रेजों से जूझ रहा था तब भी ये लोग जर्मनी वालों को बन्दूकें बेच रहे थे। आज भी यही लोग अपने लाभ के लिये पाकिस्तान को हथियार भेज रहे हैं। यह सब कुछ कर सकते हैं।

हम ऐसी स्थिति में क्या करें। सेना के लिये ट्रक आवश्यक हैं। सेना की गति इन्हीं पर निर्भर है। किन्तु हमारे यहां इनकी क्या स्थिति है। ट्रक निर्माण करने वाले कारखाने को ही समय

†मूल अंग्रेजी में

[श्री श्री० अ० डांगे]

आने पर टैंक बनाने का कारखाना बनाया जा सकता है । हम ट्रक बाहर से मंगवाते हैं। क्या हम एक माडल रख कर एक ट्रक निर्माण करने वाला संयंत्र यहां नहीं लगा सकते । हमें सारा ट्रक देश में ही बनवाना चाहिये । जिन समझौतों के बारे में प्रतिरक्षा मंत्री ने सभा को जानकारी दी है मैं तो उनका समर्थन करता हूं । वास्तव में ट्रक निर्माता देश को लूटते रहे हैं। टेलको वालों ने ही अपार लूट मचाई हुई है। इस संबंध में यहां चर्चा भी हो चुकी है। जब भी सेना को ट्रकों की आवश्यकता पड़ती है तभी मूल्यों में अत्याधिक वृद्धि हो जाती है। इन बातों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि प्रतिरक्षा विभाग की कार्यवाही ठीक है। इससे सभ्रान्तों को क्रोध भी स्वाभाविक ही है क्योंकि पूंजीवादी यह तो कभी भी चाहते हो नहीं कि हमारा देश कोई पूर्ण वस्तु बनाने में सफल हो ।

चीन के मानचूरिया क्षेत्र में जापानियों ने जो कारखाने लगाये थे उन में भी उन्होंने पूर्णता नहीं की थी । हर कारखाने की एक महत्वपूर्ण चीज जापान ही में तैयार होती थी और जब चीन ने इस क्षेत्र पर अधिकार किया तब उन्हें स्वतः वह कमी पूरी करनी पड़ी।

बुरे माल से जिन्होंने धन कमाया वह तो आलोचना करेंगे ही । जिस कर्मचारी ने यह बात बताई थी उसे अब तक दोबारा नौकरी में नहीं लिया गया है। यदि इन करारों से यह बुराइयां समाप्त हो जायें तो निश्चय ही यह अच्छा काम है । हमें उनकी आलोचना की चिन्ता नहीं करनी चाहिये। मुझे आशा है कि १९६१ तक इस देश में पूरे ट्रक, टैंक तथा ट्रैक्टर बनने लगेंगे।

सेना के सामान के लिये स्टील (इस्पात) की भारी आवश्यकता होती है। तीसरी योजना में पांच इस्पात कारखानें और भी लगने चाहियें।

हमारी सेना देश भक्त है और देश पर जीवन बलिदान करने को तैयार है। हमें शस्त्रों के निर्माण की क्षमता स्वदेश में ही बनानी चाहिये। इसी के साथ हमें शान्ति की बातें ही सोचनी चाहियें और सब के हृदयों में शान्ति का ही वातावरण उत्पन्न करना चाहिये।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : यह संकल्प अत्यन्त सामयिक है और श्री डांगे के कथनानुसार मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं।

आज दुनिया के कुछ देश टेकनालाजिकल दृष्टि से बहुत आगे बढ़ गये हैं। किन्तु कोई भी देश इस मामले में तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वह औद्योगिक दृष्टि से प्रगति न करे। युद्ध जिताने के लिये तेल, युरेनियम तथा इस्पात सी सारवान वस्तुओं की आवश्यकता है । जब तक हम इन चीजों में समृद्ध नहीं होते तब तक हमारी प्रतिरक्षा की नींव ठोस नहीं हो सकती।

संकल्प के दूसरे भाग से हमें १९५५-५६ के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की बातों का पता चलता है। उससे ज्ञात होता है कि यहां बड़ी अनियमिततायें हुई। जब भीतर से ही यह हालत हो तो हम और क्या आशा कर सकते हैं।

सेना का सारा प्रबन्ध ही साम्राजिक ढांचे पर है जो कि राष्ट्रीय ढांचे के अनुसार नहीं है। इस संबंध में हमें प्राक्कलन समिति की सिफारिशों पर विचार करना चाहिये।

प्रतिरक्षा के तीनों प्रधान कार्यालयों में भी कोई समन्वय नहीं है और भी अनेक अनियमिततायें होती हैं। इन बातों के कारण देश को भारी हानि होती है।

युद्धास्त्र कारखानों में स्टाक की देख रेख भी नहीं होती जिसके कारण सरकार को पर्याप्त हानि होती है। जब तक इन अनियमितताओं की समाप्ति नहीं होती तब तक हमारा कुछ नहीं बन सकता।

आज प्रातः करारों के बारे में भी कुछ बातें हुईं। हार्ड मोटर्स को सरकार ने कुछ काम सौंपा है किन्तु काम सौंपने से पूर्व सरकार ने उस संस्था की परख न की। उनके विरुद्ध कहा जाता है कि कर अपवंचन का मुकदमा चल रहा है। इस प्रकार की बातें हो रही हैं।

यह संकल्प बहुत ही अच्छा है। किन्तु जब तक हमें प्रतिरक्षा विभाग की आन्तरिक अनियमितताओं का ज्ञान न होगा हम इस पर ठीक तरह से विचार ही नहीं कर सकते कि प्रतिरक्षा व्यय का ढांचा किस आधार पर बनें।

हमें अपने पूर्वी सीमान्त की रक्षा के अत्याधिक उपाय करने चाहियें क्योंकि अब अधिक विस्फोटक क्षेत्र दक्षिण-पूर्व का ही क्षेत्र है। आसाम शेष भारत के साथ थोड़े से क्षेत्र से ही मिला हुआ है। इसे शत्रु भारत से पृथक कर सकता है। इस कारण उधर अधिक सतर्कता की आवश्यकता है। हमें यातायात के लिये उस ओर सड़कें भी बनवानी चाहियें।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर): वास्तव में प्रतिरक्षा का विषय इतना जटिल है कि वह व्यक्ति इस पर कोई राय तो दे ही नहीं सकता जो इस बारे में कुछ नहीं जानता हो।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बारे में मैंने अनेक पुस्तकें पढ़ी हैं तथा यही निष्कर्ष निकलता है कि जर्मनी की पराजय का एक मुख्य कारण यह था कि हिटलर वहां बहुत हस्तक्षेप करता था।

आज कल युद्ध कला बड़ी ही जटिल बन गई है। युद्ध कई प्रकार है। खैर जिन माननीय सदस्य ने यह संकल्प रखा है मैं उन्हें उनके टेकनिकल ज्ञान पर बधाई देता हूं।

आज के आणविक युग में यह आवश्यक नहीं कि जो कोई पहले मार देगा वही बिजयी रहेगा। हो सकता है कि दूसरे राष्ट्र के विमान भी अणुबम लिये आ रहे हों और पहले वार करने वाले देश को शमशान बना डालें। इस कारण जो लोग यह कहते हैं कि हम भी वैज्ञानिक दृष्टि से प्रगतिशील राष्ट्रों की भान्ति व्यय करें वह गलत सुझाव देते हैं।

अतः हमें सेना के प्रश्न पर एक गंभीर दृष्टिकोण से विचार करना है। हमारी सेना को हमने अपने ही ढांचे में उपयुक्त बनाना है।

हमारी सर्वोत्तम प्रतिरक्षा हमारी अपनी प्रगति है। हमें अपनी योजनायें सफल बनानी चाहियें। जब तक हमारी व्यवस्था ठोस नहीं हो जाती सैनिक दृष्टि से भी हम मजबूत नहीं बन सकते। अतः हमने अपनी प्रगति का ध्यान रखकर ही यह निश्चय करना चाहिये कि थल जल तथा वायु सेनाओं पर कितनी-कितनी राशियां व्यय करें। वास्तव में यह काम भी विशेषज्ञों पर ही छोड़ा जाना चाहिये। विशेषज्ञ ही इस बात का निर्णय कर सकते हैं। यह कहना भी व्यर्थ है कि प्रतिरक्षा की सारी बातें हमें नहीं बताई जातीं। यह तो किसी भी देश में नहीं होता।

हमें मुख्य नीतियों का ज्ञान रहता है। ब्यौरा न हम समझ सकें न उसकी आवश्यकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दी० चं० शर्मा]

हां प्रशिक्षण का कार्य अच्छा होना चाहिये। हमें आधुनिकतम प्रशिक्षण की सुविधायें उपलब्ध करनी चाहियें।

हमारे पास सामान भी होना चाहिये। इस संबंध में श्री डांगे ने काफी कुछ कह दिया है।

हमें सैनिकों का चरित्र बल भी बनाये रखना चाहिये। इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहियें। काश्मीर में हमारी सेना ने अपनी शक्ति का पूर्ण परिचय दे ही दिया है। हमें सेना पर गर्व है।

हम महान नेताओं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं अतः हमें युद्ध की बातें तो कभी सोचनी ही नहीं चाहियें। हमें ज्यादा ध्यान अपनी आर्थिक प्रगति की ओर ही देना चाहिये। हमारे शत्रु इसी से आतंकित होंगे।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हम हमेशा से यही चाहते रहे हैं कि माननीय सदस्य देश की प्रतिरक्षा में अधिक दिलचस्पी लें। और, इसीलिये मैं इस चर्चा से बहुत खुश हूं। यहां जो तमाम ख्यालात रखे गये हैं, मैं उन के लिये शुक्रगुजार हूं। उन में से कुछ पर तो हम जरूर ही विचार करेंगे।

लेकिन मैं शुरू में ही एक बात बता दूं कि प्रतिरक्षा से सीधा ताल्लुक रखने वाले या उस से कुछ दूर का भी ताल्लुक़ रखने वाले लग भग हरेक विषय के बारे में इस तरह की जानकारी की मांग करने वाले इन संकल्पों को स्वीकार नहीं करना चाहिये, स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रतिरक्षा के लिये इससे बढ़ कर नुकसान देय और कोई भी चीज़ नहीं है। इस तरह चलते फिरते ढंग से सवालात पूछने से ही नुकसान ही नहीं, कभी-कभी बड़ा बुरा नतीजा भी निकल सकता है। यदि इस विषय के बारे में कोई जानकारी हासिल करना जरूरी हो, तो किसी सक्षम समिति को ही करनी चाहिये।

मैं आपको बताता हूं कि प्रतिरक्षा के इस सवाल के बारे में एक मोटे तौर पर हमारा क्या नज़रिया है, क्या दृष्टिकोण है। लेकिन उस से पहले मैं आपको कुछ खास-खास, अलग-अलग मामलों के बारे में बता देना चाहता हूं। श्री पटनायक प्रतिरक्षा संबंधी मामलों के अध्ययन में काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं, और इस लिये उन के नज़रिये को हम सभी काफ़ी बड़े ध्यान और सम्मान से सुनते हैं। लेकिन श्री पटनायक कभी-कभी अप े अध्ययन में इतने खो जाते हैं उसके ब्यौरे में इतना उलझ जाते हैं कि वह आम खाना भूलकर पेड़ ही गिनते रह जाते हैं। उनको नागरिक रक्षा में बहुत दिलचस्पी है। उनका ख्याल है कि सरकार ने नागरिक प्रतिरक्षा पर जितना खर्च करना चाहिये था, उतना नहीं किया, और इसलिये देश पर जल्द ही कोई बाहरी हमला हो जाने का खतरा है। मैं कोई बात को बढ़ा कर कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनकी बातें सुनकर सचमुच ही मुझे बड़ी हैरत हुई। जब वह बाहरी हमले होने और उसके मुकाबले में हमारी नागरिक प्रतिरक्षा के न होने और रूस और चीन से सहायता मांगे जाने की बातें कह रहे थे, तो उनकी आवाज़ जैसे थरथरा गई थी। मैंने इन पिछले दस साल में, पूरे दस साल के अर्से में भी, इतनी घबराहट भरी, और साथ ही बुनियादी तौर पर इतनी ही ग़लत कोई दूसरी बात नहीं सु ी। मैंने तो कभी ऐसी कोई बात सोची ही नहीं कि हम रूस और चीन से सहायता मांग े जायेंगे। क्या हमारे देश की हालत इतनी नाजुक हो गई है कि हम खत्म होने के लिये अब-तब ही कर रहे हैं? आज़ाद इन्सान इस तरह नहीं सोचा करते, और कम से कम एक संसद् सदस्य को तो इस तरह सोचना ही नहीं चाहिये।

†मूल अंग्रेज़ी में

और मैं तो कहता हूं कि जब श्री पटनायक इस सवाल के बारे में ऐसा नज़रिया, ऐसा दृष्टिकोण अपना कर चलते हैं, तो फिर जाहिर है कि वह इससे ताल्लुक़ रखने वाली सभी चीज़ों के बारे में, ग़लती पर ग़लतियां ही करते जायेंगे। श्री पटनायक इन चीजों के बारे में काफी पढ़ते लिखते हैं सोचते विचारते हैं, इसलिये मैं उनकी कई बातों को बड़े अदब से सुन लेता, लेकिन उन्होंने तो अपना सारा नज़रिया इतना ग़लत बना लिया है, वह तो इतने डरे हुए मालूम पड़ते हैं कि उनकी बातों से जो नतीजे निकाले जायेंगे वह ग़लत होंगे।

प्रतिरक्षा के बारे में अगर किसी पहली और आखरी चीज की जरूरत है तो वह यही कि हमारे हाथ-पांव नहीं फूलने चाहियें; हर हालत में हमें अपना दिमाग सही रखना चाहिये; बमों की बरसात में भी घबराना नहीं चाहिये। लेकिन इस का यह मतलब भी नहीं है कि हमें ऐसी मुसीबत का सामना करने के लिये तैयारी नहीं करनी चाहिये। लेकिन श्री पटनायक का नजरिया तो सौ फी सदी गलत है।

यह बिलकुल सही है कि हमने नागरिक प्रतिरक्षा के लिये कोई खास उपाय नहीं किये हैं। और, मैं मानता हूं कि इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैं ने लगातार ऐसे कई सुझावों को अनसुना कर दिया है। मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। इन सुझावों को अनसुना करने की वजह यह नहीं है कि मैं नागरिक प्रतिरक्षा की जरूरत ही नहीं समझता, या यह कि हमला होना नामुमकिन समझता हूं। बात ऐसी नहीं है। बात यह है कि नागरिक प्रतिरक्षा का पूरा ख्याल ही बिलकुल पुराना पड़ गया है, पिट सा गया है। आप की दुनिया से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं रह गया है। दूसरी बड़ी जंग से पहले कुछ लोग नागरिक प्रतिरक्षा की बात सोचते थे, लेकिन दूसरी बड़ी जंग के दौरान में उन्होंने देख लिया कि वह बिलकुल बेकार सी चीज बन गई है।

तीसरी चीज यह है कि अगर श्री पटनायक के सुझाव के मुताबिक हम नागरिक प्रतिरक्षा करना ही चाहें, तो मैं चाहता हूं कि श्री पटनायक हिसाब लगाकर बतायें कि उस पर कितना रुपया खर्च होगा, क्योंकि अगर नागरिक प्रतिरक्षा करनी ही है तो समूचे देश में और उचित तरीके से ही की जानी चाहिये। श्री पटनायक बतायें कि ऐसी नागरिक प्रतिरक्षा पर कितना खर्च करना होगा। क्या इस पर इतना अधिक रुपया बहाना समझदारी का काम होगा, जबकि उसका कोई ठोस और रचनात्मक फायदा ही न हो? यह रुपया किसी और चीज में लगाना कहीं अच्छा होगा। प्रतिरक्षा के किसी और काम पर इसे खर्च किया जा सकता है। लेकिन अगर रुपये-पैसे के खर्च की बात छोड़ भी दी जाये, तो भी बात यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने तो हमले के मौके पर शहरों को खाली कराने आदि की तैयारी की भी बातें कही हैं। यह डरे आदमियों का, घबराये हुए आदमियों के सोचने का तरीका है, जिससे हमें बचना चाहिये।

मैं समझता हूं कि मौत के लिये तो हमें हमेशा ही तैयार रहना चाहिये। लेकिन ज्यादा अच्छा तो यह होगा कि जब तक मौत नहीं आती तब तक हम जिन्दगी के बारे में, अच्छी तरह जीने के बारे में ही सोचें। मौत के डर से जिन्दगी के बारे में सोचना बन्द न करदें। अगर आप लोगों से यह कहें कि उन्हें अपने मकानों और शहरों आदि को खाली करने के लिये भी तैयार रहना चाहिये, तो जाहिर है कि आम आदमी यही सोचेंगे कि जल्दी ही उन्हें अपनी जगह छोडकर कहीं और जाना पड़ेगा; हमला होने ही वाला है। अगर आप दिल्ली में नागरिक प्रतिरक्षा के लिये खन्दकें खोदना शुरू करदें तो आम जनता सोचेगी कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। मेरा अपना ख्याल तो है कि ऐसी मुसीबत नहीं आयेगी, और अगर मान लीजिये कि आ भी जाती है तो दिल्ली

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

पर कुछ थोड़े से बम गिरने से यही तो होगा कि कुछ बुजदिल लोग दिल्ली छोड़कर भाग जायेंगे और तब फिर दिल्ली में हमले के खिलाफ प्रतिरक्षा करना ज्यादा आसान हो जायेगा।

आजकल जिस ढंग की लड़ाई होती है, उसमें कोई प्रभावपूर्ण नागरिक प्रतिरक्षा करना नामुमकिन है। आज कल जिन देशों में नागरिक प्रतिरक्षा की तैयारियां की जा रही हैं, वहां आप देखिये कि क्या हो रहा है। उन देशों में ज़मीन के नीचे पूरे शहर के शहर, बड़े-बड़े कारखाने बनाये जा रहे हैं। उन पर बेशुमार दौलत खर्च की जा रही है। लेकिन हम तो उसका सौवां भाग भी खर्च नहीं कर सकते।

आजकल रेडार रखना बहुत ही जरूरी समझा जाता है। कई देशों में रेडार की हज़ारों मील लम्बी स्क्रीनें (ऐसे पर्दे जिन पर रेडार यंत्र के जरिये विमान इत्यादि देखे जाते हैं) लगाई गई हैं। तो क्या हम भी अपने देश की सीमाओं पर ३,००० या ५,००० मील लम्बी स्क्रीनों का जाल बिछायें? उसमें तो हमारा आधा बजट चुक जायेगा। और इससे कोई फायदा ही नहीं कि कुछ थोड़े सी जगहों पर रेडार लगा दिये जायें। इसलिये जब हम इतना खर्च नहीं उठा सकते, तो सारे में रेडार लगाने की बात सोचना बेकार सा है। फिर भी मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि हम रेडार रखें। लेकिन हां, इतने बड़े पैमाने पर तो इन्हें नहीं लगाया जा सकता। हमारे पास इसके लिये इतना सारा रुपया ही नहीं है। मैं मानता हूं कि देश की सीमाओं की रक्षा करनी चाहिये, लेकिन हमारे पास रेडारों के लिये उतनी क्षमता ही नहीं है। हां, कुछ खास स्थानों पर हमने रेडार लगाये हैं।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

श्री रघुनाथ सिंह ने बडे दर्द भरे लहजे में मुझसे अपील की है कि समुद्री तट के बारे में लापरवाही न की जाये। उन्होंने इसकी एक मिसाल भी दी है कि फ़ारस के लोगों को किस तरह यूनानी लोगों से हारना पड़ा था क्योंकि उनके पास उतने जहाज़ नहीं थे। मेरा ख्याल है कि उन्हें इतिहास में इतनी दूर जाकर अपनी मिसाल नहीं ढूंढनी चाहिये थी। ज्यादा अच्छा तो यह होता कि वह मिसाल यह देते कि अंग्रेज लोग भारत में किस तरह आये थे। समुद्री ताकत के बल पर पुर्तगाली लोग गोआ और उसके आस पास आये थे। समुद्री ताकत बहुत महत्वपूर्ण रही है। अब भी इसका महत्व है, लेकिन इतना नहीं जितना कि पहले था, क्योंकि अब विमान बल भी, और मिसाइल (क्षेप्यास्त्र) जैसी कई चीजें पैदा हो गई हैं फिर भी कई दूसरी दृष्टियों से समुद्री ताकत का महत्व अभी भी क़ाफी है। और चूंकि हमारे देश का समुद्री तट काफी बड़ा है, इसलिये हमें समुद्री तट के बारे में असहाय नहीं रहना चाहिये, किसी बड़े युद्ध की दृष्टि से नहीं, बल्कि अन्य कई दृष्टियों से। श्री रघुनाथ सिंह और श्री पटनायक इस बात से बड़े परेशान दिखते हैं कि हमारे देश में एक ही विमान-वाहक जहाज क्यों है? जहां तक हमारा ताल्लुक है, हमने, बहुत सोच-विचार के बाद यह एक ही विमान-वाहक जहाज़ रखना तय किया था, क्योंकि उस पर काफ़ी रुपया खर्च होता है। इसलिये हम दूसरा नहीं खरीदना चाहते। लेकिन अगर श्री पटनायक की बात मानी जाये और दो विमान-वाहक जहाज रखने की सोची जाये, तो फिर तीन और चार क्यों न रखे जायें। तो इसकी तो कोई सीमा नहीं होगी। हां, लेकिन एक विमान-वाहक से हमारा काफी काम चल जाता है। उससे हमें भारत के आसपास समुद्र में कहीं भी हवाई मैदान मिल सकता है। देश के अन्दर तो हवाई मैदान मौजूद ही हैं। इसलिये इस विमान-वाहक जहाज़ से हमारी शक्ति काफ़ी बढ़ जाती है। हमने काफ़ी सोच-विचार के बाद एक ही विमान-वाहक जहाज रखना

ठीक समझा है, और हमने सोचा है कि हम लोगों को उसके संचालन के बारे में प्रशिक्षण दे सकें। मेरा ख्याल है कि अभी दूसरे विमान-वाहक जहाज की जरूरत भी नहीं है। वैसे तो हमारे पास और विमान-वाहक जहाज खरीदने के रुपये भी नहीं हैं, और अगर उसकी गुंजाइश होगी भी तो हम किसी और मद पर, नौसेना या विमान बल पर ही ज्यादा खर्च करेंगे।

एक छोटी सी बात और है, हालांकि उसका थोड़ा महत्व है। श्री पटनायक ने एक तारीख बताई---पहली अगस्त---जब उन्हें पता चला कि कुछ लोगों को तरक्की देकर लेफ्टिनेन्ट-जनरल बना दिया गया है। वह इसे बड़ी खतरनाक चीज़ समझते हैं। मैं तो समझता हूं कि श्री पटनायक ने इन चीजों के बारे में काफी पढ़ा-लिखा है और उनकी जानकारी काफी है। इसलिये उनको मेरी यही सलाह है कि वह दूसरी सेनाओं, और दूसरे देशों की फौजों को देखें और उनसे भारत की सेना की तुलना करें। वह देखें कि दूसरे देशों की सेनाओं में कितने फील्ड-मार्शल, जनरल, लेफ्टिनेन्ट-जनरल वगैरह हैं। उन्हें चाहिये कि हमारे देश की सेना के आकार और उसके कृत्यों की तुलना अन्य देशों की सेनाओं के आकार और कृत्यों से करके देखें। वह देखें हमारी सेना जितनी बड़ी दूसरी सेनाओं में कितने जनरल वगैरह हैं। इसके बारे में बोलते हुए उन्होंने एक व्यंग किया कि अगर यही चलता रहा तो कुछ दिनों या कुछ महीनों में ही हमारे देश में फील्ड-मार्शलों और जनरलों की भरमार हो जायेगी। मैं समझता हूं कि देश के बड़े-बड़े जनरलों के बारे में ऐसा व्यंग कसना ठीक नहीं है।

†**श्री उ० च० पटनायक** : मुझे खेद है, लेकिन मैं ने कोई व्यंग नहीं किया था। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता था कि जब भी कोई नये पद बनाये जायें, तो, इंगलैण्ड की तरह यहां भी, संसद् को उसके बारे में बताया जाना चाहिये।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि लेफ्टिनेन्ट-जनरल के इन सभी पदों में से शायद एक को छोड़कर बाकी कोई भी नया नहीं था। वे पहले प्रिंसिपल स्टाफ आफीसर थे, जो चीफ आफ स्टाफ के बाद होते हैं। ये आफीसर चीफ आफ स्टाफ को सलाह देने वाले होते हैं। इन कुछ मेजर-जनरलों को ही तरक्की देकर लेफ्टिनेन्ट-जनरल बना दिया गया है। लेकिन ये नये पद नहीं हैं।

†**श्री उ० च० पटनायक** : बीस ब्रिगेडियरों को नये पदों पर मेजर-जनरल बना दिया गया है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी, हां; मैं उनकी बात पर भी आ रहा हूं। शायद माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि सेना में लांस-नायकों या ब्रिगेडियरों के जब भी नये पद बनाये जायें तो हम संसद् के सामने उन्हें रखें। यह मेरी समझ से बाहर है। हम अभी वरिष्ट अधिकारियों, लेफ्टिनेन्ट-जनरलों की बात कर रहे हैं। अभी तक चार को तरक्की दी गई है, नये पदों पर रखा गया है। उनमें से कुछ अस्थायी तौर पर लेफ्टिनेन्ट-जनरल रह चुके हैं, लेकिन मुख्यतया ये चार प्रिंसिपल स्टाफ आफीसर ही हैं। वे सभी काफी पुराने आफीसर हैं। मेरी तो बहुत दिनों से यही राय रही है कि हमारी सेना में जितने आफीसर होने चाहियें, उतने नहीं हैं। ऊपर के अधिकारियों के पास बहुत ज्यादा काम रहता है। वे दो में से एक ही काम एक बार में कर सकते हैं---या तो सेनाओं के साथ सम्पर्क बनाये रखें, या फिर मेज पर बैठ कर दफ्तर का काम निबटायें। यह कोई अच्छी बात तो नहीं है कि

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

हमारी सेना के इतने योग्य जनरल दफ्तरी कामों में ही फंसे रहें और सेना के साथ सम्पर्क ही न रख सकें। इसलिये यदि सेना में यदि नये पद बनाये जायें, तो मुझे उस से खुशी ही होगी। मैं तो बड़ी खुशी से ऐसे नियुक्तियों की सूचना संसद् के सामने रखूं। लेकिन उससे संसद् पर काम का भार और बढ़ जायेगा। इसलिये ये चीजें मंत्रि परिषद् की प्रतिरक्षा-समिति के सामने पेश की जाती हैं; और वह समिति ही इस बारे में निर्णय करती है। असैनिक पदों पर भी तो बहुत सी नियुक्तियां की जाती हैं, लेकिन संसद् को उनको तो कोई भी सूचना नहीं दी जाती। श्री पटनायक को सेना के अधिकारियों और असैनिक प्रशासन के अधिकारियों की संख्या की तुलना करके देखना चाहिये। मैं तो समझता हूं कि सेना में पर्याप्त उच्चपदाधिकारियों की बहुत कमी है। तो यह सही तरीका नहीं है इन चीजों को देखने समझने का। हम बड़ी सक्षम और दक्ष सेना भी रखना चाहते हैं, नागरिक प्रतिरक्षा पर भी ज्यादा जोर देना चाहते हैं, लेकिन साथ ही अपने योग्य जनरलों की आलोचना भी करते हैं। यह दोनों बातें तो एक-दूसरे के खिलाफ पड़ती हैं। इसीलिये मैं कहता हूं कि यह नजरिया बड़ा ऊलजलूल सा है।

सभी जानते हैं कि योग्य व्यक्ति यदि उच्चाधिकारी हो, तो काम बहुत ठीक चलता है। लेकिन हमारी सेना में तो कोई अधिकारी कितना ही योग्य क्यों न हो, उसे एक खास उम्र पर पहुंच कर निवृत होना ही पड़ता है। असैनिक प्रशासन के क्षेत्र में भी यही होता है। कोई इंजीनियर या वैज्ञानिक कितना ही योग्य क्यों न हो, अगर उसकी उम्र पचपन तक पहुंच गई है तो उसे निवृत कर दिया जाता है और उसकी जगह विदेशों से आने वाले विशेषज्ञों को भर लिया जाता है। विदेशी लोगों को ज्यादा इज्जत देने की हमारी एक आदत सी बन गई है। मेरे पास ऐसे कई मामले आते हैं। किसी वैज्ञानिक, या इंजीनियर या टेक्नीशियन को पचपन साल की उम्र पर निवृत्त कर देने में कोई तुक नहीं है। सेना में भी यही होता है। योग्य अधिकारियों को हटा दिया जाता है। अब हम इसे बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इन लोगों को सेना में रखा जाय। इसीलिये ये ब्रिगेडियरों आदि की तरक्की का सवाल उठा है।

श्री पटनायक ने 'ओयर लिकोन्स' और उस के द्वारा दिये गये गोला-बारूद आदि के बारे में भी कुछ कहा था। अभी उस मामले की जांच हो रही है, इसलिये मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि 'ओयर लिकोन्स' द्वारा सम्भरित गोला-बारुद की कई बार जांच कराई है, और उनसे पता चला है कि उसकी किस्म संतोषपूर्ण नहीं थी। फिर भी इसकी अब फिर जांच की जा रही है, और शायद इस बार पता चल जायेगा कि वह मामला क्या था और उसकी जिम्मेदारी किस पर थी। यह आठ साल पुराना मामला है।

श्री हेम बरुआ ने 'हार्ड मोटर्स' के एक ठेके का उल्लेख किया था। श्री बरुआ खुद उस ठेके की जांच करलें। मुझे पहले इसके बारे में मालूम नहीं था। लेकिन यह बात ठीक है कि इस ठेके का काम करने वाली फर्म पर आय-कर का एक मुकदमा चला है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि ऐसा मुकदमा चलने से वह फर्म काम करने में अक्षम हो गई हो, क्योंकि आय-कर के ऐसे मुकदमे तो आज आम बन गये हैं। लेकिन इस फर्म के बारे में यह भी बिलकुल सही है कि यह फर्म १,००० पौंड की पूंजी से रजिस्टर हुई है। और यदि आप ठेके की शर्तों को पढ़ कर देखें, तो उस में कोई खामी नहीं रहने दी गई है। पहले तो हम उन शस्त्रों को समुद्र में डुबाने जा रहे थे और उसके लिये, उन शस्त्रों को समुद्र में डुबाने के काम के लिये एक करोड़ रुपये तक खर्च करने को तैयार थे। हम उस के लिये किसी योग्य फर्म की तलाश कर रहे थे। उसी बीच में यह फर्म आई और यह उन शस्त्रों को

नष्ट करने के लिये ही नहीं ; बल्कि उल्टे हमें कुछ अदायगी करने के लिये भी तैयार हो गई। हमें और चाहिये भी क्या था। हमारे सेना अधिकारी और वैज्ञानिक तो बहुत दिनों से उन शस्त्रों को नष्ट कराने के लिये, उन से पीछा छुड़ाने के लिये उतावले हो रहे थे। उन का कहना था कि वे शस्त्र खतरनाक हैं और किसी भी दिन फट सकते हैं। इसीलिये हमने फर्म के साथ सौदा किया था। हमारी शर्तें ये हैं कि हम शुरू में उन्हें कुछ भी अदायगी नहीं करेंगे। हमने जमानत के तौर पर उस फर्म से लगभग सवा लाख रुपये जमा करा लिये हैं। सारा खर्च फर्म ही करेगी। काम पूरा हो जाने पर, वह फर्म हमें ५० लाख पयों के मूल्य का, तांबा इत्यादि देगी। हम फर्म को ९ लाख रुपये देंगे। इसलिये इस ठेके से हमें कुल मिलाकर ४० लाख पयों का लाभ होगा। वैसे हम इस काम पर एक करोड़ पये तक खर्च करने को तैयार थे। अब ज्यादा से ज्यादा यही तो हो सकता है कि यह काम फर्म पूरा ही न करे। उस हालत में, हमारे पास उसका सवा लाख पया तो जमा है। हमें कुछ देना तो नहीं पड़ेगा। इसीलिये मैं कहता हूं कि इसमें कोई खतरा नहीं है। मान लीजिय कि यह फर्न बिलकुल भी ऐतबार के काबिल नहीं है, तब भी ठेके में तो ऐसी कोई खामी नहीं रहने दी गई है जिससे कि हमें कोई नुकसान पहुंच सके।

इस सिलसिले में, श्री डांगे ने बहुत ठीक ही कहा है कि प्रतिरक्षा से सम्बन्ध रखने वाले उद्योग असल में समूचे देश के औद्योगिकीकरण पर ही निर्भर रहते हैं और औद्योगिकीकरण इस बात पर निर्भर करता है कि देश में भारी उद्योगों की अवस्था क्या है, देश के भारी उद्योगों का उत्पादन कितना होता है। जाहिर है कि हमें जहाज आदि खरीदने ही पड़ेंगे, क्यों कि भारी उद्योगों के खड़े होने तक, अपने यहां इनका निर्माण होने तक रुके रहना खतरनाक साबित हो सकता है। मैं सभा के सामने सभी बातें खोल कर रख देना चाहता हूं। अक्सर हमें कई बार बिना चाहते हुए भी अपनी योजनाओं में परिवर्तन करने पड़े हैं और हमें मजबूर होकर कुछ ऐसी वस्तुओं की खरीद पर रुपया लगाना पड़ा है जिन्हें हम खरीदना नहीं चाहते थे और जिस धन को हम औद्योगिक विकास के काम में ही लगाना चाहते थे। यह मजबूरी इसलिये हुई है कि हमारे पड़ौसी देश को जो सैनिक सहायता दी जा रही है, वह इतनी ज्यादा है कि हमें कभी-कभी उस से अंदेशा होने लगता है। हम कोई ज्यादा जोखिम भी नहीं उठाना चाहते। इसलिये हमें अपने औद्योगिक विकास और भारी उद्योगों पर खर्च किये जाने वाले धन को उससे हटाकर इन खरीदों पर लगाना पड़ता है।

पिछले साल हमारा सेना सम्बन्धी बजट काफी बढ़ गया था। यह इसीलिये कि हमें बहुत से विमान खरीदने पड़े थे ; उन्हें खरीदने पर मजबूर होना पड़ा था। हम तो उन पर धन व्यय नहीं करना चाहते थे, हमने विमान न खरीदने का फैसला भी कर लिया था, लेकिन फिर भी हमें उनकी खरीद करनी ही पड़ी, क्योंकि देश की सुरक्षा के बारे में इतना जोखिम उठाना भी अक्लमंदी का काम नहीं था। हमारे पड़ौसी देश को विदेशों से जो इतनी भारी सैनिक सहायता दी जा रही है, उसके कारण ही, उसी के दबाव से, हमें, न चाहते हुए भी, कभी-कभी जरूरत से ज्यादा खर्च करना पड़ जाता है।

श्री पटनायक ने रूसी विमानों की बात कही। रूस ने कभी भी हमारे सामने किसी विमान को बेचने या किसी और ढंग से देने की बात नहीं रखी है। श्री ख़ुश्चेव और श्री बुल्गानिन जब यहां आये थे, तो उन्होंने 'इल्यूशिन' नामक विमान मुझे उपहार में दिया था। वह निजी यात्रा के लिये हैं। वह सेना के काम का जहाज नहीं है।

†**श्री उ० च० पटनायक** : मैंने "एयर फोर्सेज़ आफ दी वर्ल्ड" और 'ऐरोप्लेन' नामक पत्रिका में पढ़ा है कि रूस ने हमें सैनिक विमान देने के कई प्रस्ताव रखे थे।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : श्री पटनायक को इससे समझ लेना चाहिये कि उन्हें अपनी किताबों पर जरूरत से ज्यादा यकीन नहीं करना चाहिये। यह सही है कि हमने कुछ साल पहले कभी-कभी सोवियत यूनियन से भी विमान खरीदने की बात सोची थी। और अब भी सोच सकते हैं, सोच ही क्या, खरीद भी सकते हैं। लेकिन इस समय रूसी विमानों को खरीदने में सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि उनके लिये हमें अपने यहां बिलकुल दूसरी ही तरह की व्यवस्था करनी पड़ती और अलग से लोगों को उनके चलाने की शिक्षा देनी पड़ती। बहुत आगे की बात सोच कर, उस नजरिये से ऐसा किया जा सकता है। लेकिन हम इस बीच में वर्तमान जरूरतों को पूरी करने की ही कोशिश करते रहे हैं, खास तौर से इसलिये कि पड़ोसी देश को ज्यादा से ज्यादा विदेशी सैनिक सहायता मिलती जा रही है। इसलिये हम ो ढंग का, अलग-अलग दो तरह का इंतजाम नहीं करना चाहते थे। इसीलिये हमने, फ्रांस से, या शायद किसी और देश से विमान खरीदे थे।

इसके बारे में लोग दो तरह से सोच सकते हैं। कुछ एक चीज को पसंद कर सकते हैं, और कुछ किसी दूसरी चीज को। दोनों के बीच में सन्तुलन की दृष्टि से ही, हमने यह निष्कर्ष निकाला था। लेकिन हम किसी भी देश से विमान खरीद सकते हैं, इस पर कोई रोक नहीं है कि हम किसी एक ही देश से खरीदें। जहां भी हमें अपनी जरूरत की चीज मिलेगी, वहीं से खरीदी जा सकती है। लेकिन सबसे अहम चीज तो यह है कि हम खुद विमान तैयार करें। इस दिशा में हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट काफी प्रगति कर रहा है। हाल में एक प्रतिरक्षा उद्योग प्रदर्शनी हुई थी और अभी भी उसका काफी भाग एक दूसरी बड़ी प्रदर्शनी में देखा जा सकता है। माननीय सदस्यों को उसे देखना चाहिये। सभी को देखना चाहिये। उसे देखकर प्रतिरक्षा सम्बन्धी औद्योगिक उत्पादन की तरक्की का अनुमान लगाया जा सकता है। हम नये ढंग का गोला-बारुद तैयार कर रहे हैं और साथ ही नागरिक उपयोग की कुछ वस्तुयें तैयार कर रहे हैं। श्री पटनायक ने भी इसका जिक्र किया था।

एक बार शायद इस का भी विरोध किया गया था कि प्रतिरक्षा उद्योग नागरिक उपयोग की वस्तुयें क्यों तैयार कर रहा है। लेकिन मैं पूछता हूं कि अगर प्रतिरक्षा उद्योग ऐसी वस्तुयें ज्यादा अच्छी बना सकता है, तो क्यों न बनाये? इसमें प्रतियोगिता का तो कोई सवाल ही नहीं। हमारी फैक्टरियों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा होना चाहिये। सेना के पास टेक्नीशियन हैं, इजीनियर हैं और प्रवीण कार्यकर्त्ता भी हैं। उनके पास बढ़िया से बढ़िया मशीनें भी हैं। और फिर यह भी है कि अगर उनके पास पूरा काम नहीं होगा तो उनकी छटनी करने का सवाल आता है और एक बार हमने छटनी करने की बात सोची भी थी। यही सब देखकर हमने प्रतिरक्षा उद्योग के उत्पादन के विस्तार की योजना बनाई है। इसके लिये सेना के टेकनीशियनों और इजीनियरों के कई सम्मेलन भी किये गये और हमने उनके साथ बातचीत की। वे लोग बहुत ही योग्य नवजवान हैं। उनमें उत्साह है और वे नयी चीजें करना चाहते हैं। इसीलिये उन्होंने इन वस्तुओं को तैयार करने में रात-दिन एक कर दिये। हर एक दस्तकार को अपनी बनाई हुई वस्तु पर गर्व होता ही है। बस जरूरत इतनी ही रहती है कि उसे काम करने का मौका दिया जाये और उसकी अपनी सूझ-बूझ से काम करने दिया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

सेना के यह उत्साही लोग बड़ी लगन और मेहनत से काम करते हैं। प्रदर्शनी लगाने के लिये उन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं गिना। उन्होंने पांच हफ्ते में सब कुछ खड़ा कर दिया। लेकिन जब उनकी नुक्ताचीनी की जाती है कि ये ठेका क्यों दिया गया या यह काम अनुचित ढंग से कैसे किया गया तो इसका क्या नतीजा होता है? मैं मानता हूं कि इस सभा को सतर्क रहना चाहिये और हर चीज की छानबीन करनी चाहिये। यह उसका हक है। लेकिन यह सब करने का एक तरीका होता है, ढंग होता है। अगर आप इतना अच्छा काम करने वालों पर कीचड़ उछालना शुरू करें, उनकी नीयत पर शक करने लगें, तो जाहिर है कि उनका उत्साह, उनकी उमंग ठंडी पड़ जायेगी।

हम उनके सिर पर यही दोष मढ़ते हैं कि वे हर रोज एक ही ढंग का काम करते हैं, कोल्हू के बैल की तरह, लेकिन जब वे अपने दायरे से बाहर निकलते हैं तो हम उन पर बरस पड़ते हैं। इसीलिये वे सोचते हैं कि दायरे में रहना ही ठीक है, उसमें बचे तो रहते हैं। कोई भी नयी चीज करने का उनका जोश खत्म हो जाता है। उनमें से कुछ लोग बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, लेकिन उन्हें अपने दायरे से बाहर निकलने पर आशंका होने लगती है कि पता नहीं उनके साथ क्या हो जाये।

श्री पटनायक ने यह भी कहा था कि संसद् को वह सूचना भी नहीं दी जाती जो विदेशी ऐजेन्सियों और अखबारों को दी जाती है। यदि ऐसा है, तो मुझे उसका खेद है। लेकिन शायद ऐसा नहीं है। लेकिन उन को औपचारिक ढंग से, बाकायदे सूचना नहीं दी जाती। लेकिन माननीय सदस्य जानते ही हैं कि नौसेना सम्बन्धी मामलों में हम खास तौर से कुछ ब्रिटिश फर्मों के साथ बातचीत करते रहे हैं। शायद ये फर्में ही सूचना देती होंगी, और इसमें कोई नई बात भी नहीं है।

†**श्री उ० च० पटनायक** : गत सत्र में, माननीय प्रतिरक्षा मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में, कहा था कि मंत्रालय ने ही जेम्स की पुस्तक के लिये वह सूचना दी थी। लेकिन संसद् को ही वह सूचना नहीं दी गई थी।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने कहा तो है कि यदि किसी और को सूचना दी जाती है, तो संसद् को भी दी जानी चाहिये। मैं इसकी जांच करूंगा। मुझे उसका पूरा ब्योरा मालूम नहीं है। लेकिन मुझे कुछ ऐसा याद सा पड़ता है कि एक बार हम कोई सूचना नहीं देना चाहते थे पर वह किसी तरह लन्दन किसी और जरिये से पहुंच गई थी और हमारे देश के लोगों को उसका पता नहीं था। और जब लन्दन में लोगों ने पूछा तो हमने कहा था कि जब वह सूचना किसी तरह वहां पहुंच गई है, तो उसे प्रकाशित भी किया जा सकता है। हमने कुछ ऐसी ही बात कही थी। मैं इसकी जांच करूंगा और आशा है कि आगे से प्रतिरक्षा मंत्रालय संसद् को सूचना देने में ज्यादा आनाकानी नहीं करेगा।

श्री भरूचा ने विमान गिराने वाली बन्दूकों यानी एण्टी एयर क्राफ्ट गन्स और बचाव के लिये उनके उपयोग के बारे में कुछ बातें कही थी। उनका कहना कुछ हद तक तो ठीक है। अगर कोई हमला होगा, तो एन्टी-एयर-क्राफ्ट बन्दूकें दिल्ली का बचाव नहीं कर पायेंगी। लेकिन उनसे हमलावार हवाई जहाजों को बहुत ज्यादा ऊंचाई पर चलना पड़ता है। अगर वे २०,००० या ३०,००० फीट की ऊंचाई पर हों, तो इन बन्दूकों की मार से बाहर रहेंगे। अगर कोई हमलावार जहाज बहुत ही नीचाई पर उड़ता हुआ और बम बरसा जाये, तो उससे जनता में बड़ी

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

पस्ती फैलती है । मैं ने बहुत पहले स्पेन में कुछ ऐसा सा दृश्य देखा था । फिर जब आपकी एण्टी-एयर-क्राफ्ट बन्दूकें चलती हैं तो दुश्मन के जहाजों को बहुत ऊंचाई पर उड़ना पड़ता है, और उतनी ऊंचाई से निशाना ठीक नहीं लग सकता । इसलिये बचाव की काफ़ी गुंजाइश हो जाती है । उतनी ऊंचाई से गिराये गये बम शहर पर बहुत कम गिर पाते हैं। साथ ही इन बन्दूकों के चलने की आवाज सुनकर जनता की हिम्मत बंधी रहती है । वह सोचती है कि कुछ तो हो रहा है । और हिम्मत न टूटना, काफी महत्व रखता है । मैं आधुनिक बममारी की बात नहीं कह रहा हूं । लेकिन ये एण्टी-एयर—क्राफ्ट बन्दूकें कुछ खास-खास जगहों पर, शहरों और कस्बों में ही लगाई जा सकती हैं ।

एक तरह से यह बात बिलकुल साफ है कि आज के इस अणु-बमों के युद्ध में कोई भी देश अपना अधिक बचाव नहीं कर सकता । हम तो कर ही नहीं सकते । हमारे पास न तो अणु-बम हैं और न हम उन्हें रखना ही चाहते हैं । लेकिन अणु-बम के युद्ध में भी एक प्रकार का बचाव किया जा सकता है । अगर हमारे यहां उदजन-बम गिरे, तो पता नहीं क्या हालत होगी । लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि हमें प्रतिरक्षा की बात पहले सोचनी चाहिये, हमले की नहीं । मैं जानता हूं कि बचाव और हमला करने में फर्क करना जरा मुश्किल है, लेकिन दोनों में कुछ फर्क है जरूर । हमारे पास ऐसे बममार विमान तो हैं नहीं जो हजारों मील दूर का निशाना साध सकें । हम ऐसे बममार चाहते भी नहीं । हम तो सिर्फ कुछ ऐसे जहाज ही चाहते हैं जो देश की सीमाओं की रक्षा कर सकें और जरूरत पड़ने पर कुछ दूर तक मार कर सकें । सेना, नौसेना, और विमान बल, तीनों ही के बारे में यह बात सही है । लेकिन, अणु बमों के युद्ध के बारे में एक बात यह भी है कि उदजन-बमों से हमला नहीं किया जा सकता । यह दूसरी बात है कि उदजन बम गिरने से देश में संहार बहुत हो जायेगा, विपत्ति आ जायेगी और जनता में डर समा जायेगा । यह तो है, लेकिन उन बमों से हमला नहीं हो सकता । हमला तो जमीन पर लड़ने वाली सेना को ही करना पड़ेगा, और उसका मुकाबला किया जा सकता है । देश के एक भाग को उदजन बमों से बर्बाद किया जा सकता है । यह सही है, लेकिन फिर भी बाकी देश तो रहता है, वह किसी भी हमलावर फौज का मुकाबला कर सकता है । आप दुश्मन को हरा तो नहीं सकते लेकिन आप उसका अपने यहां आना और उतरना बहुत मुश्किल कर सकते हैं । इसलिये मैं कहता हूं कि आम हथियारों से भी एक योग्य सेना शत्रु का मुकाबला कर सकती है ।

दूसरी चीज यह है कि हमारे लिये सदा ही यह खतरा बना रहा है कि कभी भी पड़ोसी देश के साथ कोई टक्कर हो सकती है । जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं तो समझता हूं कि कई कारणों से ऐसी कोई टक्कर होने की सम्भावना कम ही है । मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान के ज्यादातर लोग भी यह महसूस करते हैं । फिर भी बाहर से तो खतरा है, और कोई भी ऐसा जोखिम नहीं उठायेगा।

हमने पिछले साल 'कैनबरा' बममार हवाई जहाज खरीदे थे । उस समय हमारा ख्याल यह था कि कुछ महीनों बाद शायद हमारे सामने कुछ खतरा खड़ा हो जाये । हो कता है कि हमारा ख्याल गलत हो, लेकिन ख्याल ही तो था । हमारा दूसरा ख्याल यह

था कि अगर हमारे पास ऐसे बममार होंगे तो खतरा पैदा ही नहीं होगा। बममार होने से ही खतरा मिट जायेगा ; ये सब अपने ख्याल की बातें थी , लेकिन सभी को अपने ख्याल के मुताबिक हो चलना पड़ता है । अब यह कोई नहीं कह सकता कि अगर हमने बममार न खरीदे होते तो क्या होता । इसलिये, हमारी प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकतायें इन सभी बातों को देखकर ही निश्चित की गई हैं । वे आवश्यकतायें किसी बड़े युद्ध की सम्भावना के हिसाब से तय नहीं की गई हैं । जहां तक हमारी चलेगी, हम किसी भी बड़े युद्ध में शामिल ही नहीं होंगे । आज मुझे तो कोई ऐसी वजह भी नजर नहीं आती कि हम क्यों किसी बड़े युद्ध में शामिल हों । यह दूसरी बात है कि विश्व युद्ध छिड़ने पर उसका प्रभाव हमारे देश पर भी पड़ेगा ही । उन प्रस्तावों से हमें अपनी रक्षा करनी ही पड़ेगी ।

हम विमानों, जहाजों, बन्दूकों और गोला-बारूद खरीदने पर जितना भी धन खर्च करते हैं, वह एक तरह से कुछ बेकार ही जाता है । हमें उसमें से कुछ भी नहीं मिलता । और चूंकि उसका निर्माण करने वाले देश दूसरे होते हैं, इसलिये युद्ध के समय हमारे पास उसके पुर्जे भी नहीं रहते और वह हमारे लिये बेकार हो जाते हैं । इसलिये असल सुरक्षा तो तभी हो सकती है जब हम खुद अपने ही देश में अपने हथियार तैयार करें । और अपने ही देश में कुछ घटिया किस्म के हथियार भी तैयार करना कहीं अच्छा है, दूसरे देशों से बहुत बढ़िया किस्म के हथियार मंगाने से कहीं अच्छा है । यही हमारा नजरिया है । यह भी सही है कि हम अभी अपने देश में बहुत बढ़िया किस्म के आधुनिक ढंग के हथियार तैयार नहीं कर सकते । हम उन्हें खरीद भी नहीं सकते । हम दूसरों से जो हथियार खरीदते हैं वे ज्यादातर उन देशों के अपने काम के नहीं रहते । इसमें छिपाने की कोई बात नहीं । बड़े बड़े देश जो नयी तरह के गुप्त शस्त्र बना रहे हैं, उनको वे बेचते नहीं हैं। वे उन्हीं शस्त्रों को बेचते हैं जिनकी उन्हें खुद जरूरत नहीं रहती क्योंकि वे आम हो चुके होते हैं। लेकिन हमारा काम तो उनसे चल ही जाता है ।

दूसरे देशों से बहुत ही बढ़िया किस्म के ऐसे हथियार मंगाने से जिनके पुर्जे भी हमारे पास नहीं रहते, तो कहीं अच्छा यह है कि हम अपने ही देश में, कुछ घटिया किस्म के ही सही, शस्त्र बनाकर एक औद्योगिक आधार पैदा करें । एक मोटे तौर पर यही हमारी प्रतिरक्षा नीति है । हमारी नीति का आधार प्रतिरक्षा ही है, किसी पर हमला करना नहीं । और राजनीतिक रूप से, हमारी यह प्रतिरक्षात्मक नीति, हमारी राजनीतिक नीति से मेल खाती है । हमारी राजनीतिक नीति दूसरे देशों के साथ मैत्री रखने की है । यह बड़ी महत्व की चीज है, क्योंकि दूसरे देशों से दोस्ती रखना ही हमारी सुरक्षा के लिये बहुत बड़ी चीज है । साथ ही हमारी नीति यह है कि हम अपने देश में प्रतिरक्षा के लिये औद्योगिक आधार पैदा करें और सतर्क रहें ।

मैं अपने भाषण के दौरान में पाकिस्तान का कई बार जिक्र कर चुका हूं, क्योंकि मैं सभा के सामने सारी बातें बिना किसी दुराव-छिपाव के रख देना चाहता हूं । लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी हाल में या कुछ बाद में भी हमारी पाकिस्तान से कोई जंग नहीं होगी ईमानदारी की बात तो यह है कि मैं बिलकुल पक्की तौर से आपसे यह भी नहीं कह सकता कि ऐसी कोई जंग कभी होगी ही नहीं । खतरे के लिये तो तैयार होना ही पड़ता है । लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद ऐसी जंग नहीं ही होगी मैं तो समझता हूं कि पाकिस्तान की जनता और उसके शासकों में इतनी समझदारी है कि वे जंग नहीं छेड़ेंगे ।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

और अगर कभी किसी दुर्भाग्य से ऐसा हो ही जाता है, तो उससे घबराने या श्री पटनायक की तरह हाथ पैर फुलाने की कोई जरूरत मुझे दिखाई नहीं देती।

मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि, इन सभी कारणों को देखते हुए, मैं इस संकल्प को स्वीकार नहीं कर सकता।

†**श्री उ० न० पटनायक** : मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता।

†**श्री नौशीर भरूचा** : मैं संक्षेप में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा कही गई बातों का जवाब देना चाहता हूं।

मैंने अपने इस संकल्प द्वारा चलते फिरते ढंग से कोई जांच कराने की बात नहीं सोची थी। वास्तव में, मेरे पास कुछ प्रस्ताव थे, जिन्हें मैं समिति की नियुक्ति के बाद उसके सामने रखता।

मैं चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री इस बात को अनदेखा न करें कि सशस्त्र बल के मौजूद रहते हुए भी किसी शहर को बर्बाद किया जा सकता है। आज ऐसे शस्त्र मौजूद हैं। और ऐसी बर्बादी से कई गम्भीर समस्यायें पैदा हो जायेंगी। प्रतिरक्षा अधिकारियों ने अभी इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया है।

माननीय प्रधान मंत्री ने दूसरी बात यह कही है कि नागरिक प्रतिरक्षा की बात करने से लोगों में घबराहट पैदा हो जायेगी। लेकिन यदि शान्ति के काल में लोगों को प्रतिरक्षा के तरीके नहीं सिखाये जायेंगे, तो युद्ध के काल में तो वह और भी घबरा जायेगी।

इस संकल्प से एक फायदा तो यह हुआ ही है कि हमें नागरिक प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में सरकार की नीति का पता चल गया है। हमें पता चल गया है कि सरकार इस दिशा में कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन मैं तो समझता हूं कि नागरिक प्रतिरक्षा बहुत जरूरी है। युद्ध-काल में जनता का मनोबल बनाये रखना बहुत जरूरी होता है।

यह सही है कि नागरिक प्रतिरक्षा पर बहुत अधिक खर्च पड़ेगा। लेकिन साथ ही यह भी सही है कि आपात काल में कुछ नागरिक प्रतिरक्षा की कुछ थोड़ी बहुत व्यवस्था तो रहनी ही चाहिये।

माननीय प्रधान मंत्री ने कहा है कि रेडार रखने का फायदा तभी है जब कि उसका एक बड़ा सिलसिला चारों तरफ हो।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं माननीय सदस्य की भूल सुधार दूं। हमारे पास रेडार हैं। मैंने तो यही कहा था कि जब तक रडार का पूरा सिलसिला न हो, तब तक हम रेडार को पूरी तरह से प्रतिरक्षा का एक मोर्चा नहीं मान सकते।

†**श्री नौशीर भरूचा** : मैं भी ठीक यही कहने जा रहा था।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरी बात उन्होंने एण्टी-एयर-क्राफ्ट बन्दूकों के बारे में कही थी । उनकी यह बात ठीक है कि जनता का मनोबल बनाये रखने के लिये इनका इस्तेमाल जरूरी है । लेकिन साथ ही यह भी सही है कि इतने बड़े फैलाव के शहरों पर पांच मील की ऊंचाई से भी बम बरसाये जा सकते हैं। उससे जनता में आतंक तो हो ही जायेगा । इसीलिये मेरे संकल्प में कहा गया है कि एक समिति नियुक्त की जाये, जो ऐसी तमाम बातों पर विचार करे । यदि हम नागरिक प्रतिरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं करेंगे, तो हमले के समय हमारी जनता की हालत बदतर हो जायेगी । यदि आपकी जनता की हालत बदतर होगी, तो सेना भी पूरी तरह से नहीं लड़ सकेगी । माननीय प्रधान मंत्री इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, लेकिन अगर ऐसी हालत पैदा हो गई तो उनकी जिम्मेदारी से हमें क्या हासिल होगा ? संसदीय लोक तंत्र में माननीय मंत्री की जिम्मेदारी ही कितनी रहती है ? ज्यादा से ज्यादा वह त्याग-पत्र ही तो दे देगा । उससे नागरिक प्रतिरक्षा तो नहीं हो जायेगी । जो भी हो, मैं ने इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करके अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है । हो सकता है कि वे इसे बाद में स्वीकार करलें । लेकिन इस पर आग्रह करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"यह सभा सिफारिश करती है कि प्रतिरक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और प्रविधिक विकास को देखते हुए सैनिक खर्च के वर्तमान ढांचे की जांच करने तथा परिवर्तनों का सुझाव देने के लिये लोक-सभा के सदस्यों की एक समिति, जिसको प्रविधिक विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त हो, नियुक्त की जाये ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

---

†**अध्यक्ष महोदय** : अब अगला संकल्प प्रस्तुत किया जा सकता है ।

देश में भूमि सुधारों की प्रगति का अनुमान लगाने के लिये एक समिति के बारे में संकल्प

†**श्री पाणिग्रही** (पुरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"यह सभा सिफारिश करती है कि लोक-सभा के १५ सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जाये जो सारे देश में भूमि-सुधारों के विषय में अब तक हुई प्रगति का अनुमान लगाये और उसके बारे में सभा को यथा-सम्भव शीघ्र प्रतिवेदन दे ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा इस पर अगले दिन चर्चा करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*एयर इण्डिया इन्टरनेशनल की साप्ताहिक भारवाही विमान सेवा

†**अध्यक्ष महोदय** : असैनिक उड्डयन उपमंत्री अपना वक्तव्य दें ।

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मोहीउद्दीन)** : मैंने लोक-सभा में अल्प-सूचना प्रश्न संख्या २ के भाग (ग) के २७ नवम्बर, १९५८ को दिये गये उत्तर में जो कुछ कहा था, उसकी यहां शुद्धि करना चाहता हूं ।

एयर इण्डिया इन्टरनेशनल और सी बोर्ड तथा वैस्टर्न एयरलाइन्स के बीच हुए संविदा की शर्तें बताते हुए कहा था कि भारत और इंगलैण्ड के बीच के मार्ग पर होने वाले भार-वहन से जो सकल आय होगी, उसमें से ८० प्रतिशत सी बोर्ड तथा वैस्टर्न एयरलाइन्स को मिलेगा और २० प्रतिशत एयर इण्डिया इन्टरनेशनल को । वार्ता के दौरान में एयर इण्डिया इन्टरनेशनल ने ही सी बोर्ड तथा वैस्टर्न एयरलाइन्स के सामने यह सुझाव रखा था । करार की शर्तों के अनुसार, संगत व्यवस्था यह है कि एयरइण्डिया इन्टरनेशनल को पहले छः महीनों में भारत और इंगलैण्ड के बीच के मार्ग पर होने वाले भार-वहन से होने वाली सकल आय का १५ प्रतिशत ही मिलेगा, और छः महीनों के बाद एयर इण्डिया इन्टरनेशनल को २० प्रतिशत मिलने लगेगा ।

मुझे खेद है कि मैं ने २७ नवम्बर, १९५८ को सभा में जो सूचना दी थी, वह पूरी तौर से सही नहीं थी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य अब भी आधे घंटे की चर्चा उठाना चाहते हैं ?

†**श्री बसुमतारी** (ग्वालपाड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : जी हां । यूरोप और भारत के बीच अनुसूचित भारवाही सेवा (साप्ताहिक) चालू करने की एयर इण्डिया इन्टरनेशनल की घोषणा संबंधी अल्प सूचना प्रश्न के बारे में मैं आधे घंटे की चर्चा उठाना चाहता हूं । यह सेवा अमरीकी समवाय, सीबोर्न वेस्टर्न एयरलाइन्स के साथ चलाई जायेगी ।

मैं मानता हूं कि २७ नवम्बर, १९५८ को असैनिक उड्डयन उपमंत्री ने जो उत्तर दिया था वह संतोषजनक नहीं था । मुझे कोई आपत्ति इस बात से नहीं है कि हम भारवाही सेवा आरंभ करना चाहते हैं । आपत्ति की बात यह है कि इस सम्बन्ध में एक विदेशी संस्था से करार क्यों किया गया है । इस करार से कुल राजस्व के ८० प्रतिशत का घाटा हमें होगा ।

उस दिन माननीय मंत्री ने जो जवाब दिये थे वह बहुत अस्पष्ट तथा स्वविरोधी थे । उन्होंने बताया कि भारत में भारवाही सेवा के लिए कोई उपयुक्त संस्था नहीं थी । बाद में उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि मेसर्स कलिंग एयरलाइन्स ने इस सेवा का भार उठाने की प्रस्थापना प्रस्तुत की थी । फिर माननीय मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया कि मेसर्स कलिंग एयरलाइन्स के पास कोई भारवाही विमान नहीं है । मंत्री महोदय ने यह भी स्वीकार किया कि मेसर्स कलिंग एयरलाइन्स सरकरी सहायता के बिना ही उपयुक्त भारवाही विमान खरीदने को भी तैयार था । फिर माननीय मंत्री ने कहा कि

†मूल अंग्रेज़ी में

*आधे घंटे की चर्चा ।

गैर-सरकारी संस्था को यह सेवा देने पर इण्डियन एयरलाइन्स के पास भारवाही विमानों की भरमार हो जाती । इसी प्रकार के अनेक भ्रमपूर्ण तथा स्वविरोधी उत्तर उन्होंने दिये अतः यह शंका पैदा हुई कि सरकार यह ८० प्रतिशत राजस्व का घाटा क्या किसी व्यक्ति के प्रभाव में आकर उठाने को तैयार हो गयी है । यह केवल हानि और लाभ का ही प्रश्न नहीं है बल्कि राष्ट्र के जीवन का प्रश्न है । अतः मेरा निवेदन है कि सरकार इस प्रश्न पर पुनः विचार करे । राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख कर यह करार, जो सरकार ने विदेशी संस्था के साथ किया है, रद्द कर दिया जाना चाहिए, यही मेरा निवेदन है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : मुझे यह जानकर बहुत खेद है कि एयरइण्डिया इण्टरनेशनल ने एक विदेशी समवाय के साथ ऐसा करार किया है । आप को स्मरण होगा कि कुछ समय पूर्व हमारे सामने यह समस्या थी कि हम अपने स्काई मास्टर विमानों का उपयोग कैसे करें । मैं माननीय मंत्री से पूछती हूं कि क्या उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि क्या उन्होंने इण्डिया एयरलाइन्स कारपोरेशन की सेवाओं का उपयोग करने की बात सोची थी । यदि ऐसा होता तो हम अपने देश का धन विदेश को जाने से बचा लेते ।

यह प्रश्न तो बहुत सरल तथा सीधा सा है । आपने अपने देश के समवायों को अवसर नहीं दिया और विदेशी समवाय के साथ करार कर लिया । आप विदेशी समवाय को लाभ उठाने का अवसर क्यों दे रहे हैं । जहां तक कलिंग एयरलाइन्स का प्रश्न है, आप जानते हैं कि उन्होंने हमारे कई विमान नष्ट किये हैं क्या आप उन्हें यह कार्य सौंपना चाहते हैं ? सरकार ने अपने को एक विचित्र स्थिति में डाल दिया है । कलिंग एयरलाइन्स को यह कार्यभार देना खतरे से खाली नहीं है । हमें सस्ती सेवा नहीं चाहिए पर सुरक्षित सेवा चाहिए ।

कुछ बात कलिंग एयरलाइन्स के बारे में भी मैं बताना चाहता हूं । जब इन्डेमेर समवाय की अनुज्ञप्ति का नवीकरण नहीं किया गया तो उसके विमान आदि कलिंग एयरलाइन्स में मिला दिये गये । इन समवाय का निदेशक कैप्टन ब्रिनांड एक बहुत बदनाम व्यक्ति है तथा उसकी गतिविधियां बहुत सन्दिग्ध हैं ।

मैं माननीय सदस्य का समर्थन इस बात में करूंगी कि सरकार ने एक विदेशी समवाय को यह कार्य देकर अच्छा नहीं किया । मैं समझती हूं कि यह काम इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को देना चाहिये था ।

अन्त में, इस करार में एक खण्ड है कि हम ३ महीने की पूर्व सूचना देकर इस करार को समाप्त भी कर सकते हैं । मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि वह इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन से स्काई मास्टर विमान लेकर यह भारवाही कार्य उसी से कराये । इससे हमें विदेशी मुद्रा की आय होगी । यदि १९६० तक हम अपनी भारवाही सेवा को समुन्नत बनाना चाहते हैं तो हमें इस दिशा में अभी से कदम उठाना चाहिए ।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : सबसे पहले मैं श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने जो कुछ कहा है, उसके संबंध में कुछ कहना चाहता हूं । उन्होंने कलिंग एयरलाइन्स पर जो कुछ भी आरोप लगाया है उसे सुन कर मुझे बहुत दुख हो रहा है । उन्होंने इस सम्बन्ध में अनेक बातें कहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जयपाल सिंह]

मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने यह जो करार किया है यह कितने समय के लिए है। हमारे सामने विदेशी मुद्रा की कठिनाई है। हमें केवल १५ या २० प्रतिशत लाभ मिलेगा। मैं समझता हूं कि यह कार्य हमारे देश के किसी समवाय द्वारा हो सकता था। इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन या अन्य गैर-सरकारी समवाय को यह कार्य दिया जा सकता था। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यदि यह काम हम देश की किसी संस्था द्वारा कराते तो हमें बहुत बचत हो सकती थी। इस करार द्वारा तो मानो वही स्थिति पदा की जा रही है जो राष्ट्रीयकरण से पूर्व थी। यदि हम स्वयं या हमारे राष्ट्र के अभिकरण यह कार्य करते तो हमें बहुत लाभ हो सकता है।

अब मैं कैप्टन ब्रतांड की बात लेता हूं। श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने उनका उल्लेख करते हुये अनेक बातें कहीं। पर मेरा निवेदन है कि मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं और जो बातें उनके संबंध में कही गयीं वे सब सच नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि गैर-अनुसूचित समवायों के मार्ग में हमें बाधायें क्यों डालनी चाहिएं ?

मैं यह मानता हूं कि कलिंग एयरलाइन्स में बहुत से विदेशी व्यक्ति भी हैं पर राष्ट्रीय व्यक्ति भी हैं। हमारे राष्ट्रीयकृत विमान सेवा में भी तो विदेशी लोग हैं। इन विदेशियों ने भारत की विमान सेवा में बहुत योग दिया है, यह हमें नहीं भूलना चाहिए।

†**श्री मुहीउद्दीन** : श्रीमान्, एयर इण्डिया इण्टरनेशनल ने अमरीका के समवाय के साथ जो करार किया है उसे एक संकुचित व्यापारिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। एयर कारपोरेशन अधिनियम के अधीन एयर इण्डिया इण्टरनेशनल को एक व्यापारिक संस्था के रूप में काम करना है।

जैसा कि उस दिन अल्पसूचना प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया था कि जब सी बोर्ड एण्ड वेस्टर्न के साथ यह करार किया जाना था उस समय भारत के गैर-सरकारी समवायों की बात पर ~~भी~~ विचार किया गया था। यह विचार व्यापारिक दृष्टिकोण से किया गया था और एयर इण्डिया इण्टरनेशनल ने निश्चय किया कि व्यापारिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सी बोर्ड एण्ड वेस्टर्न के साथ ही करार किया जाना चाहिए।

उस दिन मैंने बताया था कि मार्च १९६० तक एयर इण्डिया इण्टरनेशनल के पास २ या ३ सुपर-कान्स्टीलेशन विमान फालतू हो जायेंगे। सच पूछा जाय तो १९५७–५८ में भी उनका लाभ कम हो गया है और बोइंग तथा जेट विमानों के आ जाने के बाद पिस्टन इंजन वाले विमान बहुत फालतू हो जायेंगे। बाद में यह पिस्टन इंजन वाले विमान बेचे भी नहीं जा सकेंगे। एक होशियार व्यापारी को यह सोचना पड़ता है कि १९६० में जब बोइंग विमान आ जायेंगे तो इन विमानों का क्या होगा। आशा थी १९६० में २ या ३ सुपर-कान्स्टीलेशन विमान फालतू हो जायेंगे। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर यह करार किया गया।

श्री बसुमतारी ने कहा कि हानि की क्या चिन्ता है ; यदि १९६० में २ या ३ विमान फालतू हो जायेंगे तो क्या हानि हो जायेगी ; जब २ या ३ विमान फालतू हो जायेंगे तो एक और फालतू होने से क्या हानि हो जायेगी। मैं नहीं समझता कि गैर-सरकारी समवाय द्वारा एक और विमान खरीदे जाने के पक्ष में यह तर्क कैसे दिया जा सकता है। एयर

†मूल अंग्रेजी में

इण्डिया इण्टरनेशनल चाहता है कि व्यापार तथा भार ढोने के लिये हमें अपने विमानों का ही उपयोग करना चाहिये। १९६० में एक विमान अतिरिक्त हो जाने पर उसका क्या उपयोग होगा ? यह कहना कि गैर-सरकारी समवाय अपने लिए व्यापार ढूंढ़ लेंगे, बहुत आसान है। जब कोई गैर-सरकारी समवाय एक विमान खरीदता है और किसी विदेशी समवाय को भुगतान करने की बात कहता है तो हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि क्या वह मार्च १९६० के पूर्व भुगतान कर पायेगा या नहीं।

मुझे विश्वास है कि केवल ढाई वर्ष में गैर-सरकारी समवाय की इतनी आय नहीं हो सकती कि वह ५० लाख के विमान का भुगतान कर सके। व्यापार चलाने के लिए उन्हें कम से कम दो विमान खरीदने पड़ते। अतः निर्माताओं को दो या तीन वर्ष के समय में १ करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ता।

मुझे आशा है कि गैर-सरकारी समवाय दो वर्ष में इतनी राशि का भुगतान न कर पाते और १९६० में फिर यह मांग होती कि एअर इण्डिया इण्टरनेशनल के सहकारी के रूप में माल ढोने की सुविधा उन्हें आगे भी दी जाये। इसका मतलब यह होता कि एअर इण्डिया इन्टरनेशनल को अपनी क्षमता बेकार पड़ी रहने देना होता और गैर-सरकारी समवाय को व्यापार करते देना। इसी बात को ध्यान में रखकर गैर-सरकारी समवाय को यह विमान नहीं खरीदने दिया गया कि दो वर्ष के भीतर वे उसके दाम का भुगतान न कर पाते।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती तथा एक अन्य माननीय सदस्य ने पूछा कि यह करार कितनी अवधि के लिए है। यह करार ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होगा।

आशा है कि १९६० के बाद सुपर-कान्स्टीलेशन के अतिरिक्त, दो-तीन और सुपर-कान्स्टीलेशन उसी माल को, जो कि इन १ १/२ वर्षों में सी बोर्ड तथा वेस्टर्न एअरलाइन्स यूरोप को ले जाते हैं, ढोयेंगे। श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने पूछा कि जब इण्डियन एअर लाइन्स कारपोरेशन के पास स्काई मास्टर थे तो उसे इस व्यापार का अवसर क्यों नहीं दिया गया। मैं जानता हूं कि इस समय उनके पास फालतू स्काई मास्टर हैं पर मैं समझता हूं कि आगामी २ या २ १/२ वर्ष बाद वे इस काम के लिए दो विमान नहीं दे सकेंगे। यदि वे इस कार्य के लिए दो विमान दे सकते हैं तो हम प्रसन्नता से उन्हें यह काम दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि वे इस काम के लिए दो स्काई मास्टर विमान नहीं दे सकते।

श्री बसुमतारी ने कहा कि १९६० में होने वाले लाभ या घाटे के बारे में हमें इतनी चिन्ता करने की क्या आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि उनको आप अवसर क्यों नहीं देते।

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि विमान सेवा के राष्ट्रीयकरण के पूर्व-गैर सरकारी विमान सेवाओं ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने नये चालक रखकर सेवा के नये मार्ग चालू किये।

इस दृष्टिकोण से उनकी सेवायें बहुत महत्वपूर्ण रही हैं और आशा है कि भविष्य में भी वे नये नये मार्गों को चालू करेंगे। पर जहां तक इस सेवा का प्रश्न है गैर-सरकारी

[श्री मुहीउद्दीन]

समवायों के आने की बहुत कम आशा थी। अतः मैं समझता हूं कि इस करार को समाप्त करने या इस काम को गैर-सरकारी समवायों या एयर इण्डिया कारपोरेशन को सौंपने की कार्यवाही हमें नहीं करनी चाहिए। १८ महीने का करार यह बहुत थोड़े समय का करार है और जिस पक्ष के साथ यह करार किया गया है उसे अपनी कार्य-कुशलता दिखाने का अवसर तो दिया जाना चाहिए। अतः मैं इस सुझाव से सहमत नहीं हूं कि इस करार को समाप्त करने के लिए एअर इण्डिया इण्टरनेशनल को तीन महीने की पूर्व-सूचना दे देनी चाहिए। मैं समझता हूं कि १८ महीने तक व्यापार करने की अनुमति दे दी जानी चाहिए।

†**श्री जयपाल सिंह** : यह सेवा कहां से शुरू होगी ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : बम्बई, दिल्ली और कलकत्ता होकर।

†**श्री जयपाल सिंह** : मद्रास नहीं ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मैं समझता हूं, मद्रास नहीं। यह सेवा भारत के एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए सामान नहीं लेगी बल्कि विदेश के लिए लेगी।

†**श्री जयपाल सिंह** : यह काम तो एअर इण्डिया कारपोरेशन भी कर सकता है। बम्बई में सामान उतारने के बाद उन्हें लौटा क्यों न दिया जाय ?

†**श्री मुहीउद्दीन** यह माल उतारने व चढ़ाने की सुविधा के लिए है। उदाहरण के लिए यदि वे कलकत्ते से सामान लेते हैं तो वे सीधे चले जायेंगे और यदि माल बम्बई में होगा तो उन्हें बम्बई जाना होगा या जब वे वापस आयेंगे तो वे बम्बई में माल उतारेंगे। फिलहाल यही व्यवस्था की गयी है।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, ८ दिसम्बर, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार ५ दिसम्बर, १९५८]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	.	१५५५--७९

तारांकित
प्रश्न संख्या

६०६	विदेश यात्रा पर रोक .	१५५५-५६
६०७	दिल्ली में केन्द्रीय निर्देश पुस्तकालय	१५५६-५७
६०९	कच्चे लोहे का निर्यात .	१५५८-६०
६११	भाषायी अल्प-संख्यक	१५६०-६१
६१२	इन्जीनियरिंग कालेज	१५६१-६२
६१३	राष्ट्रीकृत बीमा समवायों को प्रतिकर . .	१५६३-६४
६१४	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद्	१५६४-६६
६१५	शारीरिक शिक्षा बोर्ड	१५६६-६७
६१६	किंग जार्ज स्कूल, नौगांव	१५६७
६१७	गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र में उद्योगों को अमरीकी सहायता .	१५६८---७२
६१९	राजनैतिक पीड़ित	१५७२--७४
६२०	बोकारी इस्पात संयंत्र .	१५७४-७५
६२३	जीवन बीमा व्यवसाय . .	२५७५-७७
६२४	सोने के बांड सम्बन्धी योजना	१५७७
६२५	बरौनी तेल शोधक कारखाने .	१५७८
६२६	त्रिपुरा के सामान की बुकिंग	१५७९

प्रश्नों के लिखित उत्तर		१५७९--१६२३

तारांकित
प्रश्न संख्या

६०४	केन्द्रीय खण्ड परिषद् . .	१५७९
६०५	टैगोर जन्म शताब्दी समारोह .	१५८०
६०८	आय-कर की बकाया राशि	१५८०
६१०	खनिज तेल का आयात .	१५८०-८१

	विषय	पष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
६१८	पैट्रोल उपभोक्ता मन्त्रणा परिषद्	१५८१
६२१	केरल के स्कूलों में किताबें . . .	१५८२
६२२	इस्पात संयंत्रों की लागत . .	१५८२
६२७	भारतीय विमान बल के पदाधिकारी की बर्खास्तगी	१५८२
६२८	बाल कल्याण	१५८३
६२९	महिलाओं और लड़कियों के अनैतिक व्यापार का दमन	१५८३
६३०	कोयला और कोक के मूल्य . . .	१५८३-८४
६३१	व्यावहारिक आर्थिक गवेषणा की राष्ट्रीय परिषद् . .	१५८४
६३२	बम्बई में मिट्टी के तेल की कमी	१५८४-८५
६३३	पन्ना की हीरे की खानें .	१५८५
६३४	दिल्ली के दो छात्रों की मृत्यु	१५८५
६३५	मनीपुर में खनिज पदार्थ	१५८५-८६
६३६	हवा की चक्की .	१५८६
६३७	आन्ध्र में बाढ़ . .	१५८६-८७
६३८	दिल्ली में कारों की चोरी . .	१५८७
६३९	जमुना नदी के प्रवाह का मार्ग परिवर्तन	१५८७
६४०	सामाजिक शिक्षा सम्बन्धी हिन्दी साहित्य .	१५८८
६४१	राजस्व सम्बन्धी गुप्तचर विभाग का निदेशालय	१५८८-८९
६४२	कोयले का सामान्य मूल्य	१५८९
६४३	भारतीय विवरणिका . .	१५८९
६४४	प्राविधिक संस्थाओं के अध्यापक	१५९०
६४५	कोयले की छोटी खानों का एकीकरण	१५९०
६४६	तिब्बत में प्राचीन पांडुलिपियां	१५९०-९१
६४७	रूरकेला में इस्पात रोलिंग मिल	१५९१
६४८	मूर्तियों का जीर्णोद्धार . .	१५९१
६४९	चाय पर लगाये गये करों का केन्द्रीयकरण	१५९२
६५०	दक्षिणी प्रादेशिक परिषद् . . .	१५९२
६५१	मुद्रा विनिमय सम्बन्धी करार के अधीन भारत में पूंजी विनियोजन	१५९२
६५२	आसाम के तेल के लिए शोधनशाला	१५९३
६५३	पैट्रोल उद्योग में पूंजी विनियोजन . . .	१५९३-९४

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

६५४	केन्द्रीय सचिवालय के असिस्टैन्ट . . .	१५६४
६५५	तेल निकालने के लिये भूमि में छेद करने का सामान .	१५६४
६५६	भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास	१५६५

अतारांकित
प्रश्न संख्या

६६८	अन्दमान और निकोबार द्वीपों में स्कूल . . .	१५६५
६६९	नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय . . .	१५६५
६७०	निर्धनों को कानूनी सहायता सम्बन्धी समिति . .	१५६६
६७१	अमृतसर के जलियांवाला बाग में राष्ट्रीय स्मारक . .	१५६६
६७२	तस्कर व्यापार	१५६६
६७३	भारत शिक्षा सेवा	१५६६
६७४	मुरादपुर (काश्मीर) में पैट्रोलियम निक्षेप . .	१५६७
६७५	अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में महिलाओं को शिक्षा .	१५६७
६७६	राष्ट्रीय अभिलेख सर्वेक्षण समिति .	१५६७
६७७	इस्पात कारखानों के क्षेत्र में गृह-निर्माण .	१५६८
६७८	आसाम में अपरिष्कृत तेल . .	१५६८
६७९	वित्त मंत्री के कार्यालय के कर्मचारी . . .	१५६९
६८०	आजमगढ़ और गाजीपुर के स्मारक . . .	१५६९
६८१	लाहौल और स्पीती क्षेत्र	१६००
६८२	उड़ीसा के स्मारक	१६००
६८३	बद्रीनाथ के रास्ते पर गोपेश्वर का मन्दिर . .	१६००
६८४	बहरे, गूंगे और अन्धे	१६०१
६८५	उत्तर प्रदेश सरकार को बेरोजगार सम्बन्धी सहायता	१६०१
६८६	रूरकेला इस्पात कारखाने में पुनर्नियुक्त पदाधिकारी .	१६०१
६८७	छोटे हथियारों का निर्यात	१६०२
६८८	आधारभूत शिक्षा और सामुदायिक विकास में दृश्य उपकरणों के बारे में यूनेस्को की गोष्ठी	१६०२
६८९	खमरिया का युद्ध सामग्री कारखाना . . .	१६०२
६९०	तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का पुनर्गठन .	१६०३
६९१	स्कूली बच्चों को मुफ्त मध्याह्न भोजन . .	१६०३

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या

९९२	प्रतिरक्षा उत्पादन नियोजन समिति	१६०३-०४
९९३	उच्चतर शिक्षा संस्थायें	१६०४
९९४	उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय	१६०४-०५
९९५	असिस्टेंटों की भर्ती	१६०५
९९६	नागरिकों को बन्दूक चलाने की शिक्षा	१६०५-०६
९९७	रेलवे यात्री टिकट दर अधिनियम	१६०६
९९८	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कर्मचारी	१६०६
९९९	राजनीतिक पीड़ित	१६०७
१०००	निर्धन विद्यार्थी सहायता समिति	१६०७
१००१	मोटर इन्जीनियरिंग	१६०७-०८
१००२	केन्द्रीय नरतत्व विज्ञान मन्त्रणा बोर्ड	१६०८
१००३	विदेशियों के विरुद्ध फौजदारी के मुकदमें	१६०८
१००४	प्राचीन अवशेषों का पुनर्नवीकरण	१६०८-०९
१००५	केलड़ी में श्री रामेश्वर मंदिर	१६०९
१००६	प्रगति हाई स्कूल अगरताला	१६१०
१००७	त्रिपुरा में बन्दूकों के लाइसेंस	१६१०
१००८	कांगड़ा जिले की पंचायतों को प्रतिकर	१६१०-११
१००९	इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के अधीन काम करने वाली समितियां	१६११-१२
१०१०	चोरी छिपे लाये गये सोने का पकड़ा जाना	१६१३
१०११	इतागी का महादेव मंदिर	१३१३
१०१२	कन्नूर के सैनिक इन्जीनियरिंग सेवा सड़क	१६१३
१०१३	ईस्ट बग्राकोट कोयला खान	६१३-१४
१०१४	रेलवे के भाड़ों में अनियमितता	१६१४
१०१५	हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट (प्राइवेट) लिमिटेड	१६१४-१५
१०१६	करों का लौटाया जाना	१६१५
१०१७	मनीपुर के विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियां	१६१५-१६
१०१८	तामिल भाषा का प्राचीन साहित्य	१६१६
१०२०	पजाब के लिये लोहे की चादरों का कोटा	१६१६-१७
१०२१	समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम	१६१७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या

१०२२ कोणार्क मंदिर के निकट भूमि का अर्जन १६१७

१०२३ आयकर के मामले १६१७–१८

१०२४ अल्प आय के लोगों के लिये गृह-व्यवस्था की योजना १६१८

१०२५ वैज्ञानिक विषयों के प्रकाशन . . १६१८

१०२६ संयुक्त अरब गणराज्य के साथ सांस्कृतिक करार . १६१८–१९

१०२७ भारतीय नागरिकता . . . १६१९

१०२८ नागा विद्रोही १६१९

१०२९ केरल जेनमीकरण भुगतान (उन्मूलन) विधेयक . १६१९

१०३० प्रादेशिक भाषाओं का विकास . १६२०

१०३१ धान की भूसी का तेल . . . १६२०

१०३२ अनुसूचित जातियां और अस्पृश्यता निवारण . १६२०–२१

१०३३ सरकारी कर्मचारियों पर अभियोग चलाना . १६२२

१०३४ संगीत नाटक अकादमी . १६२२

१०३६ उत्तर प्रदेश में तेल सर्वेक्षण १६२२–२३

१०३७ दिल्ली में अनुसूचित जातियां . १६२३

१०३८ उड़ीसा में अनुसूचित आदिम जातियां १६२३

१०३९ उड़ीसा में आश्रम स्कूल . १६२३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १६२४–२५

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये:—

(१) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ३५ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत ३० जून, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये भारत के औद्योगिक वित्त निगम में संचालक मण्डल के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति उस वर्ष के लिये निगम की आस्तियों और दायित्वों तथा लाभ और हानि के ब्योरे सहित।

(२) खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उपधारा (१) के अन्तर्गत खनन पट्टे (शर्तों में रूपभेद) नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १५ नवम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०८० की एक प्रति।

सभा-पटल पर रखें गये पत्र—(क्रमशः) विषय पृष्ठ

(३) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम १६४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, १६४४ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(एक) जी० एस० आर० संख्या ११०२, दिनांक २२ नवम्बर, १६५८।

(दो) जी० एस० आर० संख्या ११२०, दिनांक २६ नवम्बर, १६५८।

(४) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उपधारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(एक) जी० एस० आर० संख्या ११०३, दिनांक २२ नवम्बर, १६५८।

(दो) जी० एस० आर० संख्या ११०४, दिनांक २२ नवम्बर, १६५८ जिसमें सीमा शुल्क प्रत्याहृत (सार्वजनिक भाषण उपकरण) नियम १६५८ दिये हुए हैं।

(५) औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम १६५५ की धारा १६ की उपधारा (४) के अन्तर्गत दिनांक १५ नवम्बर, १६५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०७६ की एक प्रति।

राज्य-सभा से सन्देश १६२५

सचिव ने राज्य-सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना दी कि राज्य-सभा भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव से सहमत हो गयी है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . १६२६–३२

श्री उमाचरण पटनायक ने प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतिरक्षा सामग्री की खरीद, निर्माण आदि के लिये निम्नलिखित विदेशी सार्थों के साथ किये गये ठेकों की ओर प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान दिलाया:—

(एक) इंगलैंड की हार्ड मोटर्स

(दो) जर्मनी की एम० ए० एन०

(तीन) जापान की कोमात्सु मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी

(चार) इंग्लैंड की कोसर्स लिमिटेड

(पांच) कनाडा की लेवी आटो पार्ट्स लिमिटेड

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

निर्यात व्यापार की वर्तमान प्रवृत्ति के बारे में प्रस्ताव . . १६३३–४०

भारत के निर्यात व्यापार की वर्तमान प्रवृत्ति पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा आरम्भ हुई। एक स्थानापन्न प्रस्ताव सभा

विषय पृष्ठ

निर्यात व्यापार की वर्तमान प्रवृत्ति के बारे में प्रस्ताव—(क्रमशः)

की अनुमति से वापस लिया गया और अन्य स्थानापन्न प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। चर्चा समाप्त हुई।

विधेयक—विचाराधीन . . १६४०—४२

हिमाचल प्रदेश विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा जारी रही। प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार स्थगित कर दिया गया।

विधेयक—पारित . १६४३—४६

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) ने आसाम रायफल्स (संशोधन) विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्डवार विचार के बाद विधेयक पारित हुआ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन—स्वीकृत . १६४६

इकतीसवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प—अस्वीकृत . १६४७—६७

सैनिक व्यय के ढांचे की जांच करने के लिए एक समिति की नियुक्ति सम्बन्धी संकल्प पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई और संकल्प अस्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प—विचाराधीन . . . १६६७

श्री पाणिग्रही ने देश में भूमि सुधारों की प्रगति का अनुमान लगाने के लिए एक समिति की नियुक्ति के बारे में एक संकल्प प्रस्तुत किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

आधे घंटे की चर्चा . . . . १६६८—७२

श्री बसुमतारी ने एयर इण्डिया इन्टरनेशनल की साप्ताहिक भारवाही विमान सेवा के बारे में अल्प-सूचना प्रश्न संख्या २ के २७ नवम्बर, १९५८ को दिये गये उत्तर से उत्पन्न बातों के बारे में आधे घण्टे की चर्चा आरम्भ की। असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुही-उद्दीन) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

सोमवार, ८ दिसम्बर, १९५८ के लिये कार्यावलि—

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा।

281 (A) LSD—10